खण्ड-274, अंक-1
शुक्रवार, 23 आषाढ़, शक संवत् 1889
(14 जुलाई, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 274 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

13184 46

शुक्रवार, १४ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३९९

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठईराम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयप्रताप, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरु)
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
कृष्णबहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारराज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरीलाल, श्री
केशवदेव, श्री
खूबसिंह, श्री

खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गयाप्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपालराम दास, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह, राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रकिशोर, श्री
चन्द्रकुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखरसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगतसिंह, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण त्रिपाठी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपतसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जयराज वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जसोदानन्द, श्री
जानकीप्रसाद, श्री
जितेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
जियाउरंहमान, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्तसिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकमसिंह, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराजसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवीदयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगजसिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री

नियाज हुसन, श्री
निहालसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपालसिंह, श्री
नौनिहालसिंह, श्री
पन्नेराम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रतापनारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसीदास, श्री
बलवीरसिंह, श्री (मेरठ)
बलवीरसिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्तसिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बिशनलाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजकिशोर, श्री
बृजमोहनदास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारतसिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भुवनेशभूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदनमोहन मिश्र, श्री
मदनमोहनसिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री

रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथसिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजराजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
रामअचल सिंह सेन्गर, श्री
रामअधार, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलारे पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामनारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसरनसिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री

वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीरबहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसन रिजवी, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजूप्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिकराम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीलकुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हरिहरबख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र, श्री
हरीश चन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मतबहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :— उप-मुख्य मन्त्री श्री राम प्रकाश भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १४ जुलाई, १९६७

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

अलाइड इण्डस्ट्रीज, लखनऊ को चीनी का कोटा

**१—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर स्थित किसी लैमन जूस एवं टाफी आदि की कम्पनी का चीनी का कोटा ६० बोरा के स्थान पर २०० बोरा वर्तमान चीनी के संकट में अभी-अभी जून के अन्त में कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मन्त्री (श्री शारखंडे राय)—

जी नहीं।

श्री चन्द्रबली—

क्या यह सच है कि अलाइड इंडस्ट्रीज का कोटा ६० बोरे से बढ़कर २०० बोरे १० जून को ही किया गया है?

श्री शारखंडेराय—

अलाइड इंडस्ट्रीज का कोटा ६० बोरे से बढ़ाकर २०० बोरा नहीं किया गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अगर ६० बोरे से बढ़ाकर यह कोटा २०० बोरा नहीं किया गया है तो कितन बोरे से बढ़ाकर कितने बोरे किया गया है?

श्री शारखंडे राय—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं पूरी स्थिति साफ कर दूं। इस प्रश्न में स्पष्ट किसी फैक्टरी या कम्पनी का नाम नहीं था लकिन जो कार्यालय की सूचना है उसके अनसार ऐसा लगा कि यह बात शायद मेसर्स अलाइड इंडस्ट्रीज से सम्बन्धित है और इस वास्ते उसी के आधार पर मैं बता सकता हूं कि सन् ६३ में इसको ४० बोरे दिए गए थे और बाद में जून सन् ६६ में बढ़ाकर ५० बोरा प्रति मास कर दिया गया था, फिर अक्तूबर, सन् ६६ में १०० बोरा और नवम्बर-दिसम्बर, सन् ६६ में और जनवरी सन् ६७ में उक्त कम्पनी को २०० बोरा प्रति मास शकर दी गई। जन, १९६७ में ५० बोरा शकर दी गई न कि २०० बोरा। लेकिन फरवरी-मार्च में इसको घटा कर १०० बोरा किया गया और मई में ५०. बोरा किया गया लेकिन इस समय वह कम्पनी ५० बोरा पाती है और उसका ६० बोरे का कोटा रेगुलर और आखिर में और ४० बोरा एडहाक दिया गया, जो औरों को भी दिया गया था जिसकी मेरे पास पूरी लिस्ट है, उसके बाद आर्डर हुआ कि २५ प्रतिशत कोटा कम कर दिया जाय लेकिन गवर्नमेंट आर्डर के मिसइन्टरप्रिटेशन के कारण ६० का २५ प्रतिशत कर के १५ कर दिया गया लेकिन बाद में यह किया कि जो आखिर में कोटा रहा है उसका २५, प्रतिशत करना चाहिए लेकिन जिला सप्लाई आफिस ने फिर भी उस आर्डर को गलत समझा और २०० बोरे का २५ प्रतिशत करके ५० बोरे कर दिया। जब हमें मालूम हुआ कि आदेश को इस तरह से गलत समझा जा रहा है तब फिर बाद में कहा गया कि १०० बोरे का २५ प्रतिशत होना चाहिए और फिर आखिर में आदेश गए हैं कि जो २५ बोरा ज्यादा मिल गया है वह भी जुलाई में काट कर ठीक कर लिया जायगा। इस हिसाब से २०० की जगह कवल २५ ही रह जायगा। यह स्थिति है। इस तरह चौथाई वाली बातें नियम के अनुसार हैं।

श्री चन्द्रबली—

जिस तरह से अलाइड इंडस्ट्रीज का कोटा २०० बोरा था जब कि २८ हजार टन चीनी प्रदेश को मिल रही थी जब स्पेशल कोटा बढ़ाया गया था और तमाम कारखानों को दुगुना और तिगुना कोटा दिया गया था, लेकिन अब जिस तरह से २०० बोरे से एक चौथाई किया गया है तो क्या सभी का कोटा जो उन्हें फरवरी-मार्च में मिल रहा था चौथाई करने की कृपा वह करेंगे?

श्री शारखंडे राय—

जैसा मैंने निवेदन किया इस समय उनको २०० बोरों की जगह केवल २५ बोरे मिल रहे हैं। जो एडहाक कोटा बढ़ा है वह १९६६ में बढ़ा था।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चीनी के अभाव को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लेमन जूस और टाफी आदि स्वास्थ्य के लिए भी अहितकर हैं, वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इनका सारा चीनी का कोटा बन्द कर दिया जाय ?

श्री झारखंडे राय—

श्रीमन्, यह सही है कि चीनी के अभाव के कारण पिछले २ महीनों में हर प्रकार के लोगों के कोटे में कटौती कर दी गयी है। यदि चीनी की और स्थिति खराब हो जायगी तो इस पर फिर विचार किया जायगा। सबसे बड़ी समस्या एक यह भी है कि कम्पनियों में बहुत से मजदूर काम में लगे हुए हैं, उनके यहां पर काफी बड़ी-बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, यदि चीनी के कोटे को कम कर दिया गया तो बहुत से मजदूर बेकार हो जायेंगे। इसलिए समन्वय और समाधान के नाते कटौती कर रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर २०० बोरे बढ़ाए गए और फिर उनकी संख्या २५ बोरे कर दी गयी ?

श्री झारखंडे राय—

श्रीमन्, मैं तथ्यों की बातें बता रहा हूं। जैसा मैंने अभी निवेदन किया २०० बोरे सन् १९६६ में किए गए (नवम्बर–दिसम्बर, १९६६ और जनवरी, १९६७ में) थे। जहां तक बढ़ाने का आधार का प्रश्न है, उस समय चीनी काफी मिली थी तो लोगों ने जैसा चाहा उनको उतनी चीनी दे दी गयी। पहले हमें २८ हजार टन चीनी मिलती थी अब यह १५ हजार टन हो गयी है। अर्थात् आधी हो गयी है तो इसलिए सारी कटौती उसको अनुसार की गयी है।

श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मन्त्री जी को विदित है कि लैमन जूस एवं टाफी बनाने वालों को जो चीनी मिली, उसका अधिकांश भाग ब्लैक से बेच दिया जाता है ?

श्री झारखंडे राय—

मुमकिन है, श्रीमन्, ऐसा होता हो। उसके बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें कब ज्ञात हुआ कि सरकारी आर्डर की मिस इन्टरप्रिटेशन पर यह बात की गयी और उसके बाद उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री झारखंडे राय—

श्रीमन, जब इस प्रश्न के उत्तर में सूचना आयी, जिला अधिकारियों से तो उससे पता चला कि उनको जून में ५० बोरा दिया गया था। चूंकि २५ प्रतिशत के हिसाब से यह गलत था तो आदेश दिया गया कि ५० के स्थान पर २५ बोरे दिये जाने चाहिए थे और चूंकि उन्हें ५० बोरे दिए जा चुके हैं इसलिए अगले महीने में उन्हें कोई बोरा चीनी का नहीं दिया गया।

(प्रश्न संख्या १ और २ के संबंध में श्री सराफत हुसैन रिजवी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अग्रवाली—

श्रीमन्, इस संबंध में मुझे एक और प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कल यह निवेदन किया था कि जब मैं दूसरे प्रश्न को ले लूं तो माननीय सदस्य पहले प्रश्न के संबंध में प्रश्न पूछन का आग्रह न करें। दूसरा प्रश्न मैं ले चुका हूं। इसलिए म मजबर हूं।

श्री चन्द्रबली—

श्रीमन्, तो मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जान-बूझ कर तथ्यों को छिपाया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपका अधिकार है, आप दे सकते हैं।

तारांकित प्रश्न

चांदपुर गर्ल्स ट्रेनिंग कालेज को अमरोहा में स्थापित करने का सुझाव

*१—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें दिसम्बर, सन् १९६६ में चांदपुर गर्ल्स ट्रेनिंग कालेज, बी० टी० सी०, जिला बिजनौर के संबंध में कालज के प्रधानाध्यापिका का कोई शिकायती-पत्र मिला है कि यह कालेज ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा ह इसलिए इसे यहां से हटा दिया जाय ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

जी नहीं।

*२—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या शिक्षा मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि पूरे जिले में कोई सरकारी गर्ल्स ट्रेनिंग कालेज नहीं है इसलिए इस ट्रेनिंग कालेज को चांदपुर से हटा कर अमरोहा जिला मुरादाबाद में स्थापित करने का आदेश देंगे जहां काफी समय से इसकी मांग है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आवश्यक जांच करा कर उचित कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि इस संबंध में कि अमरोहा में लड़कियों का बी० टी० सी० ट्रेनिंग खोला जाय मैंने जो पत्र लिखा था और शिक्षा मंत्री को भी वहां से रिप्रेजन्टेशन भजा गया था उस संबंध में यदि उन्होंन रीजनल इंसपेक्टर बरेली से यदि जानकारी की रिपोर्ट मंगायी हो तो वह क्या है, क्या लिखकर उन्होंने भजा है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय सदस्य ने १३ मार्च को एक प्रार्थना पत्र ऐसा दिया था जिस पर रिपोर्ट मंगायी गयी थी। लेकिन अभी वह रिपोर्ट सचिवालय तक नहीं प्राप्त हो सकी है।

*३—श्री ध्रुवकुमार (जिला बुलन्दशहर)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

खीरी–बाराबंकी सड़क पर पुल की आवश्कता

*४––श्री चेतराम वर्मा (जिला खीरी) (अनुपस्थित)––

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला खीरी से लहरपुर जिला सीतापुर होती हुई बाराबंकी जाने वाली सड़क के बारहवें मील पर जिला खीरी और जिला सीतापुर की सरहद पर एक बहुत बड़ी बरसाती नदी पड़ती है जिस पर कोई पुल न होने के कारण लगभग बरसात के चार महीने यातायात बन्द रहता है और जनता को तथा सरकार का काफी नुकसान रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल को बनवाने का विचार कर रही है और वह पुल कब तक बनेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मंगलदेव विशारद)––

प्रस्तावित पुल निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

*५–६––श्री वीरेश्वर त्यागी (जिला मेरठ)––

[२८ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किये गये ।]

तिलहर तहसील में भूमिधरी की सनदें न मिलने की शिकायत

*७––श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)––

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि तहसील तिलहर जिला शाहजहांपुर में जिन काश्तकारों ने भूमिधर बनने के लिए दस गुना लगान जुलाई तथा अगस्त, १९६६ में तिलहर में दाखिल किया उनको भी अभी तक भूमिधरी की सनद तहसीलदार द्वारा नहीं दी गई जिससे सैकड़ों काश्तकारों में बेचैनी है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जायगी ?

राजस्व उप मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह यादव)––

जुलाई तथा अगस्त, १९६६ में भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के लिए २८३ प्रार्थना-पत्र तहसील तिलहर में दाखिल किये गये थे। इन सभी के संबंध में सनदें बन चुकी हैं। ११८ प्रार्थीगण अपनी सनदें स्वयं तहसील से ले जा चुके हैं। शेष सनदें लेखपालों द्वारा प्रार्थीगण को वितरित करने के लिये दी जा चुकी हैं ।

*८––श्री सुरेन्द्र विक्रम––

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३१ मई, १९६७ तक कितनी सनदें तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में मिलना बाकी हैं जिनका दस गुना दाखिल हो चुका है ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव––

३१ मई, १९६७ तक तहसील तिलहर में ४९७ ऐसी सनदें वितरण हेतु शेष थीं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम––

क्या उप मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने अपने उत्तर में यह बतलाया कि लेखपालों द्वारा वितरण करने के लिए सनदें भेजी गयी, तो यह इसी मर्तबा भेजी गयी है या हमेशा भेजी जाती रही हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव––

जब ये लोग लेने नहीं आये तो तहसील से जो हल्के के लेखपाल हैं उनको सनदें दे दी गईं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम––

मैंने पूछा था कि पहले कभी ऐसा हुआ ? क्योंकि भूमिधर हमेशा होते रहे हैं । तो अभी लेने नहीं आय या पहले भी नहीं लेने आय थे ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

इस मर्तबा निश्चयपूर्वक दी गई हैं। लेकिन इसके पहले मैं नहीं कह सकता कि दी जाती रही हैं या नहीं। वैसे साधारणतः जब भूमिधरी की सनदें, जिनके नाम में जारी होती हैं, लेने के लिए नहीं आते हैं तो पटवारी की मार्फत उनके पास भिजवा दी जाती हैं।

श्री बीरेन्द्र वर्मा--

यह १० गुनी सनद किसानों की कब बनी थीं और कब लेखपालों के जरिए उनके पास भिजवायी गयीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

जुलाई, अगस्त १९६६ की सनदें थीं और ३ मार्च, १९६७ तक के बीच में बनीं और इस बीच में देर अवश्य हुई है और देर के कारण जब बनीं तो वे लोग नहीं आये इसलिए दी गईं इन लोगों को।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन अधिकारियों के कारण इन सनदों को देने में देरी हुई है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का आदेश दे चुके हैं या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इन सनदों को देरी से बनने का मुख्य कारण यह था कि सनदों के जो फार्म होते हैं वे नहीं थे और उनको जब मांगा गया तो यहां से प्रिंट करन में समय लगा और १० महीने बाद उन्होंने भेजे छाप कर के उसके बाद आम चुनाव आ गये। इसलिए इतनी देर हुई। इस बीच में बहुत-सी सनदें इकट्ठा हो गयीं और पीछे की सनदें पहले बनीं और जिन सनदों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है नैचुरली वह बाद में बनीं। इसलिए देर हो गयी।

श्री अयोध्या प्रसाद आर्य (जिला देवरिया)--

कितने काश्तकारों ने भूमिधर बनने के लिए रुपया जमा किया था ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर में संख्या दी हुई है।

श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)--

इस जगह की जो चर्चा है कि सनदें नहीं पहुंच सकीं तो क्या माननीय मंत्री जांच करेंगे कुछ और भी झगड़े हैं जहां यह सनदें नहीं पहुंच सकी हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैं शाहजहांपुर के बारे में ही बतला सकता हूं। हर जिले में र जगह पहुंच गयीं या नहीं यह नहीं बतला सकता।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कठिनाई को देखते हुए क्या दूसरी जगहों के लिए आप व्यवस्था करेंगे कि ऐसी कठिनाई न हो।

श्री उदित नारायण शर्मा--

जरूर करूंगा अगर ऐसी शिकायत आयेगी तो।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

इन सनदों के फार्म की छपाई में देरी का कारण किसी अफसर की लापरवाही थी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में देर से छपने का जो भी कारण रहा है। उनकी लापरवाही रही अथवा काम अधिक रहा, जो भी कारण रहा हो लेकिन वहां से देर से आई।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

इस काम में देरी के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे दण्ड देने पर सरकार विचार करेगी ताकि भविष्य में देरी न हो ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह मालूम होगा कि उनकी तरफ से लापरवाही हुई है तो जरूर उन से पूछ-ताछ की जायगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ३१७ सनदें जो ३० जून तक बनने को थीं वे कब तक बन जायेंगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

३१, मई १९६७ तक ४९७ प्रार्थना-पत्रों के संबंध में जो माह जुलाई व अगस्त, १९६६ के बाद के थे, सनदें वितरण किये जाने को शेष थीं। इनमें से १८० सनदें तैयार हो चुकी थीं जो उक्त दिनांक को वितरण के लिए शेष थीं। वे सनदें माह फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, १९६७ की थीं। उक्त १८० सनदें अब लेखपालों को वितरण के लिए दे दी गयी हैं। उक्त दिनांक तक ३१७ प्रार्थना पत्रों की सनदें नहीं बन सकी थीं। उक्त ३१७ प्रार्थना-पत्रों में से अब २९० के संबंध में सनदें बनाई जा चुकी हैं। शेष २७ के संबंध में मामला विवाद ग्रस्त होने के कारण सनदें नहीं बनाई गईं।

श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या माननीय मंत्री १० गुना दाखिल करने के बाद सनदों को बनाने के लिए समय का निर्धारण करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

समय निश्चित करने का कोई प्रश्न नहीं है। वे जल्दी से जल्दी बन जानी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जो ९ महीने तक कृषकों को उनकी सनदें नहीं मिलीं और अत्यधिक देरी हुई तो क्या उन्होंने जिलाधीश को इस संबंध में कोई आवेदन पत्र भी दिये हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मुझे इस संबंध में इसकी सूचना नहीं है।

*९--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) --

[२८ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किया।]

उन्नाव जिले में छात्रवृत्ति देने में गलती

*१०--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्नाव जिले के कुछ राजपत्रित अधिकारियों के लड़कों व लड़कियों को वर्ष १९६५-६६ व १९६६-६७ में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति दी गई ? यदि हां, तो उन राजपत्रित अधिकारियों के क्या नाम व पद हैं और उनकी मासिक आय क्या है तथा उनके किस बार्ड को कितनी छात्रवृत्ति दी गई ?

श्री अनन्त राम जायसवाल---

जी हां।

(१) श्री विन्दा प्रसाद, एस० डी० ओ०, ४९५ रु० प्रति मास।

(२) श्री सतीश चन्द्र सोनकर जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी–३०७ रु० प्रति मास ।

श्री विन्दा प्रसाद की दो पुत्रियों को कु० शशि कुमारी कक्षा ६ को जुलाई, ६६ से जून ६७ तक का ७२ रु० तथा कु० आशा कक्षा १० को जुलाई ६५ से जून ६६ तक का १४४ रु० ।

श्री सोनकर के पुत्रश्री अरविन्द कुमार को कक्षा ६ में १९६५-६६ में ७२ रु० तथा कक्षा ७ में १९६६-६७ में ९६ रु० तथा पुत्री कु० पूनम को १९६५-६६ व १९६६-६७ में कक्षा ९ व १० में १४४ रु० प्रति वर्ष ।

श्री श्रीराम तिवारी---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब विभाग की ओर से आमदनी की एक सीमा निर्धारित है तो इन अधिकारियों के वार्ड्स को क्यों ये स्कालरशिप्स दिये गये ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह छात्र वेतन नियम के विरुद्ध निकाले गये थे और शासन की ओर से आदेश दे दिया गया कि इनको कैंसिल कर के धन राज्य कोष में जमा करा दिया जाय ।

श्री श्रीराम तिवारी---

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन अधिकारियों ने नियम विरुद्ध छात्रवृत्ति का रुपया निकाला उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गयी है यदि नहीं, तो क्या अब करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जो नियम थे उन्होंने उनका गलत अर्थ निकाला था। वह समझते थे कि शायद २५० रुपये मासिक आय का कायदा सिर्फ छात्रवृत्ति में है लेकिन छात्र वेतन में नहीं है। इसलिए जब उनको पूरी जानकारी करायी गयी उसके बाद यह आर्डर कैंसिल कर दिया गया ।

बी० टी० सी० प्रशिक्षण में भरती

*११---आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---

क्या यह सही है कि बी० टी० सी० के प्रशिक्षण में नवीन प्रशिक्षणार्थी ही भरती किये जाते हैं जब कि जिलापरिषदों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की सं या प्रभूत मात्रा में बनी हुई है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जी नहीं।

*१२---आचार्य दीपंकर

यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का कष्ट करेगी कि पुराने अप्रशिक्षित अध्यापकों में से कम से कम २५ प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी भरती किये जा ं ताकि धीरे-धीरे सभी अध्यापक प्रशिक्षित किये जा सकें ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

प्रश्न नहीं उठता। स्थानीय निकायों के अप्रशिक्षित अध्यापकों हेतु १० प्रतिशत स्थान बी० टी० सी० के चुनाव में सुरक्षित कर दिये गये हैं। यह संरक्षण मेरिट के आधार पर चुने ज ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों क अतिरिक्त है। उसके अतिरिक्त प्रदेश में १२ सेवारत प्रशिक्षण

केंद्रों तथा पत्र-व्यवहार प्रणाली द्वारा भी प्राथमिक पाठशालाओं के अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है ।

आचार्य दीपंकर---

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पिछली बार प्रशिक्षित अध्यापक मिल नहीं पाते थे इसलिए, अप्रशिक्षित अध्यापक बड़ी मात्रा में रख लिए गये थे और वे ५, ६, ८ सालों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं । इसलिए क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि कम से कम २५ प्रतिशत ऐसे अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, उनके लिए १० प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं । और यह स्थान उसके अतिरिक्त है जो मेरिट के आधार पर भर्ती किये जायेंगे । इसके अलावा जो सेवारत लोग ह उनके लिए प्रशिक्षण होता रहता है और पत्र-व्यवहार द्वारा भी उनको प्रशिक्षित करने की योजना चल रही है । इसलिए इससे ज्यादा स्थान सुरक्षित करने की आवश्यता अभी है नहीं ।

आचार्य दीपंकर---

यह देखते हुए कि ऐसे अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या बहुत अधिक है और मेरिट के आधार पर जो लिए जाते हैं उनके लिए यह नहीं देखा जाता कि अध्यापन कार्य करते हैंअथवा नहीं करते हैं, उनके लिए मेरिट ही देखी जाती है, इसलिए क्या उनकी इस योग्यता का कि उन्होंने इतने समय अध्यापन कार्य किया है, कुछ विशेष ध्यान रखा जायगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसीलिए १० प्रतिशत उनके लिए स्थान सुरक्षित हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि अप्रशिक्षित अध्यापकों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा संस्थाओं के लाभार्थ क्या वे उनके लिए रिजर्वेशन २५ प्रतिशत करने की कृपा करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, अगर देखा जाय तो कई योजनायें हैं इस संबंध में । एक तो दस प्रतिशत उनके लिए स्थान सुरक्षित हैं, दूसरे वे मेरिट के आधार पर भर्ती किये जाते हैं और इसके अतिरिक्त जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके प्रशिक्षण की योजना चल रही है और इसके अलावा पत्र-व्यवहार के द्वारा भी उनका प्रशिक्षण होता है । इन सब बातों को ध्यान में रख कर चला जाय तो मैं समझता हूं कि वह इससे ऊपर ही चला जायगा । इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी कोई ऐसा आम आदेश देने की कृपा करेंगे कि जो अप्रशिक्षित अध्यापक ३ साल या इससे ऊपर से अध्यापन कार्य कर रहा है, उन सबको प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी और उनको अनग्रेड होने के कारण निकाला नहीं जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस संबंध में सरकार ने पहले ही आदेश दे दिये हैं कि तीन साल नहीं, दो साल तक की सर्विस के जो लोग हैं उनको ही निकाला जायगा। उससे ज्यादा समय से जो कार्य कर रहे हैं उनको नहीं निकाला जायगा और धीरे-धीरे उनको प्रशिक्षित किया जायगा।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

पिछले तीन वर्षों से यह प्रथा थी कि सरकारी अफसर ट्रेनिंग के लिए चुन कर भेजते थे और वह बड़ी मात्रा में जिलों में मौजूद हैं और उनके बावजूद व्यक्तिगत आधारों पर अनट्रेन्ड अध्यापक नियुक्त किये गये हैं तो क्या शिक्षा मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जिन जिलों में ट्रेंड अध्यापक मौजूद हैं वहां अनट्रेंड अध्यापकों को अवश्य अलग कर दिया जाय ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

सरकार तो किसी नियम के अन्तर्गत काम करना चाहेगी। २ साल के ऐसे लोगों को हटाया जायगा।

श्री भुवनेशभूषण (जिला इटावा)---

क्या मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि यदि ट्रेंड अध्यापक मिलें तो अनट्रेंड न रखे जायं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यही आदेश हैं कि जबतक ट्रेंड खप न जायं तबतक अप्रशिक्षित न रखे जायं और इनको खपाने के लिए ही दो साल के लोग हटाये जा रहे हैं।

श्री रमावल्लभ मिश्र (जिला बरेली)---

क्या मंत्री जी घोषणा करेंगे कि जिला परिषदों में जो अनट्रेंड लोगों को भरती किया जाता है तो आज से ट्रेंड अध्यापक मिलने पर कभी भरती उनको नहीं किया जायगा और यदि किया जायगा तो जिला परिषद् के अध्यक्ष से प्रश्न पूछा जायगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैंने पहले ही निवेदन किया, कोई अतिरिक्त घोषणा की जरूरत नहीं है। इस नियम का पालन किया जायगा और माननीय सदस्य अगर कोई शिकायत शासन की नोटिस में लायेंगे तो कार्यवाही होगी।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

दो वर्ष सेवावधि वाले जिन अध्यापकों को हटाने के आदेश दिये हैं उनकी लगभग संख्या कितनी होगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसके लिए सूचना की आवश्यक । होगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि अनट्रेंड टीचर्स की अलग से योजना है और सरकार उसके लिए रुपया देती है ? ऐसी योजना के होते हुए क्या औचित्य है उसे बन्द करने का ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

ऐसे आदेश थे कि अगर प्रशिक्षित अध्यापक न मिल सकें तो अप्रशिक्षित रखे जायं लेकिन उनको कम से कम इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल पास होना चाहिए। अब इन नियमों में हो सकता है कि कहीं तोड़-फोड़ हुई हो।

*१३—श्री श्रीराम तिवारी—

[२८ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किया गया ।]

*१४—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

[२८ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किया गया ।]

*१५—श्री प्रेमदत्त—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

*१६—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

[२८ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किया गया ।]

*१७-१८—श्री हरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[२८ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किये गये ।]

प्रधानाचार्यों का स्थानान्तरण तथा बोर्ड की परीक्षा

*१९—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर), श्री रामायण राय, श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़) तथा श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केवल प्रधानाचार्यों के पदों को ट्रांसफरेबुल करने का ही विचार सरकार कर रही है इसका क्या कारण है जब कि माध्यमिक शिक्षक संघ संपूर्ण राष्ट्रीयकरण की मांग सरकार से करता रहा है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

प्रधानाचार्यों के पदों को ट्रांसफरेबुल करने के प्रश्न पर शासन विचार नहीं कर रहा है ।

*२०—श्री कृष्णानन्द राय, श्री रामायण राय, श्री मुक्तिनाथ राय तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि सरकार हाई स्कूल तथा इंटर की वर्तमान परीक्षा प्रणाली समाप्त करने जा रही है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी नहीं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

इस सदन में माननीय शिक्षा मंत्री ने इस नीति की घोषणा की कि प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापकों की पोस्ट प्राविन्शयलाइज करने जा रहे हैं तो माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों, जिन की बहुत दिन से मांग रही है कि उनकी पोस्ट को प्राविन्शियलाइज कर दें, इस पर विचार करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसमें वैधानिक तथा प्रशासनिक बाधायें हैं इसलिये शासन ने इस को स्थगित कर दिया था और तब से कोई पुनर्विचार इस पर नहीं हुआ ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जो ये वैधानिक बाधायें थीं उनके होते हुये भी शिक्षा मंत्री ने ऐसा ऐलान क्यों किया कि वह प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर्स की सर्विस को प्राविन्शयलाइज करन जा रह हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह दो चीजों को एक में मिलाया जा रहा है। सवाल है माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के बारे में और माननीय सदस्य प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या उपशिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से तथा इस सदन में यह घोषणा की है कि सरकार हाई स्कूल की जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उसमें परिवर्तन करने जा रही हैं....

श्री अध्यक्ष---

क्या आप किसी खास दिन की घोषणा का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

अपने बजट भाषण में ही शिक्षा मन्त्रीजी ने घोषणा की थी कि हाई स्कूल की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है उस को वह परिवर्तित करने जा रहे हैं। और आज उन्होंने कहा है कि कोई परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि आज जो उत्तर दिया है यह सही है या घोषणा वाली बात सही है ?

श्री अध्यक्ष---

ऐसा है कि आपका प्रश्न है कि "क्या सरकार हाई स्कूल तथा इंटर की वर्तमान परीक्षा प्रणाली समाप्त करने जा रही है" परिवर्तन करने जा रही है, यह नहीं है। इसका उत्तर उन्होंने दिया कि जी नहीं। आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---

वर्तमान परीक्षा प्रणाली जो हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट बोर्ड की है उस को समाप्त करके कुछ हाई स्कूलों के जिम्मे परीक्षा का प्रबन्ध सरकार करने जा रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान प्रणाली चलायी जा रही है या कोई नयी प्रणाली चलायी जायेगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उप मुख्य मन्त्री ने जो घोषणा की है कि वे १०० हाई स्कूलों को अलग करने जा रहे हैं तो उसका आधार क्या था जबकि अभी सरकार ने कुछ निश्चय नहीं किया है तो जो बजट स्पीच के सम्बन्ध में घोषणा की है, उसका क्या आधार है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षा परिषद के कुछ चुने हुए विद्यालयों को मुक्त किया जाय। प्रयोगात्मक रूप से तो उसी आधार पर कहा है और शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री नेकराम शर्मा---

मान्यवर, शिक्षा मन्त्री जी ने घोषणा की कि १०० स्कूलों के द्वारा परीक्षा करायेंगे और वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने जा रहे हैं और अभी कह दिया कि नहीं करने जा रहे हैं तो दोनों कन्ट्राडिक्शन है तो मैं जानना चाहता हूं कि हाई स्कूल इन्टरमीडियेट एजुकेशन बोर्ड को समाप्त करने जा रहे हैं या नहीं ? जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि वैधानिक कठिनाइयों के कारण नहीं करने जा रहे हैं तो वे क्या हैं ? मैं स्पष्ट घोषणा चाहता हूं कि बता दें कि क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

अभी मन्त्री जी ने यह कहा कि प्राइमरी टीचर्स के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में बताया कि वैधानिक कठिनाइयां हैं। आप दूसरा प्रश्न कर लीजिये।

श्री नेकराम शर्मा--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रिंसिपल्स की पोस्ट्स को राष्ट्रीयकरण करने में क्या वैधानिक कठिनाइयां हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, इस पर कानून विभाग से परामर्श लिया गया, तो सुप्रिम कोर्ट का जो केरल बिल के सम्बन्ध में डिसीशन हुआ है उस से राय दी है कि इस प्रदेश में अनेक मजहब की और अल्पभाषाई लोगों की संस्थायें चल रही हैं, और यह नियम लागू किया जायेगा तो संविधान क आर्टिकिल ३०(१) के विरुद्ध होगा। इस लिए इस मसले पर आगे विचार नहीं किया गया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर में ऐसी कठिनाई और उलझन पैदा हो गयी है कि जब हम सदन के बाहर जायेंगे, तो समझ में नहीं आयेगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में माध्यमिक परिषद है या परीक्षा की जो व्यवस्था है तो क्या चीज है। इस सदन में बिना निश्चय के कोई घोषणा की नहीं जा सकती, माननीय शिक्षा मन्त्री ने जो बजट के भाषण में एलान किया, माननीय मन्त्री ने कहा कि उस पर विचार हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि इस सदन में जो कैबिनेट की ओर से घोषणाएं होती हैं, वह मानी जायं या न मानी जायं ?

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि जो प्रश्न का उत्तर माननीय मन्त्री ने दिया उस से आप को सन्तोष नहीं हुआ। अगर सन्तोष न हो तो उसके लिए नियम हैं। उसके अन्तर्गत आप बात करें।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ऐलान मन्त्री जी ने इस सदन में किया वह कैबिनेट के किसी फैसले के आधार पर था या उन की अपनी राय थी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, जिस ऐलान का बार-बार जिक्र किया जा रहा है उस को मंगा लिया जाय, तब उत्तर ठीक से दिया जा सकता है। मैं ने बार-बार निवेदन किया इस तरह का अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में यह रेकमेंडेशन मौजूद थी उस पर विचार हो रहा है। जब कोई अन्तिम फैसला हो जायगा . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहनलाल गौतम का प्रश्न यह है कि जितनी घोषणा इस सदन में की गयी थी कैबिनेट के निश्चय के आधार पर की गयी थी या किसी की व्यक्तिगत राय थी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, अभी तक मन्त्रिपरिषद् का अन्तिम निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं हुआ है।

श्री राममूर्ति--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री, ने जिस शिक्षा आयोग का जिक्र किया, मोटे मोटे सुझाव उस के बतायेंगे जिस के आधार पर पुरानी पद्धति को बदल कर नयी पद्धति चला रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

शिक्षा आयोग की बहुत बड़ी रिपोर्ट है। उसमें तो समय लगेगा।

श्री रामायण राय--

क्या यह सही है कि शिक्षा आयोग की सिफारिश का जहां तक सम्बन्ध है उस आयोग की सिफारिश में यह कहा गया है कि जहां तक माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षा का प्रश्न है उसको मान्यता देते हुए केवल १०० स्कूलों को अलग परीक्षा लेने और सर्टिफिकेट देने का अधिकार प्रदान करेंगे, सारे प्रान्त की परीक्षा प्रणाली नहीं देने का उनका विचार है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

रेकमेन्डेशन में ऐसा है कि कुछ विद्यालयों को चुन करके उन को छूट दी जाय कि वह इस मामले में अपने इम्तहान चलायें, अपना पाठ्यक्रम निश्चित करें, अपनी पुस्तकों का इस्तेमाल करें। निश्चित संख्या ऐसी नहीं है बल्कि चुन कर के धीरे-धीरे कमेटी बना कर जांच करवायी जाय और अगर वह चाहें, तो ऐसी छूट उनको बराबर मिलती रहे।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों के ट्रांस्फर, परीक्षा में परिवर्तन और शिक्षा परिषद् में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सरकार कोई कमेटी बनाने जा रही है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, अभी ऐसा कुछ नहीं है।

श्री राम अचल सिंह सेंगर (जिला बहराइच)--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की परीक्षा पद्धति से असमानता उत्पन्न नहीं होगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उसमें यह भी है कि जो प्रमाणपत्र दिया जायगा वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा ही दिया जायगा उस विशिष्ट विद्यालय की संस्तुति पर। इसलिए यह स्कीम लागू की गयी तो कोई असमानता नहीं उत्पन्न होगी।

श्री मुक्तिनाथ राय--

माननीय मन्त्री ने यह कहा है कि मन्त्रि परिषद् ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया। तो भविष्य में बिना मन्त्रि परिषद् के कोई निर्णय हुए मन्त्रिमण्डल के सदस्य कोई घोषणा न करें ऐसी कोई व्यवस्था वह करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

ऐसा कैटागरिकली नहीं था कि बिना निर्णय के घोषणा की है, आप प्रश्न को परिवर्तित कर दें।

श्री मुक्तिनाथ राय--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिना मन्त्रि परिषद् से किसी बात का निर्णय हुये कोई मन्त्री जो वैसे ही उसकी घोषणा नहीं करेंगे भविष्य में ? क्या ऐसी कोई व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

बिना मन्त्रि परिषद से निर्णय हुए इस बात को मैं निकाले देता हूं, आप इसका जवाब दे दें कि बिना मन्त्रि परिषद् के कोई घोषणा नहीं होगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ऐसा ही नियम है और मैं समझता हूं कि शायद इसको तोड़ा नहीं जायगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में मौजूद हैं, तो उनकी तरफ से ही इस बात की घोषणा हो तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं वह यहां पर इस समय उपस्थित हैं, इसलिए इसमें उनकी राजी होगी।

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय उप मुख्य मन्त्री ने घोषणा की है कि १०० विद्यालयों को बोर्ड का प्रबन्ध देंगे जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करेगा और परीक्षाएं लेगा, दूसरी तरफ वह जवाब देते हैं कि हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडियेट बोर्ड का प्रबन्ध वह नहीं लेंगे। तो अभी तक आपकी कोई पालिसी तय नहीं है, सितम्बर अक्तूबर में फार्म्स भरे जाते हैं माननीय मन्त्री जी कब तक अन्तिम घोषणा कर देंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब फैसला हो जायगा तब घोषणा कर दी जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन १०० शिक्षा विद्यालयों को किसी नयी स्कीम के मातहत वह छांटने का इरादा रखते हैं, वह नयी स्कीम क्या है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैंने बार-बार निवेदन किया—अभी इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह नहीं है कि आपने निर्णय लिया है या नहीं, वह पूछते हैं कि आप जो १०० विद्यालय छांट रहे है, उसका क्या आधार है, मोटी सी उसकी रूपरेखा चाहते हैं ? संक्षेप में एक दो मिनट में कह दीजिये।

उप-मुख्य मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

श्रीमन्, इस योजना पर अभी विचार हो रहा है इसलिए उसकी पूरी रूपरेखा अभी तैयार नहीं है। जब तैयार होगी तो माननीय सदन के समक्ष आ जायगी।

श्री रामायण राय—

क्या माननीय उपमन्त्री ने केरल के कठिनाई का जिक्र किया तो क्या केरल की कठिनाई को देखते हुए अन्तिम रूप से शासन ने फैसला कर लिया है कि माध्यमिक शिक्षक संघ की राष्ट्रीयकरण वाली मांग वह स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इस समस्या की छानबीन की जा रही है, अभी कोई फैसला नहीं हो गया है।

गवर्नमेंट गर्ल्स इण्टर कालेज, हल्द्वानी, की प्रिन्सिपल के विरुद्ध जांच

*२१—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि तारीख २ जनवरी, १९६७ को जिला नैनीताल में हल्द्वानी के नागरिकों द्वारा गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टर कालेज, हल्द्वानी, की प्रिंसिपल के खिलाफ भेजा गया कोई आरोप-पत्र शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां, जांच हो रही है ।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय उपमुख्यमन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि डेढ़ महीना उन को आश्वासन दिये हुए हो चुका है और नागरिकों ने एक स्मरणपत्र भी उनको भेजा तो इस सम्बन्ध में कब तक जांच पूर्ण हो जायगी ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मान्यवर, इस सिलसिले में मंडल बालिका विद्यालय निरीक्षिका की रिपोर्ट प्राप्त हो चकी है, आडिट भी कराया जा चुका है, उस की रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र तैयार कराया जा रहा है और जल्दी ही इस प्रिंसिपल के खिलाफ उसको दे दिया जायगा और उसका स्थानान्तरण भी कर दिया गया है ।

श्री इन्द्रलाल—

उसका स्थानान्तरण हुआ हो लेकिन मेरी सूचना है कि उसने चार्ज नहीं दिया है । कब तक यह आरोप तैयार हो जायगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हो सकता है । एकाध दिन में हो जायगा ।

श्री चन्द्रबली—

उस आरोप-पत्र में मुख्य-मुख्य क्या आरोप लगाये गये हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आरोपपत्र शिक्षा निदेशालय में तैयार हो रहे हैं और यहां नहीं है । उसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

जिस आधार पर यह आरोप तैयार हो रहा है उसकी मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सरकारी धन का दुरुपयोग और दुर्व्यवहार, यह शिकायतें थीं जिनके सम्बन्ध में जांच हुई और कार्यवाही होने जा रही है ।

श्री इन्द्रलाल—

जब नवम्बर, १९६६ में मंडल बालिका विद्यालय निरीक्षिका, बरेली के पास शिकायत चली गयी थी तो आरोपपत्र तैयार करवाने में और उन्हें चार्जशीट दिलाने में इतने विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मेरे पास जो सूचना है वह अप्रैल से शुरू होती है। अप्रैल में ही यहां पर कुछ प्रार्थना पत्र आये जिन में वह तारीख का पत्र भी शामिल था। उसके पहले का कोई रिकर्ड यहां पर नहीं है।

*२२-२३—श्री ऊदल--

[२८ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किये गये।]

*२४--श्री इन्द्रलाल--

[६ठे सोमवार के लिए प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२५--श्री नाथूराम शिक्षक--

[२८ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किया गया।]

*२६--श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा)--

[२८ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किया गया।]

विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ की आर्थिक स्थिति

*२७—श्री बद्रीप्रसाद अवस्थी (जिला लखनऊ) तथा श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)—

क्या यह सत्य है कि विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ ने अपने मेन्टिनेंस तथा फन्ड से विद्यान्त एजुकेशन ट्रस्ट जिसकी अचल सम्पत्ति केवल चालीस हजार रुपया है १,६५,००० रुपये कर्ज दिया और अब आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के बाद कालेज सदा के लिए बन्द किया जा रहा है, जिससे अनेकानेक अध्यापकों और सैकड़ों विद्यार्थियों को बेरोजगारी और शैक्षिक हानि सुरन्त हो उठानी पड़ेगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

ट्रस्ट को डिग्री कालेज के फन्ड से ५६,४५०.८९ रु० का ऋण दिया गया। आंशिक भुगतान के पश्चात यह ऋण अब २९,४३७.४५ रु० रह गया है। कालेज के बन्द किये जाने की कोई सूचना सरकार को नहीं है।

*२८—श्री बद्रीप्रसाद अवस्थी तथा श्री शीतला प्रसाद सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६४-६५ में डिप्टी डाइरेक्टर की जांच और स्पेशल आडिट रिपोर्ट में उक्त कालेज में गम्भीर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनियमितताओं के कारण ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की सिफारिश की गयी थी और सरकार ने कालेज की ग्रान्ट भी बन्द कर दी थी ? यदि हां, तो अभी तक ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अनियमितताओं को दूर कराया जा रहा है। ग्रान्ट अस्थायी रूप से बन्द की गयी थी। ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की कोई सिफारिश नहीं की गयी थी।

श्री बद्रीप्रसाद अवस्थी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नियमों में है जिस से इस प्रकार का ऋण दिया जा सके ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

ऐसी व्यवस्था नहीं है और यह नियम टूटा था इस लिए आडिट कराया।

श्री बद्रीप्रसाद अवस्थी--

यह जो अनियमित भुगतान हुआ है इस की अदायगी की क्या सूरत है और कब तक यह अदा हो जायगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैंने यह कहा कि जो खामी है उसको दूर किया जा रहा है। उप निदेशक लखनऊ मण्डल ने जो रिपोर्ट भेजी है उस में उनका कहना यह है कि इस ट्रस्ट के पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिस से जो खामी की गयी है उस को दूर किया जा सके। इस पर विचार किया जा रहा है। अब शर्त लगाकर इन को अनुदान दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

यह जो रुपया बाकी है उसका भुगतान कितने समय में सम्भव है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उन्होंने जल्द एक मुश्त भुगतान होने की स्थिति में अपनी असमर्थता प्रकट की है। यह नहीं कहा जा सकता है कि कब तक यह हो जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद अवस्थी--

यह ऋण किस लिए लिया गया था ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जो सूचना मिली है उससे मैं यह कह सकता हूं कि केवल इमारत बनाने के लिए लिया गया था।

श्री भुवनेशभूषण--

क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह ऋण जो इमारत बनाने के लिए लिया गया वह उसमें ही खर्च हुआ या अन्य कार्य में खर्च हुआ ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें वह बताया गया है कि वह मकान बनाने पर ही खर्च किया गया है।

आर्य कन्या इण्टर कालेज, टांडा की अध्यापिका श्रीमती रामरती देवी का बकाया वेतन

*२९--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

श्रीमती शकुन्तला देवी आर्य कन्या इन्टर कालेज, टांडा के ग्रेड से सम्बन्धित आश्वासन समिति के २७वें प्रतिवेदन में उल्लिखित आश्वासन संख्या ३८५--६१ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि श्रीमती रामरती देवी, भूतपूर्व एम० एल० ए० को ३१ मार्च, १९६५ तक बकाया देने के आश्वासन के बावजूद अभी तक ६९९.४७ की धनराशि न देने के कारण क्या है ?

श्री राम प्रकाश--

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा छानबीन की जा रही है।

*३०--श्री बिपिन बिहारी तिवारी तथा श्री राज राजेश्वर--

(प्रश्नकर्त्ता द्वारा वापस ले लिया गया।)

*३१-३२—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—

[२८ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किये गये।]

चकबन्दी अधिकारी, मुखलिसपुर के विरुद्ध जांच

*३३—श्री सन्तू (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) तथा श्री बुधिराम (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि सी० ओ० मुखलिसपुर, बस्ती के विरुद्ध भ्रष्टाचार व जनता को परेशान करने की शिकायतें, दिनांक २५ अप्रैल, १९६७ तथा ५ मई, १९६७ को उन को दी गयी थीं और उक्त सी० ओ० के स्थानान्तरण के आदेश भी हो चुके थे? यदि हां, तो उनके अब तक अपनी जगह पर रुके रहने के क्या कारण हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सी० ओ० मुखलिसपुर, जिला बस्ती के विरुद्ध दिनांक २५-४-१९६७ व ५-५-१९६७ को दो शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे किन्तु उक्त सी० ओ० के स्थानान्तरण के कोई आदेश नहीं दिये गये थे। बाकी प्रश्न ही नहीं उठता है।

*३४—श्री सन्तू (अनुपस्थित) तथा श्री बुधिराम—

क्या मन्त्री जी इस की जांच करा कर उक्त सी० ओ० के स्थानान्तरण का आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच की जा रही है। सी० ओ० के स्थानान्तरण के बारे में निर्णय जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद लिया जा सकता है।

रायफिल क्लब, शाहजहांपुर की जमीन

*३५—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायफिल क्लब शाहजहांपुर बनाने के लिए जमीन आफिसर्स क्लब के नाम दी गयी या रायफिल क्लब के नाम?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह जमीन जिला रायफिल क्लब, शाहजहांपुर के नाम दी गयी है।

सलोन तथा ऊंचाहार विकास खण्डों में कुंए बनाने के लिए सहायता

*३६—श्री बलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले के सलोन और ऊंचाहार विकास खण्डों में वर्ष १९६६-६७ में कुल कितने व्यक्तियों को कच्चे कुयें खोदने की नकद सहायता प्रदान की गयी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

रायबरेली जिले के सलोन और ऊंचाहार विकास खंडों में वर्ष १९६६-६७ में कुल ५९८ व्यक्तियों को कच्चे कुयें खोदने के लिए नकद सहायता दी गयी।

*३७—श्री बलबहादुर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार उन व्यक्तियों और बने हुये कुओं की ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसमें उन बने हुये कुओं और व्यक्तियों के स्थान जाने जा सकें?

श्री उदित नारायण शर्मा--

सलोन और ऊंचाहार विकास खंडों में दी गयी नकद सहायता से जिन व्यक्तियों ने कच्चे कुयें खोदे उन व्यक्तियों तथा कच्चे कुओं की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७७-७९ पर)

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री वीरेश्वर त्यागी--

[२८ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किये गये।]

मेरठ जिले में सैनिकों के परिवारों को सहायता

३--श्री वीरेश्वर त्यागी (जिला मेरठ)--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत पाक युद्ध में शहीद हुये सैनिक अधिकारी अथवा जवानों के आश्रितों को मेरठ जिले में सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

सरकार द्वारा केवल महावीर चक्र विजेता स्वर्गीय मेजर आशाराम त्यागी की विधवा को ७५०० रु० का पुरस्कार दिया गया। अन्य शहीद जवानों तथा अधिकारियों को सहायता गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा दी गई जिनमें प्रमुख उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान सोलजर्स बेनीवोलेन्ट फंड राज्य नागरिक परिषद् हैं। सरकार द्वारा सात सैनिक परिवारों को भूमि देने में भी सहायता दी गई।

४-५--श्री वीरेश्वर त्यागी--

[२८ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किये गये।]

बी० टी० सी० नामिनेशन कमेटी के सदस्य

६--आचार्य दीपंकर--

क्या यह सही है कि शासन के लिये अर्धशासकीय पत्र संख्या घ-२२०३-१५-१९६६ दिनांक १३ मई, १९६६ के अनुसार गठित बी० टी० सी० नामिनेशन कमेटी में जिला परिषदों के अध्यक्ष जिला विद्यालयों के निरीक्षक और नार्मल स्कूलों में से ज्येष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य होते हैं और जिला विद्यालयों के उपनिरीक्षक सचिव तो होते हैं परन्तु सदस्य नहीं ?

श्री रामप्रकाश--

जी हां। राजकीय बी० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालयों में पुरुष अभ्यर्थियों के चुनाव हेतु जो नामिनेशन कमेटी होती है उसमें संबंधित जिल के जिला परिषद् के अध्यक्ष चेयरमैन• जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रशिक्षण विद्यालयों में से ज्यष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य तथा उप विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव होते हैं।

७--आचार्य दीपंकर--

क्या यह भी सही है कि बालिका विद्यालयों की जिला उप-निरीक्षिकायें इन कमेटियों की सदस्या होती हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्काल शासकीय आदेश द्वारा जिला विद्यालयों के उप-निरीक्षकों को भी सदस्य मनोनीत करेंगे ?

श्री रामप्रकाश--

जी हां। विद्यालय उप निरीक्षकों को सदस्य मनोनीत करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

तहसीलदार तिलहर के विचाराधीन मुकदमें

८—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिलहर जिला शाहजहांपुर के तहसीलदार की इजलास में कितने मुकदमें तीन महीने से अधिक विचाराधीन हैं और खाली तारीख डाल दी जाती है जिस से जनता में भयंकर असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तुरन्त मुकदमों के निपटारे के लिये आवश्यक आदेश देंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तहसीलदार तिलहर के न्यायालय में तीन महीने से अधिक का कोई माल का मुकदमा विचाराधीन नहीं है। छः फौजदारी के मुकदमें जरूर तीन महीने से ज्यादा पुराने फैसले होने को बाकी हैं। इनमें कोई बिला वजह तारीख नहीं दी जा रही हैं लेकिन फिर भी आदेश भेज दिये गये हैं कि इनको जल्द से जल्द निबटा दिया जाय।

आश्वासन समिति से दो सदस्यों का त्याग-पत्र

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक सूचना देनी है। कल मैंने दो कमेटियों के गठन की घोषणा की थी उसमें से मेरे पास दो माननीय सदस्यों ने अपने इस्तीफे भेजे हैं। एक तो श्री धर्मवीर जी ने आश्वासन समिति से त्याग पत्र भेजा मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उनके स्थान पर श्री रामचन्द्र मुजफ्फरनगर को मनोनीत कर दिया।

दूसरा श्री सुरेन्द्र विक्रम ने त्याग पत्र भेजा है इसी आश्वासन समिति से उसको भी मैंने स्वीकार कर लिया।

उनके स्थान पर मैंने श्री राममूर्ति अंचल की नियुक्ति की है।

प्रदेश में किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूल करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(वक्तव्य के लिये खाद्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, वक्तव्य की प्रति अभी-अभी मिली है इसको तो अभी देखने का भी अवसर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

यह तो वक्तव्य है जिसका पहुंचना आवश्यक नहीं है। वह पढ़कर भी सुनाया जा सकता है और ऐसा करना नियम विरुद्ध नहीं होगा। लेकिन सुविधा के लिये वह माननीय सदस्य के पास भेज देते हैं। विषय की जानकारी तो हो गयी आपको फिर इस पर तो पूरक प्रश्न भी नहीं होते।

खाद्य मंत्री (श्री मारखंडेराय)—

उत्तर प्रदेश रबी के खाद्यान्नों की वसूली (उत्पादकों से उगाही) आदेश, १९६७ के अन्तर्गत उत्पादकों को उगाही की मात्रा खरीदारी केन्द्र पर २५ अप्रैल से १५ जून के बीच सरकारी एजेन्ट को बेचना था। १५ जून तक जिन उत्पादकों ने अनाज नहीं दिया था उन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता था और ३ साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता था। परन्तु खरीदारी देर से आरम्भ

[श्री झारखंडेराय]

होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि जिन उत्पादकों ने १५ जून तक उगाही नहीं दी है उन पर मुकदमा न चलाया जाय और उनको ३० जून, १९६७ तक उगाही देने का अवसर दिया जाय। साथ ही साथ कलक्टरों को यह भी अधिकार दिया गया कि वह बकायेदारों के घर से उगाही की मात्रा निर्धारित मूल्य देकर अन्न कब्जे में ले सकते हैं। तदनुसार उत्तर प्रदेश रबी के खाद्यान्नों की बसूली (उत्पादकों से उगाही) आदेश, १९६७ में निम्न संशोधन कर दिया गया।

"(२क) १५ जून १९६७ के पश्चात् किसी समय कलेक्टर के लिये यह वैध हो कि किसी उत्पादक के कब्जे या अभिरक्षों से रबी के खाद्यान्नों की ऐसी राशि जब्त कर ले जो कि उसके द्वारा देय उस उगाही के अथवा उसके भाग के बराबर हो जो दी न गई हों और उस व्यक्ति को जिस के पास से खाद्यान्न की जब्ती की जाय, खाद्यान्न का वसूली मूल्य दे दे। कलेक्टर ऐसी जब्ती के लिये ऐसी सहायता ले सकता है जो वह उचित समझे। जब्ती द्वारा रबी के खाद्यान्न की प्राप्ति स्वीकार करने के लिये एक वाउचर अनुसूची १ में दिये गये प्रपत्र में जारी किया जायेगा। जिसमें शब्द "जब्ती द्वारा" बढ़ा दिये जायंगे और उस पर क्रय एजेन्ट के बजाय कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर किये जायंगे।"

"(२) (ख)—उपखंड (१) में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उपखंड (२क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उपखंड (१) द्वारा नियत समय के भीतर किसी उत्पादक द्वारा देय उगाही न देने के कारण उस पर ३० जून १९६७ तक कोई अभियोग नहीं चलाया जायेगा और यदि कोई उत्पादक १५ जून और ३० जून १९६७ के बीच किसी समय अपने द्वारा देय उगाही को खंड ३ के उपखंड (१) के अनुसार देने के लिये लाये तो उक्त उपखंड के शेष उपबन्ध उगाही देने के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस खंड के उपखंड (१) द्वारा नियत समय के भीतर कोई उगाही देने पर लागू होते और यह विलम्ब माफ कर दिया गया समझा जायेगा।"

बकायादार के घर से अनाज लेने के बारे में अधिकार के प्रयोग संबंधी यह आदेश दिया गया है कि इसका प्रयोग यदा कदा तथा बुद्धिमत्तापूर्वक किया जाय।

यद्यपि कानूनन इसकी कोई आवश्यकता न थी तब भी अधिक से अधिक सुविधा देने के लिये ३० जून, १९६७ तक जिन उत्पादकों ने उगाही की मात्रा नहीं दी है उनको फिर नोटिस दी जा रही है कि वे अपनी उगाही की मात्रा १० दिन के अन्दर दे दें नोटिस मिलने के बाद उत्पादक उगाही न देने के संबंध में जिलाधिकारी को अपनी कठिनाई बता सकता है और यदि जिलाधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि वास्तव में उत्पादक उगाही देने में असमर्थ है तो वह उसे पूर्णतया या आंशिक रूप में माफ कर सकता है। इस प्रकार सरकार किसी भी उत्पादक से अनाज न तो जबरन वसूल करना चाहती है और न उन पर मुकदमा ही चलाना चाहती है। अगर कोई कार्यवाही की जा रही है तो उन्हीं उत्पादकों के विरुद्ध जो धृष्टता पूर्वक रबी खरीदारी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और उगाही देने में तरह तरह की कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं।

जिन जिलों का माननीय सदस्यों ने अपनी नोटिस में जिक्र किया है जुल्म और अत्याचारों के साथ गल्ला वसूली की जा रही है उनके विषय में जिलेवार स्थिति निम्न प्रकार है—

कानपुर—श्री बाबू खां टाउन एरिया कमेटी अकबरपुर के सदस्य हैं वे तथा उनके भाई को ८ क्विंटल अनाज देना था। इन लोगों ने स्वेच्छा से २८ जून तक १.५० क्विंटल रबी अनाज दे दिया था। इसके बाद जब तहसीलदार उनके घर गया और इन उत्पादकों से उगाही देने के लिये कहा तो उन लोगों ने स्वेच्छा से सब बाकी अनाज की मात्रा ३० जून, १९६७ तक दे दिया। इनके घरों की कोई तलाशी नहीं ली गई और न तो तहसीलदार के साथ कोई सिपाही ही गया था।

श्री मैकूलाल सिंह और ओम प्रकाश : ग्राम अधेरा को ३० क्विंटल उगाही देनी थी। उन लोगों ने २९ जून, १९६७ तक ४.७५ क्विंटल अनाज दिये थे। बाकी उगाही की मात्रा में

ये लोग घुने हुये अनाज देना चाहते थे इसलिये परगनाधीश ने केवल पुलिस सब इंस्पेक्टर अकबरपुर की सहायता से श्री मैकूलाल के घर की तलाशी ली और तलाशी में एक बखरी में नये फसल के अच्छे किस्म का गेहूं पाया गया जिसमें से ८.२५ क्विंटल बाकी उगाही की मात्रा ले लिया गया तथा इसका मूल्य श्री मैकू लाल को भुगतान कर दिया गया। परगनाधीश तथा पुलिस सब इंस्पेक्टर ने मैकूलाल तथा उनके परिवार के सदस्यों को कुछ भी नहीं कहा। जनता में कोई असंतोष और क्षोभ नहीं है। पुलिस के आतंक की बात बिलकुल आधार रहित है। पूरे जिले में केवल ५२ उत्पादकों से ३९०.२७ क्विंटल अनाज अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार जब्त किया गया है। कुल खरीदारी के अनुपात में इसका भाग नगण्य है। खरीफ फसल की बोआई पूरे जिले में मौसम के अनुसार सामान्य तौर पर हो रही है।

नैनीताल—जिले का जो क्षेत्र ओले तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित हुये थे उन क्षेत्रों को लेवी से काफी सुविधा दी गई तथा गरीब उत्पादकों का पूरा ख्याल रखा गया उत्पादकों ने ६२,१४७ क्विंटल उगाही के विरुद्ध ४१,१३५ क्विंटल अनाज स्वेच्छा से ३० जून, १९६७ तक दे दिया था। अधिकांश स्थिति में उत्पादकों ने जब्ती की नोटिस देने पर अपने आप उगाही दे दी। ३० जून, १९६७ के बाद साधारण तौर पर २,१३७ क्विंटल अनाज वसूल किया गया है। केवल पूरे जिले में ५५ उत्पादकों से ४३१ क्विंटल अनाज जबरन दाम देकर लिया गया। परन्तु यह भी नोटिस दे कर किया गया। किसी व्यक्ति को बन्दूक का लाइसेन्स समाप्त करने के लिये धमकी नहीं दी गई। भयावह स्थिति तथा आतंक की बात बिलकुल असत्य तथा आधार रहित है।

इलाहाबाद—जिले में रबी खरीदारी के लिये न तो पुलिस शक्ति का प्रयोग किया गया है और न किसी से जबरदस्ती अनाज वसूल किया गया है। बन्दूक का लाइसेन्स भी कोई समाप्त नहीं किया गया है और न किसी उत्पादक के ऊपर १०७/११७ धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। तकावी भी बाजार से अनाज खरीद कर सरकार को गल्ला देने के लिये नहीं दी गई है।

बलिया—यहां भी न तो पुलिस शक्ति का प्रयोग किया गया है और न लाइसेन्स समाप्त किया गया है। किसी उत्पादकों के ऊपर १०७/११७ धारा के अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया गया है। केवल २५ उत्पादकों के घरों की तलाशी अनाज जब्त करने के लिये ली गई परन्तु उत्पादकों ने स्वयं अनाज ले आकर के उगाही की मात्रा दे दी। इनसे केवल १९४ क्विंटल अनाज की वसूली की गई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इलाहाबाद बेंच में केवल ३ याचिकायें प्रतापगढ़ तथा इलाहाबाद के उत्पादकों की ग्रहण (Admit) की गई हैं। परन्तु इस पर कोई अन्तरिम आदेश (Stay) नहीं हुआ है। इसी प्रकार की याचिकायें लखनऊ बेंच में भी दाखिल हुई हैं परन्तु इनका असर उत्तर प्रदेश रबी के खाद्यानों की वसूली (उत्पादकों से उगाही) आदेश, १९६७ के ऊपर अभी तक नहीं पड़ा है। एक याचिका में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से उगाही की वसूली को रोकने के लिये प्रार्थना की गई थी परन्तु सर्वोच्च न्यायायल ने वसूली के स्टे (Stay) की प्रार्थना नामंजूर कर दी है।

उपर्युक्त से यह विदित है कि न तो न्यायालय द्वारा ही अभी तक उगाही की वसूली को रोकने के लिये कोई आदेश दिया गया और न पुलिस शक्ति का ही प्रयोग किया जा रहा है। उत्पादकों के साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है बल्कि उत्पादकों को बाकी उगाही देने के लिये यथासंभव सुविधायें तथा मौका दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर कोई प्रश्न तो नहीं होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तीन चार बातें कहीं। एक तो यह कि किसी की बन्दूक नहीं ली गयी दूसरे किसी पर ज्यादती नहीं हुयी पुलिस के द्वारा और माननीय मंत्री जी ने खुद

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

मंजूर किया है कि उन्नाव में पुलिस के साथ गये और हल्द्वानी में भी पुलिस के साथ गये। तो पुलिस के साथ क्यों जाना पड़ता है कब आना पड़ता है यह सभी को स्पष्ट है। इसलिये दो चार सवाल नहीं होंगे तो स्थिति अस्पष्ट रह जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

अगर नियम ५१ के अन्तर्गत मैं इसे स्वीकार करता तो १०-२० मिनट का समय विवाद के लिये देता लेकिन अब आपको मैं ५ मिनट का समय देता हूं। इसमें आप केवल प्रश्न कर लीजिये जितना कर सकते हों। इससे ज्यादा की अनुमति मैं नहीं दूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी को पता है कि तराई भावर के श्री बद्रीनारायण मिश्र जी भूतपूर्व एम० एल० ए० व हतई चौर गांव के सभापति श्री हेमानन्द बुमका तथा और कई लोगों ने प्रार्थना पत्र लिख कर भेजा है कि उनके पास जो भी गल्ला था वह सब लेवी के नाम पर ले लिया गया और वे आज बाजार से गल्ला खरीद कर खा रहे हैं? जिस तारीख को मैंने नोटिस दी उसी तारीख की चिट्ठी है और बुमका जी ने माननीय मंत्री जी के पास भी चिटठी भेजी है कि उनके घरों में घुस कर सब अनाज ले गये इस तरह की शिकायत उनके पास आयी है? इसी तरह से इलाहाबाद के चरवा गांव में भी पी० ए० सी० के सिपाही गये और जब किसानों ने गल्ला नहीं दिया तो वे उनके घरों में घुस कर गल्ला ले आये?

श्री झारखंडे राय—

मान्यवर, इतनी विस्तृत सूचना जितना कि वक्ता महोदय चाहते हैं मेरे पास इस समय नहीं है लेकिन मैं इतना बतला दूं कि यदि कोई शिकायत गल्ला वसूली के सिलसिले में ज्यादती की आती है तो उसकी जांच पड़ताल भी की जाती है और विशेष करके मैं ऐसी शिकायतों पर विशेष ध्यान दे कर जांच करवाता हूं और उनसे रिपोर्ट भी मांगता हूं। पुलिस ने गल्ला वसूली में कोई खास सख्ती की हो मैं नहीं जानता लेकिन गल्ला वसूली के सिलसिले में कोई मार-पीट या जबरदस्ती घर में घुसने की बात मेरी नोटिस में नहीं आयी है। जिन जिलों के संबंध में बतलाया गया उनकी इतनी बड़ी आबादी में कहीं २२ कहीं २८ कहीं १३ आदमियों पर कार्यवाही की गई है तो यह खुद इस बात का सबूत है कि गल्ला वसूली की यह नीति कितनी उदारतापूर्वक चलायी जा रही है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

मैं माननीय खाद्य मंत्री जी को निमंत्रण देता हूं वह मेरे साथ कानपुर चलें और मैं उनको दिखाऊंगा कि वहां पर किस तरह की ज्यादतियां हुई हैं।

श्री अध्यक्ष—

हमारी परिधि इस समय बड़ी सीमित है, इस समय कोई काउन्टर वक्तव्य नहीं होना है, इस पर प्रश्न का मौका नहीं था, लेकिन केवल स्पष्टीकरण का मौका मैंने दे दिया है। आप प्रश्न कर लें।

श्री रघुनाथ सिंह—

अभी मंत्री जी ने कहा कि लोगों को गल्ला जमा करने का दस दिन का समय और दिया गया है, जिन्होंने पहले अपनी आपत्तियां की थीं और उनका निराकरण नहीं हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका लोगों को अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है?

श्री झारखंडे राय—

मुझे तो ऐसी आशा थी कि इस स्कीम के विषय में शुरू से ही उधर के बैठने वाले भाइयों से प्रशंसा मिलेगी क्योंकि इस बुनियादी बात को इस सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों को नहीं भूलना चाहिये कि केवल ३.६ प्रतिशत किसानों पर ही यह लेवी लागू की गई है। अब उन को दस दिन का समय और दिया जा रहा है, वह आपत्तियां दे सकते हैं या इस बीच में गल्ला दे दें या अगर कोई गलती अधिकारियों से हुई है तो वह पूरेतौर से या आंशिक रूप से मना कर सकते हैं। इससे ज्यादा उदारता और क्या हो सकती है कि ९६.४ प्रतिशत किसानों को छोड़ दिया गया है केवल ३.६ प्रतिशत किसानों पर ही इसका प्रभाव है। इसके लिये सरकार कैसे दोषी ठहराई जा सकती है?

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मंत्री जी जब एक विषय के ऊपर अपना वक्तव्य दे चुके हैं तो जब स्पष्टीकरण होने लगे तो क्या वह उस विषय पर दूसरा वक्तव्य और उसकी पुनरावृत्ति करते हुये कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझ नहीं सका कि जब मैं अनुमति दे दूंगा तो दो ही बातें होंगी, या तो वह स्पष्टीकरण में कुछ ऐड करेंगे जो उसके अलावा होगा या पुनरावृत्ति होगी उसकी जो कहा गया है।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या यह सही है कि १९ अप्रैल, ६७ को मेसर्स दौलत राम शिवराम, ग्राम पानपुर हल्द्वानी पर जो लेवी १५ क्विन्टल की लगाई गई थी और उसके बाद जब उन्होंने २ क्विंटल गल्ला जमा कर दिया था फिर भी उसके बाद २१ क्विंटल की लेवी निश्चित की गई बावजूद इसके कि वहां पर ५० प्रतिशत ओलों से नुकसान हुआ था?

श्री झारखंडे राय—

जो प्रश्न अभी किया गया है उसकी पूरे विस्तार से मेरे पास इस समय सूचना नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय में लिखित दे दे, अगर गड़बड़ी हुई होगी तो उचित कार्यवाही की जायगी और अगर नाजायज बात होगी तो छुड़वा दिया जायगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में चरवा चैल तहसील और मदवा ककरोडा तहसील सिराथू में तकावी दे रहे हैं। उस तकावी को दिया नहीं। बाद में तकावी से गल्ला खरीदकर जो बाजार का भाव था उसका हिसाब दिखा कर गल्ल की वसूली दिखा दी गयी। तो क्या माननीय खाद्य मंत्री इस बात की जांच कराने को तैयार हैं?

श्री झारखंडे राय—

श्रीमन्, यदि प्रश्नकर्ता मुझे लिखकर दे दें तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा और जहां तक होगा निष्पक्ष जांच करवा लूंगा।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं यह गुजारिश कर रहा हूं कि हमें हर प्रश्न के जो उत्तर हैं उन्हें उसकी परिधि के सामने रखना है। नियम ५१ व ५२ की सूचनाओं पर प्रश्न करने की अनुमति होती है और उसमें साधारणतया १०–२० मिनट चर्चा होती है। अधिकाधिक आधे घंटे तक का समय हो सकता है। प्रस्तुत विषय न नियम ५१ और न नियम ५२ क अन्तर्गत आता है, फिर भी मैंने माननीय

[श्री अध्यक्ष]

सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वक्तव्य दिला दिया और वक्तव्य में एक विस्तृत सूचना ४ पृष्ठों में आ गयी है। यहां पर मेरी कठिनाई यह है कि मैंने जो ३ प्रश्नकर्ता थे, उन सब को प्रश्न करने की अनुमति दी। अगर आपके उत्तर नहीं आये हैं तो मैं मजबूर हूं। जितना नियमानुसार मैं समय दे सकता था उतना मैंने दिया।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)—

श्रीमन्, लेवी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आज कल बुआई का टाइम चल रहा है। लेवी के आर्डर्स वापिस नहीं लिए गये हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें बहस क लिए ८–१० मिनट और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि लेवी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज कल बजट पर वाद-विवाद चल रहा है। राजस्व की मांगों के सम्बन्ध में आज और कल दोनों दिन चर्चा होगी तो उसम आप इसको ले सकते हैं लेकिन जो प्रश्न हमारे सामने है, उसकी सीमित परिधि होन के कारण मैं उसमें कोई प्रश्न करने की इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री चेतराम पचपेड़ा—

श्रीमन्, इस पर ५ मिनट का ही समय दे दीजिए। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने काश्तकारों को सुविधा दी हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या सुविधायें दी ह?

श्री अध्यक्ष—

मेरी कठिनाई यह है कि अगर मैं एक माननीय सदस्य के कहने पर ५ मिनट का समय दूं या एक माननीय सदस्य को प्रश्न करने के लिए इजाजत दूं, तो फिर दूसरे माननीय सदस्यों को मैं कैसे मना कर सकता हूं?

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आपने जिस नियमावली के अन्तर्गत बयान दिलाया और जब प्रश्न पूछने की इजाजत दी तो वह नियम ५२ के अन्दर आ गया। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर पूरी बहस करा दें। आप को पूरी बहस होने का मौका देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्रबली जी, मैं आपका आभारी हूं कि यदि आपके ऐसे ही विचार होंगे तो मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। मैं जो वक्तव्य दिलाने की गलती करता हूं भविष्य म नियमों का ठीक से पालन करने का प्रयत्न करूंगा।

देखिये ऐसा है कि वक्तव्य हो गया उसके बाद नियम ५१ की परिधि के में बाहर चला गया उसमें भी जितनी चर्चा होती उस से अधिक हो गयी इसम। अब अगर इसे आप विशेष महत्व, का समझते हैं तो वाद विवाद में कहियेगा।

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

मैं अब अनुमति नहीं दूंगा।

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—

मैंने उस दिन हाउस में कहा था कि हमारे यहां काश्तकारों को मारा गया, गालियां दी गयीं अफसरान द्वारा...

श्री अध्यक्ष—

अगर इस तरह की कोई कठिनाई है तो आप अल्प सूचित प्रश्न द्वारा पूछिये। मैं आपको उसका रास्ता बता रहा हूं। मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता कि जिस तरह आप की इच्छा हो उस तरह का उत्तर आये।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

मान्यवर, आप मंत्रियों से वक्तव्य दिला कर हमारी सहायता करते हैं। माननीय चन्द्रबली के उकसाने में आकर इस प्रयोग को बन्द मत कीजियेगा।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, १९६७

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, १९६७ को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और रभवन कर (निरसन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वरमेश्वर पांडेय—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि-भवन कर (निरसन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८० पर)

१९६७-६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—बृहत् जोतकर

श्री अध्यक्ष—

आप पहले अनुदान प्रस्तुत कर दीजिये। उसके बाद दूसरा कर के भाषण दे दीजियेगा, यदि आप देना चाहें तो।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १—बृहत् जोत कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति क लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,१७,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १—बृहत् जोत कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,१७,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २—भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २-भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,१७,१०,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

तथा

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,२१,१०,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर राजस्व अनुदान के सिलसिले में बहुत दिनों से भूमि के लगान के सम्बन्ध में चर्चा चलती आ रही है। इसलिये मैं सबसे प्रथम उसी के बारे में निवेदन करूंगा। इस सरकार के ऊपर कभी-कभी यह आरोप भी लगाये गये हैं कि बावजूद इसके कि १९ सूत्री कार्यक्रम में यह कहा गया था कि हम काश्तकारों को लगान में सुविधा देंगे ऐसा मालुम होता है कि यह सरकार इधर-उधर कर रही है और इस काम को नहीं करना चाहती है। यह बजट पेश हुआ था तो उसमें जिक्र नहीं था इसलिये उस समय भी यह कहा गया कि बजट में इसका जिक्र इसलिये नहीं किया गया है क्योंकि यह सरकार उस काम को करना नहीं चाहती। यह भी आरोप लगाया गया था कि यह सरकार कोई समाजवादी कार्य नहीं कर सकती क्योंकि यह सरकार कुछ ऐसे दलों से बनी है कि जिनके जरिये यह सम्भव नहीं है कि कोई इस तरह का कदम उठाया जा सके। उसके प्रमाण में यह बात ज्यादातर कही गयी थीं कि भूमि-भवन कर माफ कर दिया गया लेकिन जहां तक काश्तकार को लगान में छूट का सम्बन्ध है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आरोप भी लगाया गया कि यह एक प्रतिक्रियावादी कदम था लेकिन मेरी राय में यह इसलिये प्रतिक्रियावादी कदम नहीं था कि अगर आप मुज्जफरनगर कांग्रेस के प्रस्ताव को देखेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि हम भूमि-भवन कर माफ करेंगे। अब अगर उधर के लोगों ने यह बात ऐलान कर दी थी तब तो वह प्रगतिशील हो जाती लेकिन अगर इधर के लोगों ने उसे कर दिया और भूमि-भवन कर माफ कर दिया तो वह प्रतिक्रियावादी हो जाती है।

इससे पहले भी इस सदन में यह निश्चय पूर्वक कहा गया था कि हम लगान में छूट देंगे और यह हमारा प्रथम पावन कर्तव्य है और यह हमारा वायदा है जिसे हम निश्चयपूर्वक पूरा करेंगे। यहां पर २७ जून को भाषण करते हुए मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि उनका यह इरादा है कि ५ वर्ष में क्रमशः मालगुजारी को उनकी सरकार समाप्त कर देगी। इस वर्ष हम क्या करेंगे और पांच साल में उसकी रूपरेखा क्या होगी वह रूपरेखा शासन के पास उस समय नहीं थी। इसलिये उसका एलान उस समय नहीं हुआ था। मान्यवर, उसका फैसला इस सरकार ने ले लिया है और उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस सरकार ने यह निश्चय किया है कि मुख्य मंत्री जी की इस घोषणा के अनुसार पहली किस्त के रूप में छोटी जोत के काश्तकारों को सुविधायें दी जायंगी। दो रुपये वार्षिक से ऊपर दी जाने वाली मालगुजारी में आधे की छूट दी जायगी।

(शेम शेम के नारे)

131846

श्री अध्यक्ष—

अब आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये कुछ नारा लगा कर अब आगे सुनिये।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, इसके पहले कि मैं और कुछ कहूं हमारे माननीय दोस्तों ने मुझे मजबूर कर दिया एक बात कहने के लिये और वह यह कि बीस साल से घोषणा करते करते...

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यह व्यवधान थोड़ी देर तक तो अच्छा लगता है उसके बाद ज्यादा अच्छा नहीं है।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैं बड़ी नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रजातन्त्र की आधारभूत शिला है कि इस सदन में हम अपना काम विवाद और चर्चा के जरिये करें अगर छोटे में मैं डेमोक्रेसी की डेफिनीशन दूं तो यह है। विवाद और चर्चा से इस तरह का जो हल्ला उधर से मचाया जाता है, दुश्मनी है।

(अत्यधिक शोर)

श्री भुवनेश भूषण (जिला इटावा)—

मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि मुझे भी बहुत दिन बैठते हो गये। विरोधी दल के माननीय सदस्य जैसा काम कर रहे हैं और कोई बात सुनने नहीं देते तो क्या यह उचित है?

श्री अध्यक्ष—

आप इस सदन के पुराने मेम्बर हैं।

(व्यवधान)

श्री भुवनेश भूषण—

श्रीमन्, हम आपकी व्यवस्था सुन नहीं पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं लेकिन जो अव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित हुई तो सुझाव देना चाहता हूं कि जब कोई मंत्री जो बोलें या नेता सदन बोलें तो मुनासिब नहीं है कि उसके बीच में रोक-टोक की जाय। यह अच्छा होगा कि उनकी बात सुनें और जो कुछ उन्हें कहना हो कहें। ऐसा ही उधर के लोग भी बरतें। जब हमारे नेता विरोधी दल अथवा और कोई लोग बोलें तो बीच में टोकटाक न हो और शान्ति से बात सुनने के बाद उत्तर दिया करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं बहुत आभारी हूं माननीय कमलापति जी त्रिपाठी ने जो विचार व्यक्त किये हैं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसमें सदन की गरिमा और महिमा बढ़ती है, जो भी विचार कोई व्यक्ति ने ता सदन या नेता विरोधी दल व्यक्त करते हों तो चाहे अप्रि क हों चाहे कटु हो, अगर सुन लिये जायं तो बहुत सुन्दर व्यवस्था रहेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय कमलापति त्रिपाठी, जो बहुत दिनों से सदस्य रहे हैं, ने जो प्रार्थना की है उसमें इधर और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य सहयोग देने का कृपा करेंगे।

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, हमारी व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय उपाध्यक्ष का स्थान उधर नियत है। लेकिन जब उपाध्यक्ष आते हैं तो उनको मजबूर होकर दूसरी जगह पर बैठना पड़ता है क्योंकि वहां दूसरे माननीय सदस्य बैठ जाया करते हैं तो कृपया आप व्यवस्था दें कि उस स्थान पर दूसरे सदस्य बैठेंगे या उपाध्यक्ष बैठेंगे?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सुखदेव प्रसाद जी आप की बात ठीक है और मैं आवश्यक व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन इतनी छोटी सी बात का सदन में जिक्र करने के बजाय मेरा ध्यान आकर्षित कर देते तो अच्छा होता।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने कम से कम इतना तो सब्र किया होता कि मैं जो कुछ कहना चाहता था उसे पूरा सुना देता। मैं यह कह रहा था और उनको धैर्य के साथ सुन लेना चाहिये था। (व्यवधान) मैं सरकार का निर्णय आपके सामने रख रहा हूं। दो रुपये वार्षिक के ऊपर दी जाने वाली मालगुजारी में आधी छूट दी जायेगी। उदाहरण के लिये यदि किसी व्यक्ति के द्वारा मालगुजारी १० रुपया है तो चार रुपये कम हो जायेंगे और उसको ६ रुपये मालगुजारी देनी पड़ेगी। यह रियायत उन खातेदारों को प्राप्त होगी जो अपने अधिकार में २७-६-६७ को प्रदेश में सवा छः एकड़ तक भूमि के खातेदार हों। यह रियायत उन लोगों को भी मिल सकेगी जो २७-६-६७ के बाद विरासत द्वारा खातेदार होंगे और भूमि के सम्बन्ध में सवा छः एकड़ की शर्त पूरी करते होंगे।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

मैं इसको समझा नहीं, कृपया समझा दें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

ऐसे खातों में जिनमें अधिक व्यक्ति सम्मिलित हों इस रियायत के संबंध में प्रत्येक खातेदार का अलग-अलग हिस्सा निकालकर देखा जायेगा।

(इस समय १२ बजकर ४४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुए।)

इसका कार्यान्वयन उस दिनांक से होगा जो इस संबंध में बनाये जाने वाले अधिनियम में निहित किया जायगा।

हमने सवा छः एकड़ तक भूमि रखनेवाले काश्तकारों को आधी छूट दी है। उसमें केवल एक शर्त लगायी है कि दो रुपये तक जो जमीन का लगान है उसमें कोई छूट नहीं है इसके ऊपर जो लगान है सवा छः एकड़ तक हो उसमें आधी छूट है। एक खाते में कभी कभी एकसे अधिक काश्तकार हुआ करते हैं। इसलिए हमने यह भी निर्णय किया है कि एक खाते में चार हिस्सेदार हैं तो हर एक की जमीन को अलग-अलग निकाल करके देखा जायगा और हर एक को सवा छः एकड़ तक पाने का हक होगा। इसी तरह से इसके बाद २७ तारीख के बाद भी ऐसे काश्तकार हो सकते हैं जो नये काश्तकार हों, जिनको जमीन मिले, अपनी विरासत की वजह से उनको भी हक हासिल होगा। सिर्फ शर्त यही है कि सवा छः एकड़ से अधिक के कहीं होंगे, कम के होंगे। लेकिन इनके अलावा जमीन को अगर बांटा जायगा तो उनको अधिकार नहीं होगा, उनको यह रियायत हासिल नहीं होगी। ऐसे कानून जब भी बनाये जाते हैं उनमें हमेशा इस बात का खतरा हुआ करता है कि लोग इस बात की कोशिश करें कि मालगुजारी से बचने के लिए सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत तौर पर जिनको शैम, कलूसिव कहते हैं, ऐसी कार्यवाहियां करें और अपनी जमीन को बांट लें। अगर ऐसे लोगों को सहूलियतें प्राप्त हो जायं तो, उनको ऐसा करने दिया जाय तो मालगुजारी ही समाप्त हो जायगी सवा छः एकड़ प्रत्येक काश्तकार के हिसाब से रखा है उनको आधा लगान की छूट की सहूलियत मिलती रहेगी। उसी प्रकार से २७ तारीख के बाद विरासत के जरिए जिनको जमीन मिलेगी, उनके लिए आप नहीं कह सकते, कि उन्होंने कोई बेईमानी की है या इरादा खराब है, उनको सहूलियत हासिल होगी सवा

छः एकड़ या उससे कम अगर जमीन मिली है। उनको वही सहूलियतें होंगी जो दूसरों को हासिल हैं। (व्यवधान) इसके बाद माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे तो हर एक का जवाब मैं दूंगा। स्त्री-पुरुष की बात जो आपने कही, स्त्री, पुरुष का कोई भेद नहीं किया गया है। एक खाते में जितने खातेदार होंगे स्त्री या पुरुष, उनको अलग-अलग खातेदार मान कर जमीन देखी जायगी कि सवा छः एकड़ उनके पास है या नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग इस देश और प्रदेश का हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण विभाग रहा है। एक अरसे से हुकूमत चलाने का साधन जमीन का लगान रहा है और वह बराबर तब से आज तक चला आ रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि बातचीत अधिक हो रही है, आप शांति रखें ताकि भाषण सुना जा सके।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर, राज व विभाग आपके प्रदेश में बहुत से उपयोगी कार्य करता है। वह खातेदारों का उनके हकूक का लेखन रखता है। उसके आगे खातेदारों के बीच में जो विवाद हुआ करता है उनका भी फैसला करने का काम करता है। इसके अलावा जितने भी विकास से संबंधित काम हैं उन सब कार्यों में राजस्व विभाग ही वह काम करता है जिनके बिना वह काम पूरा हो नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री भुवनेशभूषण---

श्रीमन्, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, सदन में शांति स्थापित होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वक्त सदन में बातचीत इतनी हो रही है कि माननीय सदस्यों को माननीय मंत्री जी का भाषण सुनाई नहीं दे रहा है। मैं आपसे पुनः बार-बार निवेदन करूंगा कि आप शांतिपूर्वक माननीय मंत्री जी का भाषण सुनें।

श्री उदित नारायण शर्मा---

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्व विभाग प्रदेश की अनेक प्रकार की सेवायें करता है। विकास का जितना भी कार्य होता है उन सबसे संबंधित जो नीचे काम होता है यानी लोगों को कर्ज देना, उनके लिए बीज, औजार व खाद की व्यवस्था करना अधिकतर उसका काम होता है। उन कामों को करने के लिए राजस्व विभाग के जो रिकार्ड्स होते हैं वही काम में लाए जाते हैं। उसके बिना उनका काम नहीं चलता। इसके अलावा उन जमीनों का भी विभाग इन्तजाम करता है जो सरकार के कब्जे में हैं और जो आगे चलकर किन्हीं कारणों से सरकार के कब्जे में आ जाया करती हैं। इसी तरह से जो सामुदायिक संपत्ति है और विशेषकर सामुदायिक खेतों की जमीन है उनको भी राजस्व विभाग के अधीन दिया जाता है। उनका सुपरविजन भी राजस्व विभाग के द्वारा होता है।

मान्यवर, इस अरसे में तो बड़े महत्वपूर्ण लैण्ड रिफार्म्स इस विभाग के जरिए से किये गये हैं। एक तो कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट चकबन्दी जिसे कहते हैं और दूसरा सीलिंग जिसमें जमीन की अधिकतम सीमायें निर्धारित करके लोगों से भूमि वापस ली गई---में बहुत काम हुआ है। इसके अलावा जब आपदाएं आती हैं, जिनके कारण मनुष्यों को भयंकर तकलीफें होती हैं और इस बात का खतरा पैदा होता है कि खाने की कमी पड़ जाय, कपड़े की कमी पड़ जाये, तो ऐसे वक्त भी जो काम होता है वह भी राजस्व विभाग के जरिए से होता है। इस कारण मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपके सामने जो अनुदान मैंने मांगा है उसमें इस मद में १० करोड़ ६८ लाख ८०० रुपया प्लान और नान-प्लान का है। गतवर्ष यह रकम

[श्री उदित नारायण शर्मा]

२,९५,६८,२०० रुपये थी। इस बढ़ोत्तरी का कारण यह है कि इनने अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक डीयरनेस अलाउन्स दिया है, कुछ लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ाई गयी है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—

मैंने ९ करोड़ का शब्द सुना, लेकिन मंत्रीजी ने १० लाख रुपया ही इस मद के लिए मांगा है। क्या मेरे कानों ने ठीक सुना है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं, मैंने १० करोड़ कहा है। १० लाख मैंने नहीं कहा। इसमें नये अनुदान जो मांगे गये हैं वह २ करोड़ ८४ लाख ७६ हजार ३ सौ रुपये के हैं। यह मांग कंस लिडेशन आफ होल्डिंग का जो काम हो रहा है उसके लिए है। वैसे आइन्दा से यह मद नये डिमाण्ड के रूप में नहीं आया करेगी। गत वर्ष यह प्लान का अंग केवल एक वर्ष के लिए माना गया था यह चतुर्थ प्लान का अंग इस वर्ष से हो गया है। इसलिए इस वर्ष इस अनुदान को नये अनुदान के रूप में रखना पड़ा है। इसके अलावा जो दूसरी रकम रखी है जिसको शिड्यूल के जरिए से मांगा गया वह कुछ कर्मचारियों की जगहों के लिए जो पहले अस्थायी थे अब स्थायी किये जा रहे हैं और वह जगहें हैं कलेक्शन अमीन, पियून्स और वासिलबाकी नवीस इत्य दि, इत्यादि हैं। मान्यवर, आज की जो स्थिति है उसके मुताबिक कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर हम अभी अबालिशन आफ जमींदारी ऐक्ट को लागू नहीं कर सके हैं खासतौर पर पहाड़ों में। गढ़वाल और चमोली के देहाती क्षेत्रों में १ जुलाई सन् ६५ से जमींदारी खत्म की गयी थी। उनके शहरी क्षेत्रों और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, और नैनीताल में १ जुलाई सन् ६६ से समाप्त की गयी थी। टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी यह ऐसे जिले हैं जहां पर अभी जमींदारी खत्म नहीं की गयी है। इसका कारण यह है कि यहां पर अभी लगान की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी है। वहां के लोगों की मांग है और सरकार का खयाल भी कि वहां पर लगान की व्यवस्था नये सिरे से करना जरूरी होगा।

मान्यवर, रामपुर स्टेट में जिसका कम्पेन्सेशन ३० मार्च सन् ६६ तक ३,५७,६०१ रुपया दिया जा चुका है और ३८,१८१ रुपया अभी उसको देने के लिए बाकी है।

आपके सामने जो अनुदान पेश कर रहा हूं और जो बजट पेश किया गया है उसमें ६७-६८ में जो नयी मांगें की गयी हैं उसमें से खासतौर से २,८४,७६,३०० रुपये की एक मांग है जो चकबन्दी से संबंधित है। यह योजना अब प्लान में आ गयी है, पहले नहीं थी।

मान्यवर, इस वक्त कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर रिकार्ड आपरेशन्स कराने का सरकार का इरादा है। देहरादून, जालौन, बलिया, मिर्जापुर जिलों में और मथुरा जिले के एक गांव में पैमायश और अभिलेख क्रियायें चलती रहेंगी। कुछ जिलों के दरियाबुर्दो गांवों में पंचसाला बन्दोबस्त का कार्य भी आरंभ किया जायगा। इसके साथ साथ में यह भी निवेदन कर दूं कि फैजाबाद जिले के १६ गांव ऐसे हैं जहां पर ३३ हजार रुपया खर्च करके रिकार्ड आपरेशन्स का निर्णय लेना पड़ा है।

इसके साथ ही चकबन्दी के सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय चकबन्दी योजना हमारे प्रांत के ४२ जिलो में चल रही हैं। ३१ मार्च, १९६७ तक चकबन्दी के अन्तर्गत कुल कृषि क्षेत्र ५४,०९२ गावों में लगभग २.१७ लाख एकड़ था। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत ३००.०० लाख एकड़ क्षेत्र कृषि के अन्दर आ जायगा। यह अनुमान लगाया जाता है कि पांचवीं योजना की अवधि में चकबन्दी का कार्य समाप्त हो जायगा और उसका कुल अनुमानित व्यय ३६.०५ करोड़ रुपये होगा। इसके साथ में आपके सामने कुछ चकबन्दी संबंधित आंकड़े भी निवेदन कर दूं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ७६८.५७ लाख रुपये खर्च हो चुके थे और ५३.९४ लाख एकड़ भूमि का हस्तान्तरण किया गया था। तीसरी पंच वर्षीय योजना में १,१२०.४० लाख रुपये खर्च हुये। १०.००

लाख एकड़ में काम पूरा किये जाने का लक्ष्य था परन्तु ११२.६९ लाख एकड़ में कब्जे का हस्तान्तरण हुआ। चौथी योजना में पहले वर्ष के अन्त तक लगभग २९६.९५ लाख रुपया खर्च हुआ। १८.०० लाख एकड़ में काम पूरा किये जाने का लक्ष्य था परन्तु १८.७७ लाख एकड़ भूमि में कब्जे का हस्तान्तरण हुआ। इन आंकड़ों को देखने से यह मालूम होगा कि चकबन्दी की प्रगति का कार्य जो प्रांत में चल रहा है उसमें प्रगति रही है। चौथी योजना में नये चकों के कब्जे दिलाने का लक्ष्य ९३.०० लाख एकड़ का है और इस आय-व्ययक वर्ष में लक्ष्य १९.०० लाख एकड़ क्षेत्र का है। आयव्ययक वर्ष १९६७-६८ के लिए २,८४,७६,३०० रुपये के अनुदान की मांग की जा रही है, जो कि विगत वित्तीय वर्ष के प्राविधान से कुछ कम है। यह कमी खर्च में मितव्ययिता के कारण है।

इसके अतिरिक्त पहली अप्रैल, १९६७ से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण उसके भार को वहन करने के लिए ५३,०४,८०० रुपये की एक मुश्त अनुदान की और मांग आयोजनागत की जा रही है। चकबन्दी योजना के अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं उनका महंगाई भत्ता बढ़ जाने की वजह से भुगतान के लिए ५२,२७,००० रुपये रखे गये हैं।

दूसरा अनुदान दुर्भिक्ष्य पीड़ित क्षेत्रों के लिए मांगा गया है। यह सब अच्छी तरह जानते हैं कि दुर्भाग्य से २, ३ वर्ष से वर्षा न होने के कारण प्रदेश का बहुत सा हिस्सा दुर्भिक्ष्य से बुरी तरह पीड़ित हुआ। ४१ जिले ऐसे थे कि जिन पर इसका प्रभाव पड़ा और इनमें से १७ जिलों पर काफी ज्यादा प्रभाव था और ५ जिलों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस सदन में जो बजट पेश किया गया है उसमें टेस्ट वर्क पर जो धनराशि खर्च होने वाली है वह है २ करोड़ १५ हजार २०० रुपये, और इसके अलावा ग्रेटुटस रिलीफ के लिए २ करोड़ रुपया रखा गया है। जो दूसरे मिसलेनियस आपरेशन्स हैं उनके लिए ५ लाख १०० रुपया रखा गया है। यह जो धनराशियां मांगी गयी हैं इनमें से ८५.५५ लाख रुपया पहले ही मिल चुका है और ५० लाख रुपया हमको कंटिजेंसी फण्ड से सैंक्शन किया गया था। इस प्रकार हम को कुल २ करोड़ ७१ लाख १० हजार १०० रुपया इस बजट में चाहिए, जिसकी मांग आपके सामने प्रस्तुत है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जो मालगुजारी में माफी देनी पड़ सकती है उसकी धनराशि है कुल ४ करोड़ २९ लाख ८८ हजार ४२२ रुपये। और उस क्षेत्र में जो रिलीफ के काम चल रहे हैं उनके संबंध में थोड़ी सी बात मैं और अर्ज कर देना चाहता हूं। जो डिस्ट्रेस तकावी दी गयी है वह ८३.३३ लाख रुपये की है। इसी प्रकार फेमीन रिलीफ बजट २७१.१० लाख रुपये का है। यह टेस्ट वर्क १० जिलों में चल रहे हैं और ३० जून, १९६७ तक इनके लिए रुपया एलाटेड था १,०४,४५,४०५। इसमें नम्बर आफ आपरेशन्स थे ४५८ और इससे कुल १,५५,०९५ लोगों को काम मिला। यह टेस्ट वर्क मिर्जापुर, इलाहाबाद वाराणसी और बांदा में चालू है और यही क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के लिए जो भी संभव है वह इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि यह अनुदान सदन स्वीकार करे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। श्रीमन्, मैं आज जब घर से चला तो विशेष रूप से इस बात की एहतियात की कि पत्रा और साइत देखकर चलूं क्योंकि आज की सरकार पत्रे और साइत में बड़ा भरोसा करती है। मैंने सुना है कि पत्रे और साइत देखने से काम बनता है। बड़ी एहतियात की कि कोई सामने न पड़े क्योंकि अगर रास्ते में कोई खराब आदमी भी मिल जाय तो भी शकुन बिगड़ जाता है। मैं चाहता था कि ऐसे आदमी का मुंह देखूं कि जो यहां कह दे कि सवा ६ एकड़ तक की मालगुजारी माफ हो जायगी। दुर्भाग्यवश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

एक साहब ऐसे मिल गये कि जो मेरे और पंडित जी, दोनों के मित्र हैं। मैं बड़ा खुश हुआ और उनको कहा कि अगर खुशी खुशी घर लौटा तो तुम को मिठाई खिलाऊंगा। श्रीमन्, आने के बाद मुझे यहां बड़ी निराशा हुई और मैं तो अब उनसे दण्ड मागूंगा। यह जो हमारे बड़े गहरे मित्र पंडित जी ने एक घोषणा सरकार की तरफ से की मालगुजारी माफी की, अगर यह काम सरकार को कराना ही था तो ऐसे आदमी से करा लेते जिसने कभी संकल्प न किया हो कि हम किसानों के खिलाफ काम करेंगे। वह तो ऐसे हैं पंडित जी कि वह किसानों और मजदूरों के खिलाफ काम किसी के कहने से करेंगे नहीं। तो आज इस सरकार ने उन्हीं को चुना कि यह नाशुकरा काम आपके ही हाथ से हो जाय। अब मैं आदरणीय पंडित जी के सामने मुख्य मंत्री जी के कुछ पहले के विचारों को रखना चाहता हूं। यह पुस्तिका है सन् ५८ की उनकी, "उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था में क्रांति"।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो प्रस्ताव पेश किया है कटौती का इसमें ग्रांट का नम्बर नहीं लिया है। तो आप नम्बर बतला दें जिससे स्पष्ट हो जाय।

श्री गेंदासिंह--

जो दोनों प्रस्तुत अनुदान हैं, दोनों में मैं करता हूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि उस पुस्तक में पृष्ठ ५३ पर लिखा है, "यह बात ध्यान देने की है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की जो पूरी आमदनी होती है उसमें मालगुजारी का अनुपात वर्ष प्रति वर्ष घटता चला जा रहा है और जब कभी ऐसा अवसर आ जायगा कि मालगुजारी के बिना भी राज्य का काम चल सके तो उस समय जो भी पार्टी की सरकार होगी वह मालगुजारी माफ करने का अवसर कभी भी हाथ से न जाने देगी"। वह अवसर तो आया और दारुलशफा में बैठकर फैसला किया गया कि यही मौका है कि जब १९ सूत्री कार्यक्रम पूरा किया जा सकता है और उसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है कि मालगुजारी समूची माफ करेगी सरकार, दूसरी में नहीं है। आपने भी देख लिया होगा। श्रीमन्, मुझे इस बात का दुख हुआ और अब भी उम्मीद करता हूं कि "सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाय तो कोई हर्ज नहीं है।" इतना ही नहीं सन् ४६ के बाद जमींदारी अबालीशन के लिए इस पवित्र सदन में एक फैसला हुआ, एक समिति बनी, जिसके स्वर्गीय पन्तजी अध्यक्ष थे और माननीय हुकुमसिंह और चौधरी साहब सदस्य थे, कमलापति जी भी थे। पन्तजी के अलावा हमारा ख्याल है कि उस कमेटी के सभी सदस्य जीवित हैं। उसमें फैसला हुआ कि सभी काश्तकारों की मालगुजारी माफ करने के लिए सलाह नहीं दी। अपनी सिफारिस में उन्होंने यह कहा कि हमारे प्रदेश में १० एकड़ से नीचे के किसान को हम अलाभकर मानते हैं और १० एकड़ से नीचे के किसान से श्रीगणेश करने को कहा और तय किया कि इनको रियायत देने में पहला काम मालगुजारी माफी से शुरू करो। उन्होंने यह कहा कि एक एकड़ के किसान को रुपये में ६ आने मालगुजारी माफ कर दो, २ एकड़ से ४ एकड़ वाले को ४ आने और ४ से ६ एकड़ वाले को २ आने और ६ से १० एकड़ वाले को १ आना रुपये में माफ कर दो। यह शुरुआत थी। मंशा यह कभी नहीं था कि इससे आगे नहीं जायेंगे। मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं।

श्रीमन्, इन्होंने पिछले २० वर्षों की चर्चा नहीं की, लेकिन मैं किये देता हूं। यह निर्विवाद सत्य है कि पिछले २० वर्षों में प्लानिंग का जो काम हुआ उसमें गरीब आदमी को उसका बहुत कम हिस्सा मिला और अमीर आदमी को जो साधन सम्पन्न थे उनको उसका ज्यादा हिस्सा मिला और यह लाभ उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुकाबले कहीं अधिक उठाया। बदकिस्मती से उत्तर प्रदेश को सबसे कम लाभ हुआ। सारे देश की पर कैपिटा इनकम जब कि ३२५ रुपये हुई, उत्तर प्रदेश की इससे कहीं कम हुई। और इसमें भी जो गांव में रहता था उसको तो बहुत ही कम रही। अर्बन और रूरल इनकम में बड़ा भारी अन्तर रहा। चौथी

पंचवर्षीय योजना की पुस्तक में मैंने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर से १९६०-६१ में जो आमदनी हुई, १९६५-६६ में उससे करीब १०-५ अरब कम हुई। यह रूरल सेक्टर में ही तो हुई। जितनी आय की हम आशा करते थे वह नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इस मानी में पिछड़ा हुआ है। (व्यवधान)

श्रीमन्, हमारी इस सरकार ने कभी सोचा भी नहीं कि जो काश्तकार दो रुपया देता है उसको क्यों इस सुविधा से वंचित रखा जाय। मैं पूछता हूं, क्या समझ कर आपने उसको माफ नहीं किया? उसको मैं समझना चाहता हूं कि इसमें कौन-सा तर्क है आपके पास? कौन सा आर्थिक न्याय आपने उनके साथ किया है, कौन-सा सोशियल जस्टिस आपने उनके साथ किया है? मुजफ्फरनगर में सभी दल के लोगों ने यह पास किया था कि सवा ६ एकड़ तक के खेत अनार्थिक (घाटे के) खेत हैं। हमने और आपने मिलकर यह फैसला किया था।

श्रीमन् मैं समझता हूं कि मुजफ्फरनगर में बैठकर के यह प्रस्ताव पास करना और दारुलशफा में यह पास करना कि सारी मालगुजारी माफ कर देंगे और श्रीमन् ऐसे वातावरण में जो वातावरण आज है, इस वातावरण में भी परवाह गरीब आदमी की नहीं हो सकती और जो ज्यादा व्यापक आन्दोलन नहीं चला सकता, मुझे उम्मीद नहीं है कि उसकी बात सुनी जायेगी। श्रीमन्, मैं समझता हूं और अपील करता हूं कि यह गलती मत कीजिये। यह बड़ी भारी भूल होगी क्योंकि किसी जमाने में जमींदारी अबालिशन का प्रस्ताव पास हो गया था। एक दफा हो गया लेकिन शहर में जमींदारी अबालिश करने की जब कोशिश करने लगे तो वह आज तक खत्म नहीं हो पायी। इसलिए एस० बी० डी० अपनी जबानी में कुछ कर डालें। अगर जबानी में नहीं करना चाहती है तो उसका बुढ़ापा भी जल्दी जायेगा। मैं कोई तानेजनी नहीं करता हूं। फिर बुढ़ापे के वक्त ताकत नहीं रह जायेगी। सवा छः एकड़ की बात में सभी कमिटेड हैं और आप को यह इजाजत हो जाती है, हम उस दिन स्वागत कर देंगे। सवा छः एकड़ को पास कर देंगे पूरी माफी की बात को छोड़कर। सवाल छः एकड़ के किसान हैं कितने जिस से सारी मालगुजारी बह जायेगी। इस में से आधी मालगुजारी मिलती रहेगी। सवा छः एकड़ से कम के काश्तकार जितना जोतते हैं उस से जो ऊपर के जोतते हैं उस की संख्या ज्यादा नहीं है। इस सूबे में १.२० लाख के लगभग जोत के नम्बर हैं। उन में से ८५ फीसदी संख्या सवा छः एकड़ वालों की है। वैसे आप ८५ फीसदी को राहत देंगे, लेकिन रुपया छोड़ेंगे १२ करोड़। अगर इस की परवाह करनी है कि प्लान चलानी है तो मैं बहुत दिनों से कहता चला आ रहा हूं कि भीख मांगने वालों से टैक्स मत लीजिये। जो अपना खा नहीं सकते हैं जो खड़े नहीं हो सकते हैं, उस से टैक्स लेना बन्द करो। उस से टैक्स लेंगे तो इस प्लान का नाश हो जायगा। उस की चमड़ी को आप निकालकर ले आते हैं और प्लान चलाते हैं तो प्लान नहीं चल सकती। इसलिए मैं समझता हूं कि निर्भीक होकर आप ऐसा काम कीजिये, मैं रास्ता बताता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री ने सन् ५८ में कहा कि अगर दो रुपये से सब का काम चल सके तो हम मालगुजारी छोड़ दें। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वित्त मन्त्री हैं तो बतावें कि लैंड टैक्स से कितनी आमदनी हुई? २५ करोड़ की आमदनी हुई, साल भर के लिए। (व्यवधान)। अगर आप मुझे फाइनांस मिनिस्टर बनाइये, रहूंगा कांग्रेस में, लेकिन फाइनांस मिनिस्टर बनूंगा, मैं आप को रास्ता बताता हूं। मेरी बात आप मानें और जिस दिन आप बुलायेंगे मैं आने को तैयार हूं। २२ करोड़ रुपये की मालगुजारी आप माफ करें और उसका आल्टरनेटिव मैं देता हूं। उस से आप लोगों को तकलीफ भी नहीं देंगे और लोगों की गालों व बददुआ भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन २२ करोड़ रुपये की रकम निकल कर चली आवेगी। आप किस से पैसा लेना चाहते हैं? एक एकड़ वालों से जो सारे भारत में सब से गरीब किसान हैं उत्तर प्रदेश में। अब तक एस० बी० डी० वाले इस बात को समझ नहीं पाये। मैं कोई तानाजनी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वे समाजवाद से दूर जा रहे हैं। वे कहते हैं कि २ रुपये वाले काश्तकारों की मदद नहीं करना चाहते हैं। यह कौन सी दलील है, पंडित जी ने कुछ नहीं कहा? मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं वरना मैं ज्योतिष भाख कर आया

[श्री बेंदा सिंह]

होता। मेरी समझ में नहीं आया कि दो रुपये को आप कौन सी आमदनी समझते हैं। एक एकड़ से नीचे के काश्तकार इस उत्तर प्रदेश में करीब ४३ लाख परिवार हैं। गाजीपुर जिले में करीब ४१ लाख के खाते हैं एक एकड़ से नीचे के हैं। माननीय धनुषधारी पांडेय जी के बस्ती जिले में ५१ प्रतिशत खाते हैं एक एकड़ से नीचे वाले। सारे के सारे पहाड़ पर भी वही हालत है। मैं कहता हूं कि दो रुपये वाले काश्तकारों को छोड़ कर अपने हक में आपने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन मुल्क के हक में वह अशुभ है। इस के लिए आप को चेतना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम लोगों की बुजुर्आ लीडरशिप जो इधर बैठी हुई है उससे ज्यादा क्रान्तिकारी लीडरशिप उधर बैठी हुई है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

सही है।

श्री गेंदासिंह—

माननीय उग्रसेन जी यहां इस को सही समझते हैं लेकिन देवरिया में किसानों के सामने इस बात को कहना भूल जायेंगे कि दो रुपये वाले काश्तकारों की मालगुजारी नहीं माफ की गयी है, क्योंकि वह सही है। यहां घेराव में बैठ कर आप इस को सही कह सकते हैं लेकिन वहां नहीं कह सकेंगे।

श्री उग्रसेन—

वहां भी कहूंगा।

श्री गेंदा सिंह—

अब अगर कोई आदमी कपड़ा खोल कर नंगा घूमने लगे तो उसके लिए कहा ही क्या जा सकता है? लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय उग्रसेन जी में इतनी हया है और उन में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसानों के सामने जाकर कहें कि दो रुपये वाले काश्तकारों की मालगुजारी माफ नहीं होनी चाहिये। मैं पूछता हूं कि आखिर ४३ लाख परिवारों का वकील कौन है? श्रीमन्, वित्त मन्त्री जी के भाषण में कहीं भी नहीं आया कि मालगुजारी माफ होगी, लेकिन आज आया है कि मालगुजारी माफ होगी। खैर, "देर आयद दुरुस्त आयद", लेकिन उस पर फिर आप सोचें। सवा ६ एकड़ तक की मालगुजारी अगर आप पूरी की पूरी माफ नहीं करेंगे तो जवाब देते देते आप के नाक में दम आ जायेगा।

मैं यह कह रहा हूं कि एस० वी० डी० ने जिस वक्त यह प्रोग्राम बनाया, आप यह सोचें कि जनसंघ का चुनाव घोषणा-पत्र अलग था, कम्युनिस्ट पार्टी का अलग था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का अलग था और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का अलग था। लेकिन जो प्रोग्राम बना था वह इसलिए थोड़े ही बना था कि उस के लिए कई वर्ष का वादा करें, वह तो इसलिए बना था कि फौरी प्रोग्राम बने जिस को फौरन पूरा करने की कोशिश की जाय। लेकिन इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हमें तो लोहिया जी को धन्यवाद देना है, एस० वी० डी० के उन तत्वों को धन्यवाद देना है जिन तत्वों की सचमुच में किसानों के साथ हमदर्दी है और उन्होंने एस० वी० डी० को मोड़ कर इस रास्ते पर कर दिया कि यहां तक तो चलें। मैं उनसे आज भी उम्मीद करता हूं कि वे इन से टकरावेंगे नहीं।

(श्री उग्रसेन के कुछ कहने पर) भाई उग्रसेन जी हमको धमका रहे हैं कि देवरिया चलो, हम तुम्हारे सामने यह भाषण देंगे। वह हम को न धमकायें, एस० वी० डी० को समझावें। मालगुजारी के बारे में मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माननीय सदस्य आज और कल में बहुत बातें कहेंगे और फिर अगर कोई बात उठेगी तो उसका मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। मैं समझता हूं कि उधर का जो आशीर्वाद हम को मिलेगा, उस से हम लोग बलवान होंगे और गरीब किसानों के हक में कोई फैसला यह हाउस करेगा।

श्रीमन्, यह बड़े दुख की बात है कि जिस सूबे में ८ करोड़ में ३ करोड़ आबादी दुर्भिक्ष में फंसी हो उस के लिए माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में कुछ नहीं कहा। मैं अपने कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और पी० एस० पी० के तथा रिपब्लिकन भाइयों से कहना चाहता हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

जनसंघी भाइयों से भी कहिये।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, हमारे और बिहार के बीच में एक बालिश्त का अन्तर है। मैं देवरिया का रहने वाला हूं, भाई कृष्णानन्द राय जी गाजीपुर के, राकेश जी मिर्जापुर के हैं। दोनों ही तरफ के बैठने वालों को बिहार से मेंड लगी हुई है। बिहार ने यह सोचा कि अगर वे विपत्ति में पड़ते हैं तो सारा भारत एक है और उस में सब को मदद करनी चाहिये। हमारे मुख्य मन्त्री जी चाहते हैं कि अपना दुख किसी से मत कहो। वह मेरठ के रहने वाले हैं। जब कोई मेरठ या दिल्ली में मोटर में बैठता है और वह जाता है मसूरी तक, तो वह मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की देखता हुआ मसूरी पहुंचता है, तो वह कह सकता है कि यह उत्तर प्रदेश का बलूचिस्तान है, भला ऐसी जमीन कहां मिलेगी? जब उसे हमीरपुर आना पड़े तब वह असलियत समझेगा, माल मंत्री जी के घर को देखकर। देवरिया, बाराबंकी गाजीपुर, मिर्जापुर आवें तो उनकी आंखें खुलेंगी। भूख से मरे हुए की जब मैं तस्वीर लेकर मेरठ के आदमी के पास जाता हूं तो वह कहता है कि यह बिहार की तो नहीं है। मैं कहता हूं कि नहीं, हमारे गांव की है। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं कि कहीं कोई भाई यह कह दें कि २ वर्ष तक मिनिस्टर रहे और मिनिस्ट्री की कुर्सी छोड़कर भुखमरी की बात करते हो। मेरे पास ये आथेंटिक डाक्यूमेंट्स हैं, और यह कहा गया है कि १७ जिलों की फसल ५१ से ७५ परसेंट तक बरबाद हो गई। यह मेरा कहा हुआ नहीं है। यह माननीय माल मंत्री जी के कागज से है। भारत सरकार ने एक टीम भेजी जिसने घूम कर कहा कि इन १७ जिलों के लिये खाने का इन्तजाम करो, रोजगार का इन्तजाम करो, सस्ते गल्ले की दूकान खोलने का प्रबन्ध करो, टेस्ट वर्क्स चलाओ, फ्री किचन खोलो। उन्होंने कहा था ११ करोड़ रुपया टैस्ट वर्क्स पर खर्च करो। मंत्री जी ने कहा कि १ करोड़ रुपया उन्होंने इसके लिये रखा है। वह पैसा भारत सरकार देगी जिसके लिये उसकी टीम ने कहा था।

श्रीमन्, बिहार का देखिये। वहां से एक सर्चलाइट अखबार अंग्रेजी का निकलता है। उसके लीडिंग आर्टिकिल में है। उग्रसेन जी नाराज न हों, अंग्रेजी में है। वह हमारी तरफ से उसका अनुवाद कर देंगे।

The Union Government had already assured in the beginning when the new Ministry in Bihar took over that the latter would not have to bear any addittonal financial burden as a result of famine and the expenditure would be met by New Delhi. On the basis of this assurance the Union Govetnment will give Rs. 55 crores 59 lakhs to Bihar in the current financial year.

मुझे जहां तक जानकारी है, ७५ करोड़ रुपया उसने भारत सरकार से अपने सूखा से पीड़ित लोगों के लिये लिया। यह रुपया लौटाये जाने वाला नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि जब इस हाउस में भुखमरी की चर्चा की जाती है तो कहा जाता है कि यह राजनीति करता है। मिर्जापुर में हम कौन सी सियासत करेंगे जहां भूख से मृत्युयें हुई? गेंदा सिंह जी जब अपने इलाके में जाते हैं तो सैकड़ों हजारों व्यक्ति आकर घेर लेते हैं कि रोटी नहीं मिल रही है, कहीं से हमको बजड़ी का आटा दिलाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं और इस सरकार को चैलेंज करता हूं कि वह साबित करके दिखावे कि शिवराही ब्लाक में पिछले वर्ष से २२ मृत्युयें भूख से नहीं हुई, अप्रैल में ३०, ४४ और मई में १०५ हुई। अप्रैल और मई में चेचक भी थी। आज से १०,१२ दिन पहले यहां जिक्र था। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। आज सरकार बतावें कि वे १०५ मौतें किस बीमारी से हुई? मैं चैलेंज करता हूं कि वे भूख से हुई हैं। आप सारे हिन्दुस्तान की मौतों का अन्दाजा कर लीजिये कि कितने प्रतिशत मौतें मार्डिनरिली होती हैं। एक ही जिले की बात मैं नहीं कह रहा हूं, १७ जिले हैं। चाहे आप फतेहपुर

[श्री गेंदासिंह—]

या पहाड़, या इलाहाबाद, बनारस, बस्ती को ले लीजिये। मैं यह साबित करने के लिये तैयार हूं कि भूख से मौतें इन महीनों में हुई। मैं आप की तरह से अन्धेरे में बात करने वाला नहीं हूं। अब आप इस वक्त उस बात को याद करके अपनी जिम्मेदारी से बरी न होइये, आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस कीजिये। अगर यह चन्द्रदेव जी इधर चिल्ला रहे हैं तो इन के दिल में कुछ दर्द है, मैंने भी चार दिन पहले कहा था माननीय उग्रसेन जी या माननीय खाद्य मंत्री जी से कि चलकर आप वहां देखें कि क्या हालत है, लेकिन मैं क्या कहूं शायद किसी का साहस नहीं हुआ या उसका कारण शायद यह भी है कि बजट के दौरान में यहां से शायद वह चले जायं तो कुछ गड़बड़ी हो जाय। मैंने कहा कि आप चलकर एक दिन देख लें उस में कोई घाटे मुनाफे की बात नहीं है, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। यह इल्जाम जो सरकार पर है। वह इसलिये है कि जब हम विकास के कामों में मेरठ, बुलन्दशहर के पैसे को बलिया में लगवाना चाहेंगे तो मेरठ बुलन्दशहर वाले इसको कैसे बरदाश्त करेंगे? लेकिन बिहार की तरह केंद्र पर दबाव डाल कर जैसे उसने ७० करोड़ रुपया लिया यह सरकार भी ८०–८५ करोड़ कुछ ले ही सकती थी, लेकिन जिस तरह से अन्न के संकट पर मजाक किया जाता है, क्या प्रदेश में १२–१५ जिले ऐसे नहीं हैं कि जहां भुखमरी नहीं होती.....

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

मैं श्री गेंदा सिंह जी से जानना चाहूंगा कि यह बात तो सही है कि भूख से मौतें हुई हैं और इस को हम भी स्वीकार करते हैं और आप भी स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इसका कारण क्या है, क्योंकि इस के पहले भी यहां जो सरकार थी उसके समय में भी १५० मौतें भूख से हुई थीं और सदन में उसके आंकड़े भी दिये गये थे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जरा स्थान ग्रहण करें....

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

भुखमरी से मौतें हुईं और....

श्री उपाध्यक्ष—

आप जरा मेरी बात सुन लें, फिर कहें। मैं कह रहा हूं कि आप भाषण न दें बल्कि आप को जो स्पष्टीकरण मांगना हो वह मांग लें।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

आप कोई तरीका बताइये कि किस तरह से केंद्रीय सरकार और यह सरकार मिलकर इस को रोके। पहले तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि आप अकाल-पीड़ित क्षेत्र घोषित न करायें, यह मुनासिब न होगा।

श्री गेंदासिंह—

आप की बात का तो बड़े संक्षेप में उत्तर है कि हम ने गलती की और इस से ज्यादा बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि हम उधर से इधर आ गये और अगर राकेश जी इस सजा को भी काफी नहीं समझते तो मैं कहूंगा कि उन को जनतंत्र में विश्वास नहीं है। संसार में यह हुआ है और यहां भी होता है, मैं सुझाव दूंगा कि वह अपने माल मंत्री जी मुख्य मंत्री जी को सलाह दें कि वह अपने राजनैतिक शत्रुओं से भी सलाह लें और उनके कहने का मजाक न उड़ायें, मैं राकेश जी से कहूंगा कि हम मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन उन की सरकार कब इस को मजाक नहीं समझती। मैं चाहता हूं कि हम में से कोई इसको मजाक न समझें और गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करें। जिस वक्त श्री मोरार जी देसाई अपना बजट भाषण शुरू करते हैं तो कहते हैं कि आज हमारे ३ करोड़ आदमी पीड़ित

हैं, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी की स्पीच एक रिडीक्युल या लाफिंग स्टाक से आरम्भ होती है। जहां ३ करोड़ आदमी के जीने मरने का सवाल है वहां उनकी निगाह नहीं जाती। राकेश जो चाहें गम्भीर न हों, लेकिन हमें यह न समझें कि हम गम्भीर नहीं हैं, हम इस प्रश्न पर गम्भीर हैं, हमारा कहीं भी खड़ा कर के ट्रायल कर लीजिये कि तुम ने यह नहीं किया वह नहीं किया। आप तो धमका रहे हैं कि ट्रायल करायेंगे। तो ट्रायल हो भी जायगा, लेकिन ट्रायल के नाम पर जो लोग भूखों मर रहे हैं, उनके बारे में आप सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं आपको भी एक रास्ता बता रहा हूं। बिहार की सरकार ने भारत सरकार से ७५ या ७० करोड़ और आपके कहने के मुताबिक ५३ करोड़, ५९ लाख रुपया लिया और इस शर्त पर लिया है कि उस धन को लौटावेंगे नहीं। तो फिर इस प्रदेश की सरकार की उसमें क्या कमजोरी हो रही है, जबकि भारत सरकार की एक टीम वहां पर आकर कह गयी कि १७ करोड़ का खर्चा है, १ करोड़ २० लाख अहेतुक सहायता में और तकावी देने में? उसने एक स्कीम बनाकर भी भेजी कि बिजली में इतना खर्च करो ऐग्रीकल्चर में इतना खर्च करो और यह यह काम करो। अगर प्रदेश की सरकार भारत सरकार से रुपया नहीं लेती और भूखों को मरने पर मजबूर करती है तो इसमें हमारा क्या कसूर है?

हाउस में बड़े जोर की चर्चा की गयी कि अन्न की व्यवस्था करिये। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे वह सरकार २ लाख टन अनाज लाने को तैयार नहीं हुयी और कैसे आपकी सरकार एक लाख टन को लेना ही मान गयी? आपने इसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठायी। अगर आप उसके खिलाफ कोई आवाज उठाते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारा सदन आपका साथ देता। हम २ लाख टन गल्ले की मांग करते लेकिन उसकी जगह पर आप एक लाख टन पर ही मान गये। एक लाख टन लेकर भी आपने अपने जोन से हरियाना और पंजाब को अलग करवा दिया। आप चिल्लाते तो हम भी आपकी मदद करते। हरयाना को न निकालने में पंजाब को अपने जोन से न निकालने में और अनाज के कोटा को कम न करने में हम आपके साथ थे। सारी चीजों को आपने गंवा दिया और अब कहा जाता है कि २० वर्षों तक तुम शासन में रहे और हम भी यही कर रहे हैं। श्रीमन् आज सारे भारतवर्ष में १ लाख राशन की दुकानें चल रही हैं और ६,५०० आपके प्रदेश में हैं। पहली अप्रैल के करीब रबी की कटाई होती है। वह वक्त बहुत खराब है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सितम्बर तक कितनी दुकानें खुलीं और उनमें कितना कितना अनाज दिया गया। कितने फ्री किचन और कितने टैस्ट वर्क्स खोले गये? कितने लोग उन टैस्ट वर्क्स में काम कर रहे हैं। माननीय माल मंत्री जी का बयान है कि १७ जिलों में लाखों आदमी आज अपनी जीविका चलाने के लिये काम कर सकते हैं। हमारे जिले में १० मई से ५ किचन खुले हुये हैं लेकिन वहां के अफसर कहते हैं कि यहां पर फ्री किचन खोलने की जगह नहीं है। दुर्भिक्ष के लिये भीख मांगने के बजाय कोई स्थायी काम होना चाहिये। आप सुल्तानपुर के जिले को लें। वहां पर ३९ प्रतिशत एग्रीकल्चर लेबर है और जांच कर लें उनकी क्या हालत है जबकि मजदूरी नहीं लग रही है तो वे क्या खा रहे हैं? मैं खुद वहां पर गया था और २-४ घरों में एक भारत सेवक समाज के कार्यकर्त्ता के साथ जाकर देखा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उनके घरों में जाऊं लेकिन मैं दावत देता हूं जो भाई देखना चाहें मेरे साथ चलें और मैं दिखाता हूं कि यह ह्यूमैनिटी है जो हमारे और तुम्हारे नाम पर रो रही है। मैं समझता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जिस दिन इन गरीबों की आह उभरेगी और चाहे हम उन की तरफ से नमक हरामी कर रहे हों जो भी उन के साथ न्याय नहीं करेगा उस को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ में अन्न नहीं है, लेकिन जिस वक्त वहां के लोग पोलिटिकल अपोनेंट के साथ जूझते हैं तो उस को ठिकाने लगा के छोड़ते हैं और जो लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश को भूखों मारने पर उतारू हैं उन को ठिकाने लगा कर छोड़ेंगे।

एक बात कागज दुरुस्ती के ऊपर मैं कहना चाहता हूं। लेखपाल का कागज आज पुराने जमाने से ज्यादा खराब है। इससे हमारे भाई सहमत होंगे। बाप की जगह बेटे का

[श्री बैजनाथ]

नाम लिखने पर रिश्वत ली जाती है। मैं मिनिस्टर की हैसियत से कोशिश करता रहा। लेकिन आज कागजात की दुरुस्ती का काम, विरासत का काम जितना गलत ढंग से आज होता है उतना कभी नहीं था। आप जानते हैं बन्दोबस्त हो जाया करते थे १५, २० वर्ष पर। यह काम अब बन्द हो गया और यह कहा गया कि चकबन्दी होगी तब सब ठीक हो जायगा। न मालूम अब चकबन्दी खत्म होगी इस से मुकदमे बाजी बढ़ रही है और नीचे का तबका परेशान है। मैं माल मंत्री जी से कहना चाहता हूं मेरे हाथ में होता तो जरूर करता और भाव तो दूर रहे सिर्फ कंट्रोल रेट पर इन्तखाब बिकवा दिया जाय। और लेखपाल ही बेचते हैं। उनको मालूम होगा कि खसरा का इतने आने में दे दो और खतौनी का इतने में दे दो। लेकिन वहां आने पाई का हिसाब नहीं है बल्कि रुपये में हिसाब है। यह काम आप अगर कर डालें तो बड़ी राहत किसानों को मिलेगी।

पटवारियों का मालूम हुआ कि ५ साल में तबादला होने जा रहा है। तो देख लिया जाय कि इन पटवारियों का तबादला हुआ कितनों का? किसानों से यह इतना बदला लेते हैं कि किसान इन से बड़े दुखी हैं। अगर इनका ट्रांसफर होता रहे तो मैं समझता हूं कि उनको थोड़ी राहत होगी।

अफसरों के दौरे के सिलसिले में मुझे कहना है माननीय मुख्य मंत्री भी पुरानी चीजों को पसंद करते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि इन अफसरों को पुरानी चीज क्यों नहीं पसंद करायी जाती है? चारों तरफ इकोनामी हो रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक काम में न हो। इनको घोड़ा जरूर दे जाय और कलेक्टर और कप्तान को जरूर घोड़ा दिया जाय और घोड़े पर चढ़कर दौरा किया जाय। पुराने जमाने में कमिश्नर तक घोड़े पर जाते थे। कलेक्टर अब घोड़े पर दौरा करेगा तो लेखपाल स्वतः घोड़े पर चलेगा जिस के कारण हर किसान से उसका सम्पर्क हो सकेगा। आज भी इतनी सड़कें नहीं हैं कि खेतों पर जाकर परताल कर सकें। परताल करें तो ये सारी चीजें दुरुस्त हो सकती हैं।

चकबन्दी के सिलसिले में मैं एक बात कह दूं। बड़ी ऊंची राय हमारी थी और आज भी चकबन्दी में कुछ अफसर ऐसे हैं जिनके बारे में ऊंची राय है। चकबन्दी का काम बहुत जिम्मेदारी का है। इसमें काश्तकार की सारी ईंटें उखड़ जाती हैं और अगर ईंटें जोड़ने वाला अनाड़ी हुआ तो ईंट जुड़ नहीं सकती। बहुत एक्सपर्ट लोगों के लिये चकबन्दी है और ऐसे लोगों के लिये है जो रुपये पैसे से कम मुहब्बत रखें। इसमें उनके हाथ में बड़ी ताकत है। किसानों को तकलीफ न हो इसका उनको खयाल रखना चाहिये। हमारे सूबे में ज्यादा तेजी से चकबन्दी का काम हो रहा है, लेकिन जो खर्चा होता है वह सारा किसानों से लिया जाता है इस पर जरा विचार करना चाहिये कागज दुरुस्ती का खर्चा भी काश्तकार पर डाल दिया जाता है। यह काम सरकार का है, इसलिये इसका खर्च काश्तकार पर नहीं पड़ना चाहिये।

भूमि अधिग्रहण का कानून आज भी डिफेक्टिव है। आदेश यही है सरकार के कि बाजार रेट पर जमीन ली जाय, लेकिन बाजार रेट पर ली नहीं जाती है। काश्तकार को दिक्कत होती है और कीमत मिलने में वर्षों लग जाते हैं। मैं बोर्ड आफ रेवेन्यू का ध्यान खास तौर से इसकी तरफ दिलाना चाहता हूं कि काश्तकार को नुकसान न उठाना पड़े। आज भी बहुत सी शिकायतें मिलती हैं कि काश्तकार को मौके पर मुआविजा नहीं मिला। दूसरे लोग मुआविजा ले लेते हैं। रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर होते हैं उनको मुआविजा का आफिसर बना देते हैं। जवान आदमी को इंचार्ज बनाना चाहिये ताकि उसे सारी खबर रह सके।

मैं सरकार से कहता चाहता हूं कि मालगुजारी का मसला किसी पार्टी का मसला नहीं है। हाउस का मसला है। सारे लोगों ने फैसला किया है और जनसंघ इस मामले में अगर शामिल है तो धन्यवाद का पात्र है। आज शाम को अथवा कल शाम को मुख्य मंत्री के मुख से हम सुनेंगे कि सवा छ एकड़ के नीचे सब की मालगुजारी माफ कर दी गयी है। यह कोई बड़ी बात नहीं

होगी। एस० वी० डी० के कार्यक्रम से कम ही होगी। यह भी निवेदन है कि काश्तकार की कड़ाई में से निकाल कर चूल्हे में न डाल दिया जाय। आज किसान मुसीबत में है। उसे आगे बढ़ाइये ताकि कुवें बना सके, फर्टिलाइजर दे सके, पानी दे सके, खेती को आगे बढ़ा सके और देश की खाद्य समस्या को हल कर सकें। मैं समझता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर विचार करेगी।

(अन्य कटौती के प्रस्तावों के लिये देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८१—८५ पर)

*श्री सरजू प्रसाद (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व की मांगों का समर्थन करने के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। हमारे पूर्व वक्ता जो अभी बोल रहे थे हमने तो उनके चरणों में बैठकर ही राजनीति सीखी है, समाजवाद का पाठ उन्हीं से पढ़ा है और हम उनकी आज भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी कि पहले करते थे। परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारे माननीय नेता गरीबों को राहत देने का नक्शा बनाते हैं वह एक ऐसी नीति अख्तियार करते हैं कि गरीबों को बीच में ही छोड़ जाते हैं और हम जैसे आदमियों को बेसहारा करके चले जाते हैं। आज जो सवा ६ एकड़ वाली बात कर रहे हैं अगर माननीय गेंदा सिंह, माननीय रामायण राय, माननीय कल्पनाथ सिंह जैसे लोग, जो समाजवादी विचारधारा के प्रकांड पंडित थे, लड़ाकू थे, वीर थे, साहसी थे आज हम लोगों में रहते तो शायद सवा ६ एकड़ से ज्यादा का लगान भी माफ हो सकता था। परन्तु पता नहीं इनमें क्या निराशा आयी कि गरीबों की बात छोड़ कर उस पार्टी की वकालत करने लगे जिसने गरीबों को पददलित किया, जिसने हमेशा गरीबों को पीड़ा दी और मालदारों को पनपाया। और मैं नहीं समझता कि उनकी आत्मा कैसे इजाजत देगी कि ऐसी पार्टी में बैठकर के गरीबों की वकालात करें? सदन सोचता तो ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, परन्तु कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई भी गरीबों को सुधारने का प्रोग्राम नहीं है।

श्रीमन्, जो राजस्व वसूल होता है वह सभी किस्म के आदमियों से अब तक वसूल होता रहा है, छोटे किसान से भी और बड़े किसान से भी। किसान दो किस्म का होता है। एक तो व्यापारी किसान होता है जिसके पास ज्यादा जमीन होती है और दूसरा जो अपनी जिन्दगी चलाने के लिये खेती करता है वह छोटा किसान होता है। जो ६ एकड़ का काश्तकार है उसकी हालत अगर आप देखें तो उसकी हालत त्रिशंकु की है, वह बीच में लटक रहा है, न व मजदूर है न काश्तकार। त्रिशंकु का एक किस्सा है कि एक आदमी को स्वर्ग में जाने का आदेश हुआ। इन्द्र ने कहा कि यह जिन्दा मानव स्वर्ग में आ रहा है, इसको बीच में रोक दिया जाय। तो वह बीच में लटका रह गया। यही हालत है ६ एकड़ के किसान की है।

खेती के लिये पानी, खाद, बीज, यंत्र, इन चीजों की जरूरत होती है। पानी के लिये बड़ा काश्तकार तो अपना इंतजाम कर लेता है। बारबन्दी में भी उनका ज्यादा हिस्सा आ जाता है, लट्ठ उसके पास होता है और अपने हिस्से से भी ज्यादा पानी ले जाता है। इसके अलावा बड़ा काश्तकार अगर नहर या नलकूप नहीं है तो नलकूप लगा लेता है और अगर सरकार बिजली नहीं देती है तो आयल इंजन लगा लेता है। मगर छोटे काश्तकार के पास तो कुंवां और रहट भी नहीं है और रहट की आबपाशी इतनी मंहगी पड़ती है कि १६, १७ रुपये फी कच्चा बीघा पड़ती है। तो छोटा काश्तकार पानी की भी ठीक व्यवस्था नहीं कर सकता है। छोटे काश्तकार को खाद भी नहीं मिल पाता और छोटे काश्तकार की इतनी दुर्दशा है कि उसके पास निजी गड्ढा भी खाद के लिये नहीं होता है। लेकिन बड़े काश्तकार के पास गड्ढे अहाते के पास होते हैं और उसको खाद मिल जाती है। छोटा काश्तकार जिसके पास छोटी सी जमीन है उसको खाद नहीं मिल पाती। उसके गोबर की भी खाद नहीं बन सकती। फर्टीलाइजर में तिकड़म बड़ा काश्तकार ही जानता है और अगर छोटे काश्तकार को खाद मिल जाती है तो वह सुपरवाइजर या गांव के नेता के द्वारा मिलती है। वह सीधे पहुंच नहीं कर सकता है। उसके पास जमीन इतनी कम है कि वह सनई और ढैंचा नहीं बो सकता है। ऐसी फसल जिसमें उसे खाद प्राप्त हो नहीं बो सकता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सरजू प्रसाद]

बीज का जहां तक सवाल है छोटे काश्तकार को नसीब नहीं हो पाता है। बुवाई के समय छोटा काश्तकार बीज के लिये दौड़ धूप करता है और नेताओं के पास चक्कर काटता रहता है जब उसको बीज मिलता है तो बुवाई का समय निकल जाता है। यदि किसी फसल को ठीक समय पर बीज न मिले और १५ दिन बाद बीज बोया जाय तो उस खेत में आधा ही अन्न पैदा होगा। इसलिये छोटा काश्तकार समय से बीज बोने में पिछड़ जाता है। जहां तक यंत्रों का सवाल है छोटे काश्तकारों को नसीब नहीं हो पाते हैं। वह तो बैल खरीदता है और चूंकि उसके पास नकद रुपया नहीं होता है इसलिये वह व्यापारी से ५०० रुपये बैल १,५०० रु० में खरीदता है। जब छोटे काश्तकार के यहां फसल आती है तो उसके यहां बैल वाला, लगान वाला, भराई वाला, बीज वाला और साहूकार यानी सभी लोग उसके यहां पहुंचते हैं। गृहस्थी के तमाम खर्च भी इसी समय उसको करने पड़ते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि काश्तकार बाध्य होकर अपनी फसल को बेचता है। पहली सरकार की यह नीति रही है कि जब काश्तकार के यहां फसल आती है तो भाव सस्ते हो जाते हैं और उसके बाद दूने तिगूने दाम हो जाते हैं। पारसाल गेहूं फसल पर २८–३० रुपये मन था, लेकिन बाद में ६०–६५ रुपये हो गया। इसी तरह से मकई २०–२२ रुपये थी जो बाद में ५४–५६ रुपये हो गई।

(व्यवधान)

श्रीमन्, मैं अपनी सरकार की एक नीति से संतुष्ट हूं कि हमारी सरकार ने छोटे काश्तकारों का लगान माफ करने की नीति अपनाई है।

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)—

दो रुपये लगान वाले क्या छोटे काश्तकार नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रदेव जी, आप अपना स्थान गहण करने की कृपा करें।

श्री सरजू प्रसाद—

मेरी मंशा के मुताबिक यह जरूर है कि छः एकड़ वालों का आधा लगान माफ हुआ है। अगर सरकार तीन एकड़ का बिलकुल लगान माफ कर देती, उससे शुरुआत करती तो बहुत अच्छा होता। तिवारी जी दो रुपये लगान वाले को लेकर चिल्लाते हैं, मैं कहता हूं कि छः एकड़ का आधा लगान माफ करने के बजाय तीन एकड़ का पूरा लगान माफ कर दें तो बहुत अच्छा हो। सरकार इस पर सोचे। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं और सरकार को धन्यवाद देता हूं, जो छोटे काश्तकारों को माफी देने की नीति अपनायी है।

श्री अयोध्या प्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कई दिन उठने बैठने के पश्चात् आज जो राजस्व पर अनुदान प्रस्तुत हुआ है उस पर जो आपने समय दिया है उसके प्रति मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, कांग्रेस पक्ष के सभी सदस्य उत्कंठा में थे, उत्सुकता में थे कि जिस वक्त राजस्व मंत्री द्वारा अनुदान प्रस्तत होगा उसमें १९ सूत्री योजना में जो पूर्ण लगान माफ करने की बात कही गयी है उसकी घोषणा की जायगी। लेकिन आज आश्चर्य हुआ जब हमारे समाजवादी समाज के बहुत बड़े नेता जो इस वक्त माल मंत्री पद पर सुशोभित हैं, जब उनके मुख से यह बात सुनी गयी कि लगान छः एकड़ का आधा माफ होगा तो न केवल हम बल्कि हमारे सरकारी पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं जिनका समाजवादी समाज में विश्वास है, जो समाज के द्वारा सबका उत्थान चाहते है, उनकी भी इच्छा पस्त हो गयी। भले ही पार्टी के दबाने के कारण वे अपने विचारों को व्यक्त न करते हों, लेकिन यदि उनकी अन्तरात्मा से पूछा जाय

यही उनकी आवाज होगी कि छः एकड़ तक लगान पूर्ण माफ होना चाहिए। लेकिन पूर्ण लगान माफ के कौन कहे, दो रुपये का लगान भी माफ नहीं किया गया। किसान, जिसके बल पर हम और आप सदन में आते हैं, जिनकी संख्या जैसा कि आदरणीय गेंदा सिंह ने कहा है एक एकड़ से कम वालों के ४३ लाख परिवार हैं, यदि चार या पांच व्यक्तियों का परिवार माना जाय तो सोचा जाय कितने करोड़ हो सकते हैं। यह जो अनुदान पेश हुआ है, वह शब्द में नहीं कहूंगा क्योंकि अनपारलियामेंटरी है, इस से बड़ा अन्याय हुआ है। सबसे पहले १९ सूत्री योजना में यह दावा किया गया था कि सवा छः एकड़ तक लगान माफ करेंगे। लेकिन सबसे पहले सदन में ऐलान यह हुआ कि भूमि भवन कर माफ करेंगे। जो बड़े बड़े सम्पत्ति वाले अट्टालिकाओं में रहने वाले हैं, शहरों में, उनका लगान माफ करने से पहले यदि दो रुपये लगान देने वालों का भी माफ कर देते तो क्या बुरा होता ?

मान्यवर, आज मुझे यह आशा नहीं थी, नहीं तो मैं आज इस मंत्रीमंडल को धन्यवाद देता, यदि वे सवा छः एकड़ का ऐलान किये होते। कहा जाता है, बहुत सुना जाता था, आशायें बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन उन पर आज प्रदेश की जनता के सामने, प्रदेश के छोटे-छोटे किसानों के सामने पानी फिर गया। वह कहेंगे कि समाजवादी समाज की जो बात करते थे, वह केवल कोरी कल्पना मात्र था। सिंचाई से जो महरूम असिंचित भूमि है, उसके बारे में मंत्री जी ने थोड़ासा भी प्रकाश नहीं डाला, क्योंकि जहां सिंचाई की भी सुविधायें नहीं हैं, उस पर उन्होंने कुछ भी बिचार नहीं रखे।

मान्यवर, केवल एक बात और कहना चाहता हूं जहां तक गांव समाज की सम्पत्ति का सम्बन्ध है यह सरकार का उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। जो गांव समाज की सम्पत्ति का अपहरण होता है वह ग्राम सभापति अपना उत्तरदायित्व समझकर न्यायालय में जाता है, मैं मानता हूं कि उसके लिये कानून का सहारा देने वाले वकील हैं, लेकिन ग्राम सभापतियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पातीं। मान्यवर, मैं बताऊं, गांव समाज की जो सम्पत्ति है उसका अपहरण जमींदारी उन्मूलन के बाद आज भी तेजी से होता है। जमींदारी उन्मूलन के बाद बहुत से ऐसे भी जमींदार हैं जो उस समय के जमींदारों से कम खूंख्वार नहीं हैं। वह गांव समाज की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करते हैं अपनी ताकत के बल पर। लेखपाल एक सरकार का व्यक्ति होता है, विधायक तो जो नोट लिख दे उसकी बात नहीं मानी जाती, जितनी कि लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार की बात मानी जाती है। मैं राजस्व मंत्री का ध्यान विशेषकर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें आज गांव समाज की सम्पत्ति का तो अपहरण होता है, किन्तु जगह जगह सभापतियों का कत्ल भी होता है।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करता हूं एक किसान और ईमानदार व्यक्ति वहां का सभापति था, किन्तु वहां के एक व्यक्ति ने देखा कि यह मेरे साथ मेरे अनुकूल काम नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा तो हाल ही में उसकी हत्या कर दी गई है। गोरखपुर जनपद के चौरी-चौरा के सभापति की इसी तरह से हत्या की गई। इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये। मैं जिस ग्राम सभा का सभापति हूं, ग्राम सोहनपार का वहां भी जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सब लोगों ने ग्राम समाज की भूमि का बहुत बड़ी मात्रा में अनुधिकृत कब्जा किया है लेखपाल के लिखने से। गांव समाज की भूमि को दूसरे के कब्जे में लिख दिया गया है। यहां तक कि जिसमें मन्दिर है उसके बारे में भी लिखा है। बार बार अधिकारियों को इस बारे में लिखने पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सोहनपार ग्राम पंचायत देवरिया जनपद में है किन्तु उसके बारे में लेखपाल और कानूनगो को मालूम ही नहीं है कि इसका जमींदारी उन्मूलन किया गया है या नहीं। लेखपाल जो पहले पटवारी कहलाते थे और जिनको माननीय चौधरी चरण सिंह जो आज हमारे मुख्य मन्त्री हैं उन्होंने उनको लेखपाल बना दिया, लेकिन एक ओर हमारे सम्माननीय राज्यपाल हैं जो सम्मानजनक शब्दों का व्यवहार करते हैं और नियमों का पालन करते हैं किन्तु "पाल" वाले लेखपाल जो हैं इन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिये हैं।

[श्री अयोध्या प्रसाद आर्य]

इंतिखाब के लिये गरीब जाते हैं, लेकिन गरीब जाता है तो उनको वगैरा नो लिख दिया जाता है विधवायें, मिलिटरी वालों की विधवायें, हरिजन इन सब के खातों को कहीं वगैरा नो लिख दिया जाता है। इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। यह बात जरूरी है कि यह तय हो गया है कि गांव सभापति अब उनके परामर्श से ठीक ठीक पेटीशन लिखा करें यह नियम बन गया है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इस नियम का ठीक से पालन नहीं किया जाता।

श्री उपाध्यक्ष--

आप का समय समाप्त।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, २ रुपये लगान वालों को माफी नहीं होगी और सवा ६ एकड़ तक की खेती वालों की मालगुजारी सिर्फ आधी ही माफ की जायगी यह सुनकर मुझे जैसे समाजवादी सेनानी को बड़ा दुःख पहुंचा है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी के शब्दों को दुहराऊं कि २ रुपया तक वाला किसान किसान नहीं है वह ऐसा गया गुजरा किसान होता है जिसकी हालत मजदूर से भी बदतर होती है। सवा ६ एकड़ तक आधी मालगुजारी माफी न करके अगर आप ५ एकड़ या ४ एकड़ तक पूरी मालगुजारी माफ कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन दुःख है कि सवा ६ एकड़ तक आधी ही मालगुजारी माफ की गयी है। वही कहावत चरितार्थ होती है खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वह भी मरी हुई। लेकिन थोड़ी सी आशा धुंधली किरन दीखती है कि शायद आगे चल कर सवा छः एकड़ तक पूरा ही लगान माफ हो जाय। यदि माल मंत्री जी कल उत्तर देते समय यह एलान कर दें कि वे सवा ६ एकड़ तक की पूरी मालगुजारी माफ करते हैं तो प्रदेश की ८ करोड़ जनता हृदय से उनकी घोषणा का स्वागत करेगी। इसके साथ ही साथ २ रुपये वाली बात बिलकुल हटा देनी चाहिये। उनकी मालगुजारी ज्यों की त्यों रह जाय यह तो बहुत शर्मनाक चीज होगी इसको बिलकुल ही समाप्त कर देना चाहिए। यह दो रुपया लगान हमारे लिये, प्रदेश की ८ करोड़ जनता के लिये बहुत शर्मनाक चीज होगी।

चकबन्दी का जिक्र माल मंत्री जी ने किया। मैं मालमंत्री जी को बता दूं, चकबन्दी जिस इलाके में आ जाती है वहां के लोग समझते हैं मानों कोई प्लेग की बीमारी आ गयी है। चकबन्दी से प्रदेश के किसान बर्बाद हुये हैं लोग अपने घर, अपनी घरवाली का जेवर, कपड़े बेचकर भी अच्छा सा चक नहीं प्राप्त कर पाते हैं और छोटा मोटा किसान तो कर्जे के बोझ से ही मर जाता है। ऐसी चकबन्दी से क्या फायदा जिसमें तीन अथवा चार चक हो जाते हैं। एक या ज्यादा से ज्यादा दो चक बनाये जायें। यदि इसी प्रकार चकबन्दी चलती रही जैसे कि गत २० साल से चलती रही है कोई तबदीली नहीं की गई, तो इस सरकार का भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस की गवर्नमेन्ट का हुआ। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे अच्छे चक लोगों को बिना किसी प्रकार की रिश्वत दिये ही मिल जायं या फिर इस चकबन्दी को तब तक के लिये रोक दिया जाय जब तक ईमानदार अधिकारी व कर्मचारी इस महकमे में न आ जायं। लेखपाल जो खसरा और खतौनी की नकल देते हैं वह भी बिना रिश्वत लिये नकल नहीं देते हैं रिश्वत के लेने के बाद ही गरीब किसान को नकल मिल पाती है। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि जिस प्रकार से दिल्ली के किसानों के लिये दिल्ली सरकार ने पास बुक बना कर दी हैं उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये भी उत्तर प्रदेश की सरकार पास बुक जारी करे। इससे यह लाभ होगा कि किसान को रिश्वत के रूप में जो रकम आये दिन देनी पड़ती है उससे उनको छुटकारा मिल जायगा और उत्तर प्रदेश के किसान इस संविद की सरकार का जनता की तथा किसानों की सरकार के रूप में स्वागत करेंगे।

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सोहन लाल धुसिया पीठासीन हुए।)

आज यह कहा जाता है कि ६। एकड़ तक मालगुजारी इसलिये माफ नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि बिना टैक्स लगाये ही सरकार कम से कम ६०, ७० करोड़ रुपया आसानी से प्राप्त कर सकती है। इससे ६। एकड़ तक मालगुजारी की ही माफी नहीं होगी बल्कि दसवीं क्लास तक बच्चों को शिक्षा भी मुफ्त दे सकते हैं। समान कार्य के लिये समान वेतन की जो बात कही जाती है वह भी सरकार अध्यापकों के लिये पूरा कर सकती हैं तथा सस्ती व बिना मुनाफे की सिंचाई योजना भी लागू कर सकते हैं। इससे उत्तर प्रदेश के बहुत से आवश्यक काम पूरे किये जा सकते हैं जो १६ सूत्री कार्य क्रम के अन्दर आते हैं और जिनके पूरा होने से प्रदेश की जनता का हित होगा।

किस प्रकार से आमदनी बढ़ सकती है इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव संक्षेप में बतलाना चाहता हूं। सरकार ने जिस तरह से एलान किया है कि हम उदारता के साथ बसों के परमिट देंगे सरकार बसों के परमिट उदारता से ना दे बल्कि उन परमिटों को नीलाम करे क्योंकि बसों के परमिट कोई गरीब आदमी नहीं लेता है। अमीर आदमी ही बसों के लिये परमिट लेते हैं जो बस के लिये कम से कम ३०, ४० हजार रुपया खर्च कर सकता हो। इन परमिटों को नीलाम कर दिया जाय। गाजियाबाद से दिल्ली के बीच बस के परमिट की कीमत १।। लाख रुपया है। ३०, ४० हजार रुपये से कम कीमत वाली कोई भी रूट नहीं है। अगर उन सभी परमिटों को नीलाम करें तो इससे करोड़ों रुपया प्राप्त हो सकता है। नलकूपों को बस के पानी, ट्यूबवेल विभाग को हर साल लगभग ६ करोड़ का घाटा उठाना पड़ता है। यदि सारे नलकूपों को ठेके पर दे दिया जाय तो जो यह ६ करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ता है उससे सरकार बच सकती है तथा ठेके से जो आमदनी होगी वह दो या तीन करोड़ रुपये के लगभग होगी। इस प्रकार से इस विभाग में ८, ९ करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है। सेल्स टैक्स यदि ठीक तरीके से उत्पादन पर लगा दिया जाय और निगरानी भी जागरुकता के साथ की जाय और कड़ाई से वसूल किया जाय तो उससे १०, १५ करोड़ रुपया अधिक प्रस्तुत हो सकता है। इसी प्रकार बढ़िया शराब यानी अंग्रेजी शराब की दुकान, बार प्रिट की दुकानों को भी नीलाम देशी शराब के ठेके की तरह से किया जाय तो इससे भी करोड़ों रुपये की आमदनी हो सकती है। ८० फीसदी सोसाइटी जो कागज पर चल रही है जिनको अनुदान दिया जाता है और कोटा भी उनको दिया जाता है, यदि इन को समाप्त कर दिया जाय तो इनसे भी सरकार को बहुत रुपये की बचत हो सकती है। मेरठ जिले में मैं जानता हूं ९० फीसदी कोआपरेटिव सोसाइटियां कागज पर चल रही हैं। कोई भी चाहे कैलाश प्रकाश जी का आदमी हो या श्री बनारसी दास जी का अथवा श्रद्धा जी का उन्हीं को बड़ी धनराशि अनुदान में मिल गई और कोटा भी उदारता के साथ दे दिया गया है। उन व्यक्तियों ने उन्हीं अनुदानों से अथवा कोटों को ब्लेक में बेंचकर बहुत बड़ी मात्रा में धन कमाया। जिसका नतीजा यह हुआ है कि वे लोग जो कल तक भूखों मरते थे आज लखपति और करोड़पति हो गये हैं। यदि इस प्रकार की कोआपरेटिव सोसाइटियों को रद्द कर दिया जाय तो इससे उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा हित होगा, और सरकार को भी करोड़ों रुपयों का लाभ होगा।

विकास खंड, काम दिलाऊ दफ्तर और इंडस्ट्रियल कारपोरेशन तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो जनता के खून के प्यासे रहते हैं और कदम कदम पर जहां जनता से रिश्वत ली जाती हो इन दफ्तरों को तोड़ दिया जाय। इनमें लगे हुये कर्मचारियों को किसी दूसरी जगहों पर लगा दिया जाय तो इससे करोड़ों रुपया बच सकता है। इसी प्रकार से सिंचाई, बिजली एक ही मन्त्री के महकमे हैं, लेकिन आगे चलकर इनको दो महकमों में बांट दिया गया है। यदि महकमे को एक बना कर एक ही चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर और एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के सिपुर्द कर दिया जाय और एक ही महकमा बना दिया जाय तो सरकार को बड़ा लाभ होगा। कृषि और खाद्य महकमों को दो के बजाय एक कर दिया जाय क्योंकि दोनों का एक ही जैसा काम है, प्लानिंग, स्वशासन और पी० डब्लू० डी० इन तीनों के कामों को

[श्री प्यारेलाल]

जिनका एक ही तरह का काम है एक कर दिया जाय तो इससे बड़ी धनराशि बच सकती है। मन्त्रियों के और अफसरों के भत्तों, वेतन तथा सुरक्षा और वैभव के खर्चे में कटौती की जाय तो सरकारी कोष काफी बढ़ सकता है। भूतपूर्व मंत्री और गजटेड अफसरों की आमदनी की जांच की जाय और भ्रष्टाचार के धन से अर्जित की गयी सम्पत्ति और जायदादें जब्त की जायं तो इससे भी जो गलत काम करने वाले हैं उनको चेतावनी मिलेगी और काफी मुद्रा का लाभ होगा। इसी तरह से ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनसे आमदनी इतनी बढ़ सकती है जिससे हम ६। एकड़ तक मालगुजारी माफ कर सकते हैं। ६। एकड़ की मालगुजारी माफ करने में लगभग ११ करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। अभी सरकार का मन जनता को लाभ पहुंचाने का नहीं है। जब मन बन जावेगा तब धन की कमी नहीं रहेगी। बच्चों को दसवें तक निःशुल्क शिक्षा देने पर दो तीन करोड़ का भार पड़ेगा सरकार पर। अध्यापकों अथवा प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन १५० रु० मासिक करने पर लगभग १० या १२ करोड़ की धनराशि खर्च होगी। सारे प्रदेश में जो परती भूमि पड़ी है उसे यदि आप तोड़ कर भूमिहीनों को दे दें तो उससे प्रदेश की आमदनी भी बढ़ेगी और अनाज की समस्या भी हल हो जायगी। सस्ती तथा बिना मुनाफे की सिंचाई पर लगभग २० से ३० करोड़ रुपया का भार सरकार पर पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त एक ऐसा निष्पक्ष, सर्वसत्तापूर्ण जांच आयोग बिठाया जाय कि जो सारे भ्रष्टाचारों की लाठी चार्ज व गोली काण्डों की जांच करे। उन भ्रष्टों में भले ही वह बनारसीदास जी ने किये हों, गुप्त जी ने किये हों या नवलकिशोर जी ने किये हों या हमारे उप मुख्य मंत्री जी ने ही क्यों न किये हों जिन पर विरोध पक्ष दिन प्रति दिन आरोप लगाता रहता है। केवल मुजफ्फर हसन साहब के मामले की जांच होने से कुछ भी सुधार न होगा। ऐसा करने से प्रदेश की आठ करोड़ जनता को राहत मिलेगी। पी० एस० एक योग तथा भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कर दण्ड देना जरूरी है।

इसके साथ ही मैं एक ऐसे कानून की निन्दा करना चाहता हूं जिसको अंग्रेजों ने १८९४ में बनाया था। इसके मातहत गरीब किसानों की भूमि ली जाती है। जैसा कि हमारे गाजियाबाद में हुआ, वहां हजारों एकड़ ३ व ४ फसली उपजाऊ जमीन किसानों की २३ जुलाई, १९६० को अथवा ६२-६३ में छीन ली गयी, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया। उनकी जमीनों पर एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन गया, पी० डब्ल्यू० डी० कालोनी, कवि नगर, राज नगर कालोनी बन कर तैयार हो गयी और किराये पर भी चढ़ गयी, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिल सका है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आप ही अपने कर्मचारियों को दो, चार महीने तक तनख्वाह न दें तो वे क्या दफ्तरों में काम करेंगे ? वह किसान मुआवजा न मिलने के कारण आज अपने बच्चों की पढ़ाई कहां से करायें, उनको दवा-दारू, मालत पोषण नहीं करा पा रहे हैं। कहां से बच्चों को रोटी, कपड़ा जुटा पाये तथा कहां से उनके विवाह शादी करें? बड़ी भारी परेशानी में फंस गये हैं बेचारे। आप मुआवजा न देकर उन किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसके लिए २० वर्ष पुरानी कांग्रेसी सरकार को कोई भी किसान माफ नहीं करेगा। मैं मंत्री जी से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि ऐसे काले-कानून को तिलांजलि दीजिए, ऐसी नीति को छोड़िए जिससे प्रदेश की आठ करोड़ जनता की परेशानी बढ़ती हो। जो सामने बैठे हैं उन्होंने प्रदेश की आठ करोड़ जनता की पीठ में छुरा भोंका है, कांग्रेसियों की जनविरोधी नीतियों के कारण ही इनकी दुर्गत हुई है। आप ऐसी नर्म नीति अपनायें जिसमें गरीब किसानों की उपजाऊ भूमि न ली जाय और किसानों का भला भी हो। जनता आपका गुणगान करेगी ? इन कुर्सियों को गद्दी भी नसीब न हो सकेगी।

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आप जानते हैं कि सरकार की इस घोषणा का बड़ा शोर था और ऐसा मालूम हो रहा था कि इससे प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस समय ६ एकड़ की माफी में भी शर्त लगी है। पूर्वी जनपद का किसान ऐसा है जो बहुत तादाद में दो एकड़ के खाते रखता है। अगर आप किसानों का फायदा करना चाहते हैं तो पूर्वी जनपद का आप ध्यान रखें और यह दो रुपये की जो बात घोषणा में है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। इससे प्रदेश के किसानों का वास्तव में भला हो जायगा।

दूसरी बात मैं दुर्भिक्ष के बारे में कहना चाहता हूं। ऐसा मालूम हो रहा है कि यह सरकार पूर्वी जनपद में स्वतः दुर्भिक्ष का आवाहन कर रही है। अभी लेवी वाला मामला था, मैं उसका विरोधी नहीं था लेकिन आप देखें कि वह किन लोगों से ली जाती है। यदि किसान के पास उत्पादन होता है तो ठीक है आप उससे लेवी की वसूली करें, लेकिन यदि उत्पादन वहां नहीं हुआ तो उस क्षेत्र से लेवी नहीं वसूल की जानी चाहिए। पूरब में जो ११-१२ जिले हैं वह मौत के कगार पर खड़े हैं। देवरिया तो सस्ते रेट पर चीनी केंद्र को देता है, वहां तो गल्ला नहीं के बराबर है। वहां गल्ला गोरखपुर और बिहार से आता था। आज बिहार का गल्ला बन्द हो गया, गोरखपुर का बन्द हो गया। जिस पर भी वहां गरीब किसानों के घर घुस कर लेवी और अन्न वहां से वसूल कियागया है। किसान के पास जो थोड़ा बहुत गल्ला था वह अपने यहां काम करने वाले को, रोपने वालों के लिए वही अन्न देते थे और उसके बाद फालतू जो बचता था वह बाजार में ले जाते थे लेकिन वहां इस सरकार ने जबरदस्ती पुलिस के बलपर, संगीनों के बल पर जो कि अपने को जनराज कहलाने का दावा करते हैं वह गल्ला उनसे ले लिया गया और देवरिया जनपद में, पूर्वी जनपद में आज अकाल की स्थिति आ गयी है। अब तो अगस्त, सितम्बर का महीना आ रहा है, फालतू स्टाक सारा सरकार के पास आ गया, भूख से पीड़ित किसान आज वहां मर रहा है। वह जो कुछ अन्न हुआ भी था वह सारा गंडक की धारा में चला गया और उनसे लेवी लिया गया है। किसानों को अपनी खेती बेच कर हल-बैल बेचकर बाजारों से ऊंचे रेट पर गल्ला खरीद कर देना पड़ रहा है।

बड़े जोर शोर की आवाज उठायी जा रही है कि हमने भ्रष्टाचार को बन्द कर दिया और जो आप २० साल में नहीं कर पाये हम ३ महीने में कर चुके। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने भ्रष्टाचारी पकड़े गये और क्या क्या हालत उनकी की गयी? आज भ्रष्टाचार वहीं का वहीं है। आज तहसीलदार के नीचे, ए० डी० एम० के नीचे, तहसीलदार, रजिस्ट्रार, कानूनगो और इन सब का सारा स्टाफ आज क्या कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूं? सारे स्टाफ में घूसखोरी फैली हुई है और खुले आम भ्रष्टाचार हो रहा है। कोर्ट आज भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई और कोई भी कदम नहीं उठाया गया है और शोर यह है कि बड़ा काम किया है। अकाल के मामले में भी कहते हैं कि बड़ा काम किया है। लेखपाल का एक खातेदार है, वह मर गया और जो मरे आदमी का बाप, दादा है उसी के नाम से खाता चला आ रहा है। मालूम होता है कि बाबा आदम के जमाने में आपका लेखपाल पैदा हुआ था और सौ रुपये से कम वह खाते में परिवर्तन कराने के लेते हैं, इससे कम नहीं लेते। इसलिए आज पूर्वी जनपद—गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बनारस, आजमगढ़ ये सारे पूर्वी जनपद मौत के घाट पर खड़े हैं। अन्न का दाना नहीं है, हालत खराब है। अकाल की घटा पूर्वी जिलों पर मंडला रही है और लोग महुआ पेड़ों की जड़, छाल खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। उधर के तमाम इलाकों में आज एक दाना भी खाने के लिये नहीं है, सारी फसल वहां नष्ट हो गयी है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि वहां के लिये आप जुलाई और अगस्त के लिये भोजन का प्रबन्ध कीजिये और यह इन्तजाम सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिये। आज जिनके पास खाने को एक दाना भी नहीं है, जो दाने दाने के लिये मुंह बाये खड़े हैं उनसे पुलिस के डंडे के बल पर लेवी वसूल की जा रही है। २ रुपये वालों को जो आपने कोई रिआयत नहीं दी है यह आपने ठीक नहीं किया है। जो आधा लगान आपने माफ किया है, बाकी आधा भी आपको माफ करना चाहिये। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे किसानों के साथ खिलवाड़ न करें, कोई भी

[श्री राजदेव]

सरकार हो, अगर वह किसानों के साथ खिलवाड़ क रेगी तो वह स्वयं नष्ट हो जायेगी]। आज किसानों की हालत सबसे खराब है। आज कोई किसानी का काम करना नहीं चाहता। किसानी का काम सबसे खराब समझा जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप १५ एकड़ तक के किसानों की मालगुजारी माफ कर दें। उनके लिये आप कोई ऐसा रास्ता निकालिये भगवान के नाम पर, जिससे उनको राहत मिले। किसानों को सस्ते रेट पर आप पानी दीजिये, बीज दीजिये तथा अन्य सुविधाएं दीजिये। जब तक किसान स्वावलम्बी नही बनेगा, प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। किसान की पैदावार की उसको उचित कीमत भी मिलना चाहिये।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने माननीय गेंदासिंह जी का भाषण बड़े गौर से सुना। मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं और उनकी इज्जत करता हूं। पिछले १० साल से उनका भाषण यहां सुनता रहा हूं। मैंने यह महसूस किया है कि उनके दिल में किसानों के लिये दर्द है। और उन्होंने सदैव सदन में किसान की बात उठाई है लेकिन बीच में तीन साल की जो हड़ताल हो गयी, अगर यह न होती तो ज्यादा अच्छा होता और जो काम आज हो रहा है वह काम शायद बहुत पहले हो चुका होता। आज वे फिर उसी जगह पर आ गये ह जहां से किसान की बात किया करते थे। आज फिर वे वहीं भाषा बोलने लगे हैं जो पहले बोला करते थे उसके लिए मुझे खुशी है, लेकिन जिन परिस्थितियों में आज वह फंसे हुए हैं उनसे अगर वह बाहर निकल आवें तो उनकी वाणी में अधिक बल हो जाय। कांग्रेसी भाइयों की तरफ से जो भाषण हुए उससे यही प्रतीत होता है कि उनके दिल में किसानों के लिये बड़ी हमदर्दी है बड़ी उदारता है और इधर संयुक्त विधायक दल में किसानों के प्रति जैसे कोई हमदर्दी और उदारता नहीं है। मैं कांग्रेस की उदारता के २–३ उदाहरण आपके माध्यम से सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मान्यवर, पहिली बात यह है जो राष्ट्रीय आन्दोलन के समय की है जिसे आप भी जानते होंगे क्यों कि आप भी राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्ध रहे हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन में कांग्रेस का स्पष्ट एलान था और बार बार इस बात के प्रस्ताव पास किये गये कि जब देश आजाद होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी तब लगान आधा कर देंगे। लेकिन वह उदारता १९४७ से मार्च १९६७ तक कहीं नहीं दिखाई पड़ी। उस उदारता का परिचय किसानों को कभी नहीं दिया। जब जब मौका मिला तब तब आपने लगान बढ़ाने की कोशिश किया। आपने जमीन्दारी खत्म की तो किसानों का लगान सर्किल रेट का दुगुना किया। उन अधिवासी किसानों और काश्तकारों को जिनको जमीन देने में रियायत की गई थी उनका लगान आपन दुगुना किया। दूसरा उदाहरण यह है। इसी सदन में हमारी पार्टी के सदस्य माननीय आचार्य दीपांकर ने सन् १९६१ में एक गैरसरकारी प्रस्ताव रखा था जिसको मैं पढ़कर सुना दूं, वह प्रस्ताव ४ मई, १९६१ को सदन में पेश हुआ। उस प्रस्ताव के दो हिस्से थे। पहिला हिस्सा यह है कि—"यह सदन निश्चय करता है कि तीन एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों से लगान की वसूली न की जाय।" दूसरा था कि "चकबन्दी में भूमिहीनों को मकान के लिये जमीन दी जाय।" इस प्रस्ताव पर वहस हुई परन्तु कांग्रेस ने अपने बहुमत के बल पर उसे पास नहीं करने दिया। यह उदारता उस वक्त नहीं दिखायी दी थी। उस वक्त माननीय माता प्रसाद जी ने भी उसका विरोध किया था।

तीसरा उदाहरण मान्यवर, मैं देना चाहता हूं कि सन् १९६२ में इसी सदन में उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक कांग्रस सरकार ने पेश किया था। इस विधेयक के जरिये लगान दुगुना करने का प्रस्ताव था। इस पार्टी ने जो आज इधर सरकार में बैठी है, इस विधेयक का घोर बिरोध किया था। किसानों ने भी उसका विरोध किया और आन्दोलन किया, लेकिन इसी कांग्रेस सरकार ने जब बेचारे किसान विरोध करने आये तो उन पर डंडे चलाये और उनको जेल में डाला। मान्यवर, मैं कांग्रेसी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि तब यह उदारता कहां चली गई थी? इसके

अतिरिक्त मान्यवर, इसी कांग्रेस सरकार ने सन् १९६२ में सन् १९६५ में इन्हीं किसानों का लगान चार आने फी रुपया बढ़ाया। सन् ६२ में जो लड़ाई के समय बढ़ाया गया था वह केवल एक साल के लिये वढ़ाया गया था। जब एक साल व्यतीत हो गया तो उसी सदन में माननीय झारखंडे राय जी ने प्रस्ताव उठाया कि इसको अब वापिस लें। तो बड़ी खूबी के साथ माननीय हुकुमसिंह जी जो माल मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि यह तो हमने हमेशा के लिये बढ़ाया है। जब उनको प्रोसीडिंग्स दिखाई गयीं और सदन में उनकी असत्य वात पर हंगामा मचा तब उन्होंने वह वापिस लिया। यह उदारता है उनकी। लेकिन मान्यवर, में कहना चाहता हूं हमारे माल मंत्री ने तो सवा छः एकड़ लगान पर आधे लगान की माफी का आज एलान किया है। विरोधी पक्ष को तो इसके लिये उनको बधाई देनी चाहिये और सदन में खड़े होकर प्रायश्चित्य करना चाहिये, कि जो कार्य उन्होंने सन ४७ से सन् ६७ तक नहीं किया उस कार्य को इस सरकार ने तीन महीने के अन्दर कर दिखाया है। लेकिन मान्यवर, मुझे एक यह खुशी है कि जो लोग अपने कर्त्तव्य को १९४७ से १९६७ तक, यह सन् इसलिये कहता हूं कि उन्हें २० साल से चिढ़ है भूले हुए थे, वे भी कम से कम परिस्थितियों के द्वारा मजबूर किये जाने पर इस बात को याद तो करने लगे हैं और उन्होंने भी किसानों की बात कहनी शुरू कर दी है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इधर के बैठने वाले लोग जो बाते विरोध पक्ष में बैठकर कहा करते थे वही आज अमल में ला रहे है और सरकारी कुर्सियों पर बैठकर अपने कर्तव्यों को भूले नहीं है और मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में भी नहीं भूलेंगे। (व्यवधान)

मैं दो तीन बातें अपनी सरकार से भी कह देना चाहता हूं। मैं माननीय माल मंत्री जी के इस एलान कि सवा ६ एकड़ तक का लगान आधा करने जा रहे हैं, स्वागत करता हूं और इसके लिये उनको बधाई देता हूं लेकिन एक भ्रम भी पैदा हो गया है जो आपने कि कहा दो रुपये लगान देने वाले किसानों का लगान माफ नहीं होगा। या तो आपने अपनी बात साफ नहीं की या आपका आशय क्या है इसको आपने स्पष्ट नहीं किया। आप सभी लोग इस बात को जानते है कि जमींदारी खातमे के बाद जमीदारों की जो सीर व खुदकाश्त थी उसका लगान रियायती लगाया गया था। अगर किसानों का लगान सर्किल रेट से दुगुना था तो जमींदारों का लगभग एक तिहाई ही था। बहुत से जमींदार ऐसे है जिनका एकरेज तो ज्यादा है लेकिन लगान २ रुपया ही है। हो सकता है कि सवा ६ एकड़ वालों या २ रुपये तक लगान देने वाले उन भूतपूर्व जमीदारों से ही आपका मतलब हो और इसीलिये आप उनको माफ न कर रहे हैं। लेकिन स्थिति साफ हो जानी चाहिये कि दो रुपये लगान वालें किस तरह के काश्तकार हैं। वरना दो विस्वा और ५ विस्वा जमीन जोतने वाले तथा दो रुपये लगान देने वाले ऐसे किसान भी आपके कंसेशन से वंचित रह जायेंगे।

एक बात में और पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं सदन में एलान किया था और हमारे कार्य क्रम के बमूजिब एलान किया कि वे लगान की प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं लेकिन वह ५ वर्ष के अन्दर धीरे धीरे होगा और उसके स्थान पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को लाना चाहते है। तथा ३,६०० रु० सालाना तक आमदनी वाले किसान इससे मुक्त हो जायेंगे। अगर आप इस लगान को बिलकुल माफ करना चाहते हैं तो उसे ५ साल में धीरे-धीरे माफ करने की बात मेरी समझ में आती है लेकिन जब आप एक व्यवस्था को हटाकर दूसरी व्यवस्था को लाना चाहते है तो उसमें ५ साल किस लिये लगेगा इस व्यवस्था को बदल के लिये विधेयक १ साल में ला सकते हैं, अगले सेशन में ला सकते हैं लेकिन ५ साल वाली वात कहा से उठती है।

एक दूसरी बात और है जिसका माननीय माल मंत्री जी स्पष्टीकरण कर दें इस प्रदेश के भूमि पर टैक्स लगाने की दो व्यवस्थायें अभी तक अपनाई गई हैं, कृषि आयकर और वृहतजोत कर। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ऐक्ट, १९४७ में बनाया गया और लार्ज लैन्ड होल्डिग ऐक्ट, १९५७ में बनाया गया जिससे १९६५ में संशोधन किया गया। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की खराबी यह है कि काश्तकार को अपने आमदनी का नक्शा पेश करना पड़ता है। आप जानते हैं कि जो किसान अनपढ़ है वह अपनी आमदनी का नक्शा कैसे भर सकता है। या वह इसके लिये कोई मुनीम रखे या किसी लेखपाल के पास जाय या किसी वकील के पास जाय। इस तरह से पूरी

[श्री भीखा लाल]

कल्चरल इनकम टैक्स में उसको जितनी बचत होगी उससे ज्यादा वह वकील और लेखपाल को ही सौंप देगा ।

लार्ज होल्डिंग्स ऐक्ट के अन्तर्गत भी नियम यह है कि काश्तकार को अपनी होल्डिंग्स का एक स्टेटमेंट भरकर देना पड़ेगा कि हमारे पास इतनी जमीन है यानी जो एकरेज हो वह देना पड़ेगा कि हमारे पास १० एकड़ है, २० एकड़ है या २५ एकड़ है या कितनी है । वह इसलिये है ताकि काश्तकार को किसी तरह की कोई बाधा न पड़े लेकिन इस नक्शे को भरने में भी काश्तकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इसलिये आप ऐसी व्यवस्था लावें जो सरल हो और उसका आधार रखा जाय ताकि किसान लुटने से बच जाय ।

मान्यवर, एक बात माननीय गेंदा सिंह जी ने लेखपाल के सम्बन्ध में और लैंड रेकार्ड के सम्बन्ध में कही । यह बात सही है कि लैंड रेकार्ड पटवारी के ही कागज में रहता है । पटवारी या लेखपाल सरकार का ही अहलकार है और कागजात को सही रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है । लेकिन आज की व्यवस्था में अगर लेखपाल कागजात में गलती करता है तो उसकी दुरस्ती करने का जिम्मेदारी काश्तकार की होती है । यह सभी को मालूम है कि लेखपाल कागज में जो भी लकीर बना देता है उसके लिये सरकार की ही जिम्मेदारी है और वह बोर्ड आफ रेवेन्यू में ही जाकर कटती है । कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि लेखपाल किसी गलत भावना से रेकार्ड में गलत नाम भर देते हैं जिससे सही करानें में काश्तकार को बड़ी परेशानी होती है तथा अपने रेकार्ड का करेक्शन कराने में उसे काफी खर्च पड़ता है और कभी कभी जमीन भी बिक जाती है । मेरे कहने का आशय यह है कि यदि यह मालूम पड़ जाय कि किसी लेखपाल ने जानबूझ कर गलती की है और गलत इन्दराज किया है तो उसके करेक्शन का खर्चा या तो सरकार स्वयं सहन करे या जिस लेखपाल ने बदनीयती से ऐसा किया हो उस पर डिपार्टमेंटल कार्यवाही करके उससे खर्चा वसूल होना चाहिये ।

साथ ही साथ आप हदबन्दी कानून में भी संशोधन करें । हदबन्दी कानून से जहां पहले ६ लाख एकड़ जमीन मिलने को थी, वहां केवल २ लाख एकड़ ही जमीन निकल सकी । इस तरह से यह जो डिफेक्टिव कानून है उसको प्रदेश की जनता के इच्छा के अनुरूप होना चाहिये और उसमें इस तरह का संशोधन होना चाहिये जिससे भूमिहीनों को जमीन मिल सके ।

इन शब्दों के साथ सरकार को ६ १/४ एकड़ तक के किसानों का लगान माफ करने के लिए बधाई देता हुआ राजस्व विभाग के अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—

चेयरमैन साहब, आज वह दिन है जिसका इंजार न सिर्फ इस सदन के माननीय सदस्यगण कर रहे थे बल्कि इस सूबे का हर एस काश्तकार इसके इंतजार में था । जिस रोज कांग्रेस मिनिस्ट्री गिरी थी उस दिन इसी हाउस में १९ नुक्तों में से एक को लेकर इस बात का एलान किया गया था कि इस सूबे किसानों का लगान माफ होगा । प्रजातन्त्र के साथ इससे बड़ा और क्या मजाक हो सकता है अब २ माह के बाद, जब कि इससे पहले खास तौर से ऐसे अलफाज में जिन के २ माने नहीं लगाये जा सकते यहां एलान किया गया था कि लगान पूरा माफ होगा । लेकिन आज जब रेवेन्यूबजट लगाया गया तो कहा गया कि हम सब का तो माफ नहीं कर सकते अलबत्ता सवा ६ एकड़ वाले किसानों का आधा लगान माफ कर देंगे । क्यों आपने अपने ताजे वादे को पूरा नहीं किया ? क्यों आप ने यह प्रजातन्त्र के साथ खिलवाड़ किया ? उसमें यह भी कहा गया कि जो २ रुपया तक लगान देते है उनकी कोई माफी नहीं होगी । लेकिन यह कौन सा सिद्धान्त है । दुनिया भर के सोशलिस्ट के सिद्धान्त यहां प्लीड होते हैं कोई चीन का समाजवादी सिद्धान्त है, तो कोई रूस का सिद्धान्त है और कोई किसी अन्य देश का सिद्धान्त है लेकिन यह कहां का सिद्धान्त है कि जो सब से छोटा और सब से ज्यादा जरूरत मन्द किसान है उसको कोई राहत नहीं होगी ।

यह कौन सा सिद्धांत इस सरकार ने देश के सामने रखा है इसका माननीय मंत्री जी विश्लेषण करें कि यह सिद्धांत कैसे सोशलिज्म के साथ फिट इन होता है। ऐसा करके गरीब काश्तकारों के साथ बड़ा भारी अन्याय किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने तो इस सूबे के काश्तकारों को जमीन से उठाकर काफी ऊंचे पर पहुंचाया है और मेरा तो दावा है कि कोई दल काश्तकारों को इस से ज्यादा तरक्की या उत्थान नहीं कर सकता जितना कांग्रेस वालों ने किया है। जमींदारी प्रथा का खात्मा कांग्रेस सरकार ने किया, बैगार खत्म की, जमीदारों के जुल्म से कांग्रेस सरकार ने किसानों को बचाया और निजात दिलाई, सीलिंस का कानून कांग्रेस सरकार ने लागू किया और सबसे बड़ी बात जो काश्तकारों के साथ कांग्रेस सरकार ने की वह यह है कि अनाज के भाव बराबर बढ़ते गये, गल्ला १६ सेर से १० सेर का हुआ, फिर १० सेर से ५ सेर का हुआ, ५ सेर से २ सेर का हुआ अब २सेर से एक सेर का हुआ लेकिन कांग्रेस सरकार ने किसानों का लगान वही रखा जो सन् ३७ में था। इस तरह की रियायत किस दल की सरकार किसानों के साथ कर सकती है यह हमें आगे देखना है।

हमारे एक दोस्त ने कहा कि कांग्रेस वालों ने तो सवाया लगान करा दिया था। अरे भाई समझो तो सही वह टैक्स था लगान नहीं। न समझ आये तो कहने से पहले किसी से समझ लेना चाहिये। लगान का चौथाई टैक्स पाकस्तिान की लड़ाई के समय आपदकाल में लगाया गया था। वह हमने नहीं लगाया था न कांग्रेस सरकार ने खुद लगाया बल्कि उस वक्त आम किसानों की यह मांग थी कि हम हर कुरबानी के लिये तैयार हैं और हम हर तरह अपने पैसे से सरकार की मदद करना चाहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई को जीतना चाहते हैं। उस वक्त कांग्रेस सरकार ने यह मुनासिब समझा कि सहूलियत के लिये सब पर एक सा भार डालने के खयाल से लगान का चौथाई, टैक्स लगाया और उसको भी जब जरूरत नहीं रही तो हमने माफ कर दिया। ऐसी हालत में हम से लगान बढ़ाने की बात जो कही जाती है वह बेबुनियाद है। लगान में और टैक्स में जो फर्क है उसको वह नहीं जानते, अतः उनकी नुक्ताचीनी जैसी हो सकती है वैसी ही है, उसको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापक की तनख्वाह तो आपने १०० से १५० रुपये तक देने की बात कही लेकिन माल विभाग के जो कर्मचारी हैं लेखपाल से लेकर ऊपर तक के जिनको केवल २५० या ३०० रुपये तक मिलते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात तक न कही। क्या वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों से कम पढ़े लिखे हैं या उनसे कम काम करते हैं। माल विभाग के कर्मचारी किसी भी शासन की रीढ़ की हड्डी हैं तो फिर क्या वजह है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाने की कोई बात नहीं की। नयी सरकार के आने पर मैं तो सोचता था कि वे इस पर जरूर विचार करेंगे लेकिन इस सरकार ने उस पर कुछ नहीं सोचा।

अधिष्ठाता महोदय, १० गुना लगान लेकर कुछ लोगों को भूमिधरी के राइट्स दिए गये थे। लेकिन बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने उस समय से आज तक १० गुना ही नहीं बल्कि १५ और २० गुना लगान दे चुके हैं। जिस समय यह बिल लाया गया था उस समय की बात को आज के मुख्य मंत्री भूल गये हैं जब कि उन्होंने यह अन्डर स्टैंडिंग दी थी कि १० साल बाद जब यह लोग सौ १० गुने की रकम पूरी कर देंगे तो उनको भी वे ही राइट्स मिल जायेंगे लेकिन क्या हुआ कि जब आज चौधरी चरणसिंह मुख्य मंत्री हो गये तो किसी को भी ये हकूक नहीं दिये गये जो कि १० गुना जमा करने वालों को दिए गये थे। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको क्यों भूमिधर नहीं बनाया गया? श्रीमन् भूमिधर और सीरदार के हकूकों में बड़ा फर्क है और इस ६ १/४ एकड़ वाली लगान की छूट और दो रुपया लगान देने वालों को कोई छूट न देने वाली बात से तो और बड़ा तफर्का हो जायगा। इस बात का सारी स्टेट पर असर पड़ता है मगर मेरठ के जिले में सब से कम असर पड़ता है। मेरठ के अन्दर २ रुपया लगान देने वाले बहुत कम मिलेंगे। चूंकि मेरठ डिवीजन के जो जिले हैं, वहां पर इतनी छोटी लगान देने वाले नहीं हैं इसलिए वहां पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कई बातों के बारे में इस सदन में डिस्कशन आया। हम सब देखते हैं कि सूबे के लिये जो काम किये जाते हैं वह इस बात को ध्यान में रख कर किये जाते हैं

[श्री खूब सिंह]

जिनसे मेरठ डिवीजन का कोई अनहित न होने पाये। इसलिए मैं अपने सोशलिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट भाइयों से चाहूंगा कि उधर उनका निबाह नहीं हो सकता है। उनका निबाह तो केवल कांग्रेस वालों के साथ ही हो सकता है। हम ही जनता के सच्चे सेवक हैं, गरीबों के सच्चे सेवक हैं और हमारे ही जरिए से गरीबों का कुछ हित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि गरीबों का कुछ हित हो तो हमारे साथ आइये और मिल कर देखिए। मैं कांग्रेस पार्टी का नेता तो नहीं हूं लेकिन उनकी ओर से मैं ऐलान करता हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी पावर में आयेगी, उस दिन हम सवा ६ एकड़ जमीन पर, जो आज की सरकार ने आधा लगान किया है, पूरा माफ कर देंगे।

श्रीमन्, आपके माध्यम से एक बात और अर्ज करना चाहता हूं इस सरकार से। इस पूंजीपति सरकार ने हाउस टैक्स माफ कर दिया और किसानों पर टैक्स लगाने की बात करते हैं। जो लोग दे सकते हैं उनको माफ कर दिया जाय और जो लोग नहीं दे सकते उन पर टैक्स लगाया जाय, यह कहां का इन्साफ है। कांग्रेस सरकार हमेशा से इस राय की रही है कि जो लोग टैक्स दे सकते हैं उनसे लिया जाय और उससे गरीबों को तरक्की दी जाय।

इस सरकार के जमाने में जो सूबे की तरक्की की गाड़ी है वह नीचे खिसकनी शुरू हो गयी है, हम तनज्जुली की तरफ जा रहे हैं। गिरावट की तरफ इस सूबे के आदमी नहीं जाने दिये जायंगे। हम यह बरदाश्त नहीं कर सकते कि हमारे सूबे का डेवलपमेंट खत्म हो जाय और ऊपर को बढ़ने के बजाय नीचे की तरफ खिसक जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ डेवलपमेंट के कामों की वजह से कहीं-कहीं चकबन्दी रोक दी गयी है। डेवलपमेंट का वहां काम खत्म हो गया है अतः अब सरकार को एलान कर देना चाहिये कि हम उन सभी जगहों पर चकबन्दी का काम दुबारा करायेंगे जहां डेवलपमेंट का काम होने की वजह से रोक दिया गया था। अगर कोई फ्यूचर लेवी सरकार लगाये तो उसका आधार लगान माना जाय। जिस उसूल पर आज प्रोक्योरमेंट किया गया है वह गलतियों से भरा हुआ है। लगान को बेस मान करके फ्यूचर लेवी की कोई स्कीम बनायी जाय। मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं क्योंकि सरकार ने सवा ६ एकड़ के काश्तकारों के लगान में आधी छूट दी इससे प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में किसानों को फायदा हुआ। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा उस चीज को पसन्द करता अगर छोटे काश्तकारों को मुफ्त पानी दिया जाता। मान्यवर कृषि के लिये तीन चीज आवश्यक है, पानी, बीज और खाद। पानी की इतनी आवश्यकता है कि आज ३, ४ वर्ष से पानी न बरसने के कारण सारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और गल्ले की काफी कमी हो गयी। मान्यवर एक बात और कहना चाहता हूं। आज बहुत से किसान गांव समाज की जमीन पर बसे हुये हैं और बहुत से लोग बागों में बसे हुये हैं। उनकी आबादी दर्ज नहीं है। जब वोट देने का समय आता है तो किसान जो वहां पर आबाद हैं वे अपनी राय से अपना मत नहीं दे सकते। इस प्रकार कई लाख लोग अपने मत का प्रयोग सही मानों में नहीं कर पाते। मेरा निवेदन है कि सरकार शीघ्र इस तरह का कानून बनाये जिससे वे किसान जो गांव समाज की जमीन पर रहते हैं या बागों में रहते हैं और जिनकी आबादी दर्ज नहीं है, तरह तरह के मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज होते हैं, और किसान परेशान होते हैं, उससे उनको नजात मिले। मुझे अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में विशेष कर निवेदन करना है। पिछले ४ वर्षों से वहां पर सूखा पड़ रहा है लेकिन पिछले दो वर्षों से अत्यधिक सूखा पड़ा है जिससे किसान बहुत परेशान है। हमारी तहसील पट्टी में पिछले ५ सालों में जून से नवम्बर तक

जो बारिश हुई है उसके आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। १९५६ में ५०.०१ इंच बारिश हुई। १९६३ में ३३.३६ इंच, १९६४ में ३१.८५ इंच, १९६५ में २३.०० इंच और १९६६ में २८.६० इंच पानी बरसा। तहसील पट्टी की आबादी ४ लाख है और खरीफ का क्षेत्रफल १,३५,९६७ एकड़ है जिसमें धान की पैदावार २०,२३४ एकड़ में होता है और जड़हन की पैदावार ४४,८५२ एकड़ में होती है। धान और जड़हन की पैदावार का कुल क्षेत्रफल ६५,१८६ एकड़ है। यह न पूर्व में आता है और न पश्चिम में आता है। इस जिले में कई नदियां बहती हैं और उन नदियों से भूमि में बड़ा कटाव होता है। इस तरह से बहुत सी जमीन हमारी निकल गयी है और उसमें खेती नहीं हो सकती। यह ऊसर वाली जमीन है और ऊसर वाली जमीन में केवल जड़हन की पैदावार ज्यादा होती है। जमींदारी उन्मूलन के कारण बहुत काफी जमीन नोतोड़ इस्तेमाल की गयी। इस तरह से १,३५,९६७ एकड़ में खरीफ की बुवाई होती है और रबी का क्षेत्रफल १,०५,४४९ एकड़ है और इस प्रकार खरीफ का क्षेत्रफल ३०,५१८ एकड़ अधिक है यानी खरीफ को हमारे यहां मुख्य पैदावार है और पिछले चार वर्षों में इसकी भी पैदावार नहीं हो रही है। १३७३ फसली में लगान सस्पेंड किया गया और १३७४ फसली में लगान सस्पेंड किया गया, लेकिन वह सस्पेंडेड लगान सख्ती से वसूल किया गया और किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने भूतपूर्व वित्त मंत्री को पत्र दिया था और मौजूदा राजस्व मंत्री को भी दिया था लेकिन आज तक उस पर पूर्णरूप से कार्यवाही नहीं हो सकी और आज भी वह वसूल किया जा रहा है।

सिंचाई का क्षेत्रफल पट्टी तहसील में खरीफ की फसल ९५३१ एकड़ है और असिंचित क्षेत्रफल १,२६,४३६ एकड़ है। रबी की फसल में सिंचित क्षेत्रफल ७४,२२२ एकड़ है और असिंचित क्षेत्र फल ३१,२२७ एकड़ है। इस तरह से जायद में सिंचित क्षेत्रफल कुल ३,५५७ एकड़ है। १९५७ में हमारे यहां नहर खोदी गयी और उससे १० वर्ष हो चुके हैं लेकिन ठीक से सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैंने सवाल किया था कि गोमती पम्पिंग कैनाल से कुछ पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। उस पर विचार किया जा रहा है लेकिन वह कब तक हो सकेगा यह नहीं कहा जा सकता। पूरे जिले में सरकार द्वारा केवल एक नलकूप बनाया है १२ लाख की आबादी तीनों तहसीलों में है और सरकार द्वारा निर्मित केवल एक ही नलकूप है। इस प्रकार कितनी अवहेलना सरकार ने पिछले १५ वर्षों में की है इस जिले की हम लोगों ने, हमारे जो भी प्रतिनिधि रहे उन्होंने और वहां के सरकारी अधिकारियों ने भी बार-बार इस बात का प्रयास किया कि हमारे यहां नलकूप बनाये जायं। १९५२ से १९५६ तक दस नलकूपों की व्यवस्था की गयी थी लेकिन टेक्निशियन्स ने यह राय दी कि यहां पानी का स्तर बहुत नीचे है लिहाजा नलकूप लगाना सम्भव नहीं है जो दस का कोटा था काट कर गाजीपुर जिले को दे दिया गया। इतना गरीब जिला हमारा है और मुख्य फसल धान की है। १३७३ फसली में करीब साढ़े ७ लाख के लगान और अधिभार माफी की सिफारिश अधिकारियों ने की थी उसे मान लिया गया और १३७४ फसली में भी इसी तरह की सिफारिश की गयी थी लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं की गयी। भूतपूर्व वित्त मंत्री की जाने के बाद राजस्व परिषद् के एक उच्च अधिकारी वहां देखने गये थे। उन्होंने एक खेत को देखा और फिर कहा कि लगान तो कुछ बढ़ा नहीं, यों तो पैरा बेच कर किसान लगान की अदायगी कर सकते हैं। मैं राजस्व विभाग के सेक्रेटरी, जो आज नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है, उनसे भी इस सम्बन्ध में मिला था। उन्होंने कहा था कि इतनी महंगाई है फिर भी एक मजदूर ४०–४५ रुपये पर मिलता नहीं है। यह दृष्टिकोण है आई० ए० एस० अफसरों का। इस दृष्टिकोण को बदलना चाहिये। यह सरकार ३ महीने १४ दिन की है और जो यह छूट लगान के सम्बन्ध में दी है यह शैशवकालीन सरकार की देन है। यह कम नहीं है। भूमि भवन कर माफ किया है और भी बातें करने जा रही है। यह कोई कम बात नहीं है। जो काम पिछले १५ वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पायी वह इस सरकार ने तीन महीने में कर दिखाया। तो जो कमियां हैं उनको दूर करना है और इस कानून में जो आवश्यक परिवर्तन करना चाहिये वह इस सरकार को करना चाहिये।

(इस समय ३ बजकर १४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[श्री राम किंकर]

मान्यवर, हमारे यहां बिजली की व्यवस्था पूरे तहसील में नहीं है। मान्यवर, आपका जिला और आपका क्षेत्र भी हमारे जिले से मिला हुआ है। आपके जिले में चान्दा में एक बिजली का सब स्टेशन बनने वाला था वहां से रामगंज बिजली आयेगी और रामगंज से पट्टी तहसील आने की बात थी और हमने सुना है कि सर्वेक्षण वगैरह हो गया और कुछ कांस्ट्रक्शन भी हो रहा है लेकिन वह काम भी ढीला कर दिया गया है। मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र हमारे यहां बिजली की व्यवस्था हो। पिछले वर्षों में कुछ नलकूप बने लेकिन वह भी प्राइवेट। सरकार की तरफ से एक भी नहीं बना। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि जो हमारी दो तीन मांगे हैं कि छोटे काश्तकारों को पानी मुफ्त दिया जाय और बड़े काश्तकारों को तकावी और दूसरी सुविधायें दी जायं और जो बागों में बसे हुये हैं उनके लिये कानून बनाने की जरूरत हो तो बनाया जाय ताकि वह स्वतंत्र रूप से जिसे चाहे वोट दें। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

(श्री चतुर्भुज शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

मंत्री जी सो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं मंत्रिगण से यह अनुरोध करूंगा कि वे सदन में इस तरह से रहें ताकि सदन के और सदस्यों को यह भ न हो कि वे यहां की कार्यवाही में बहुत सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह सवाल कुछ पार्टीबाजी में फांस लिया गया है। मैं समझता हूं कि यह हमारे प्रदेश का सवाल है, यह सारे किसानों का सवाल है और दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सोचना चाहिये, यदि हम अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं और किसान गलत को सही करना चाहते हैं। जो सरकार आज है उसका जनता ने इसी उम्मीद से स्वागत किया था कि उसने कुछ ऐलान किये थे जिनको वे इस साल करेंगे। उनमें से एक बात यह थी कि अलाभकर जोतों पर से लगान माफ करेंगे। अभी माननीय भीखालाल जी जो एक छोटे वर्ग के आदमी हैं, इसका उनको गर्व भी होना चाहिये, लेकिन वे भूल गये, वे कह रहे थे कि कांग्रेस वाले भूल गये। जब प्रस्ताव पास करने का वक्त आया था तो कांग्रेस ने सबसे पहले पास किया था। लेकिन आपने खाली प्रस्ताव पास किया और जब करने का वक्त आया तो बगलें झांक रहे हैं, निकलने के लिये कोई खिड़की या दरवाजा ढूंढ़ रहे हैं। लेकिन जनता ऐसी मूर्ख नहीं है और आपको कोई दरवाजा निकलने के लिये मिलने वाला नहीं है।

अभी माननीय भीखालाल जी ने कहा था कि ५ साल में माफ हो जायेगा और आधा इस समय कर दिया गया है। भूमि-भवन कर भी इस ऐलान में था कि माफ किया जायेगा। लेकिन उसे आधा क्यों किया गया? कम से कम वे लोग जो अपने मकानों में खुद रहते हैं और जिनकी १०—१० कोठियां हैं उनका माफ क्यों कर दिया गया? लेकिन जो गरीब हैं, किसान हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनसे डंडे मारकर लैवी वसूल कर ली। असल बात यह है कि एक तरफ १०० आदमियों का जो जनसंघ को बोझ है और एक तरफ ४५ आदमी सोशलिस्ट पार्टी के पीछे हैं। माननीय लोहिया साहब ने एलान कर दिया कि अगर अलाभकर जोतों लगान नहीं माफ होगी तो सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के साथ वोट करेगी। इसी वजह से आधे मन से आधा लगान छोड़ा गया तथा भूमि भवन कर जनसंघ के डर से पूरा माफ किया गया है कम्युनिस्ट। पार्टी को किसी और बात से मतलब नहीं था। वे कहते हैं कि उन्हें क्रान्ति से मतलब है लेकिन जब गवर्नमेंट में आ गये तो वह भी खत्म।

सरकार ने जो प्लेज किया था उसको नहीं निभाया। यह सवाल पार्टी का नहीं है। कांग्रेस ने एक प्लान बनाया। किसानों का प्लान है और हम अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। पहले हमने जमींदारी उन्मूलन किया, फिर सीलिंग का काम किया, इसके बाद चकबन्दी का। काम किया और अब हम इस बात पर आ गये थे कि अलाभकर जोतों का लगान माफ करेंगे। इसके लिये हमने मुजफ्फरनगर में एक प्रस्ताव भी पास किया कि सवा छः एकड़ तक पूरा लगान माफ करेंगे और बजट पेश करने का मौका मिलते ही यह पहली चीज होती। हमने सवाया लगान बढ़ाया था उसको हमने छोड़ दिया। पहली कलम उस पर लगाई। महालोनविस साहब की रिपोर्ट है कि पांच एकड़ तक जो किसान हैं उनको योजनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ है। जो स्कीमें चलती हैं, उनका लाभ ऊपर तक ही रह जाता है। अलाभकर जोत का लगान माफ करने से सीधे गरीब छोटे किसान को सहायता मिलती है। लाभ कर जोतों के मानी यह होते हैं- वह जोत जिससे एक परिवार का भरण-पोषण हो जो चार पांच आदमियों का परिवार हो, और उसमें एक बैल की जोड़ी रखी जा सके और दूसरे ऐसा उत्पादन करे जिससे आम तौर पर सारा उत्पादन बढ़े--लाभ कर जोत होता है। इससे नीचे की जोत अलाभ कर जोत कहलाती है। जो जमींदारी उन्मूलन समिति बनी थी उसने छान बीन की और सिर्फ चरणसिंह जी को छोड़ कर, वह मजबूत आदमी है लेकिन हमेशा पीछे खिसकते हैं, उनको छोड़कर उस कमेटी ने माना कि दस एकड़ तक अलाभ कर जोत है लेकिन चरणसिंह जी ने सवा छः एकड़ तक ही अलाभ कर जोत माना। हम लोग यह समझ रहे थे कि चूंकि मुख्य मंत्री चरणसिंह हैं अपनी बात को पूरा करने का मौका सरकार में मिलेगा तो सरकार पहला काम यह करेगी कि अलाभकर जोतों का लगान माफ कर देगी। इसी वजह से हमने सवा छः एकड़ रखा। और जगह का सवा छः एकड़ हमारे बुन्देलखंड में १२, १५ एकड़ तक होता है।

मुझे अफसोस है कि इस बार लेवी के मामले में, जबकि बुन्देलखंड की २ एकड़ जमीन एक एकड़ के बराबर मानी जाती है, डेढ़ एकड़ के बराबर ही मानी गयी, वह भी गोरखपुर के बराबर जहां इतनी पैदावार होती है। अलाभकर जोतों की यह बात इसलिये कह रहा था क्योंकि योजनाओं में उनको मदद नहीं मिलती है। लगान छोड़ने से उसको सीधी मदद मिलेगी ताकि वह पैदावार बढ़ाने में, स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों। १९४५ में नानावती रिपोर्ट, हुई उसमें लिखा है कि मियर सबसिस्टेन्स के अलावा जिसके पास कुछ और सहारा नहीं है वह क्या पैदावार बढ़ा सकता है? इसलिये अलाभ कर जोत वालों की सीधी मदद होनी चाहिये। मुझे अफसोस है, हमारे विकल साहब, जो मंत्री बन गये हैं, वह सोचते हैं, वह किसानों के हमदर्द हैं, पर उनके साथियों ने इंसाफ नहीं किया है, और किसानों के साथ इंसाफ होना चाहिये क्योंकि अलाभकर जोतों से जब लाभ नहीं होगा तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा और जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक विकास का काम नहीं बढ़ेगा। सरकार ने तो ऐसा किया है जैसे एक नाव बनायी, फौरन छेद कर दिया, जिससे फौरन डूब जाय। सवा छः एकड़ तक आधा लगान माफ कर दिया, जैसे जबरदस्ती गला दबा कर करवा लिया हो। लोहिया साहब के डर से कह दिया कि आधा लगान माफ कर देंगे? हम आधा माफ देंगे, फिर देखेंगे लेकिन छेद कर दिया उस नाव में--दो रुपये मालगुजारी वाले किसानों का आधा लगान भी नहीं माफ होगा यह कौन सी लाजिक है? सोशलिज्म की है या कम्युनिजम की है? गांधीवाद की तो हो ही नहीं सकती। गांधी जी का तो सिद्धान्त था सरविस टू दी लास्ट--जिसका मतलब है जो सबसे नीचे है उसकी सेवा सबसे पहले होनी चाहिये। लेकिन आपने सबस पहले उसको कलम किया। कितनी है उनकी तादाद जो आधे एकड़ के किसान हैं। वह साढ़े २२ परसेन्ट हैं और किसानों के। एक एकड़ के ४४ परसेन्ट किसान हैं और जब बुन्देलखंड में इसे लिया जाएगा तो एक एकड़ के ३८ परसेन्ट किसान हैं और जो दो एकड़ के हैं वह ५६ परसेन्ट हैं। अकेले चरणसिंह के हिसाब से तीन चौथाई जोत उत्तर प्रदेश में अलाभकर है जो कि ७५ परसेन्ट तक की हो जाती है। ८०-८५ परसेन्ट काश्तकार आदमी अलाभकर जोत के हैं। एक एकड़ जोत के चार लाख परिवार हैं। इतनी बड़ी संख्या के साथ आपने खिलवाड़ किया है। जो यह बिल लाया गया है, इसमें बड़ा दांव

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

पेंच है। लेखपाल को मौका मिला है तिकड़म करने का। किसान इसकी बारीको को समझ न पाए इसलिये इसे इस तरह से किया गया है। माननीय उदित नारायण शर्मा जो क्रिमिनल के बहुत बड़े वकील रहे हैं, इस सदन को ठीक से समझा नहीं पाए हैं। एक शामिल खाता है उसमें चार आदमी हैं तो जब उसे अलग अलग बांट दिया जायगा तो ८ रु० तक लगान के भीतर का सब खत्म हो जायगा। तो क्या तमाशा आपने रखा है? भूमि भवन कर में उदारता आ गई है, जो प्रगतिशील नीतियां हैं उनको कार्यान्वित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में भीखालाल जी जैसे आदमी जब जनता के सामने जाएंगे जो छोटे किसानों के हमदर्द हैं वह उनको क्या जबाब देंगे। हमें उम्मीद है भीखालाल जी जैसे प्रोग्रेसिव आदमी एक पार्टी को छोड़कर सिद्धांत की दृष्टि से मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे क्योंकि यह चीज सारे प्रदेश के किसानों की तरक्की के लिये है। यदि सरकार अलाभकर जोत को माल-गुजारी से छोड़ दे तो सवाया और डयौढ़ा उत्पादन पहले ही साल में बढ़ जायगा। इससे १२ करोड़ रुपया सीधे किसानों को जाएगा, छोटे किसानों को जाएगा। वह उससे अच्छे-अच्छे प्रगतिशील बीज, खाद और खेती के औजार उससे लेंगे, तब उससे खेती की तरक्की कर सकेंगे। मैं कह सकता हूं कि अगर आप अलाभकर नहीं छोड़ते, चरणसिंह जी जो गांधीवादी मान्यताएं रखते हैं उनसे मैंने सदन में कहा था कि श्री मानसिंह वर्मा के बिना किसी सदन के मेम्बर हुये मंत्री न बनाओ–किन्तु वे नहीं माने और हाउस ने उन्हें दुरूस्त कर दिया और आज वह दूसरी गलती कर रहे हैं कि वे सवा ६ एकड़ तक पूरा लगान नहीं माफ कर रहे हैं, तो यह उन्हें करना पड़ेगा नहीं तो उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कहने से पहले मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं कि प्रदेश की जनता ने पिछले २० सालों से जिन दिनों की प्रतीक्षा की थी वह दिन आज देखने को मिला है।

(इस समय ३ बजकर ३७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अभी चतुर्भुज शर्मा साहब ने गांधी जी का नाम लिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां आप गांधी जी के नाम पर ४ बार चुनाव जीतकर आये उन्हीं गांधी जी ने सन् १९३२ में लार्ड इरविन से समझौता करते समय ११ सूत्री कार्यक्रम रखा था और उनमें कहा था कि स्वराज्य मिला तो किसान का लगान आधा कर दिया जायगा और शराबबन्दी कर दी जायगी लेकिन २० साल आजादी मिलने के दिन के बाद तक आपको मौका मिला, आप शराबबन्दी कर सकते थे, लगान कम कर सकत थ लकिन उस ओर आपन कोई ध्यान नहीं दिया। आप ३ महीने में इस सरकार से आशा करते हैं कि जो आप २० साल में नहीं कर सके वह यह तीन महीने में करके दिया दे। इसीलिये विरोधी दल के लोगों की बातों में कोई बल नहीं प्रतीत होता और वह ढोंग सा लगता है कि जो २० साल में ये नहीं कर सके उसको ३ महीने की यह सरकार काय-कल्प कर दे।

अब मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान कुछ राजस्व विभाग की कमियों की ओर ले जाना चाहता हूं जिनमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। नियमतः ऐसा आदेश है कि खेतों का इंदराज कानूनगो करे लेकिन व्यवहार में अबभी वैसा नहीं हो रहा है। लेखपाल जाकर मनमानी तरीके इंदराज करता है; कानूनगो केवल हस्ताक्षर कर देता है। अनपढ़ किसान जो नहीं जानता, बेचारे, वह इधर उधर भागता फिरता है। अंग्रेजी शासन से लेकर कांग्रेसी शासन काल में वह चलता रहा, उसमें सुधार नहीं हो रहा है। माननीय राजस्व मंत्री जी आप कुछ ठोस कदम उठावें जिससे किसानों के हृदय में विश्वास हो जाय कि खेतों का इंदराज अब ठीक से हुआ करेगा। जैसा मेरे मित्रों ने सुझाव दिया कि किसानों को एक पुस्तिका दी जाय जिसमें

इंदराज लिखा रहे और अगर फिलहाल नहीं हो सकता तो सालाना इंतिखाब तो प्रत्येक किसान को मिल सकता है। किसानों के इंदराज देखभाल करने के लिये हर जाड़ों में व्यापक रूप से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कलेक्टर, डिप्टीकलेक्टर लोग दौरा करते हैं लेकिन अब उन दौरों का कोई प्रभाव नहीं रहा। मैंने देखा है कि कैम्प लगा रहता है स्टाफ पड़ा रहता है लेकिन अधिकारी मौके पर नहीं जाते। और जब कभी जाते भी हैं तो खेतों पर जाकर कागजात की पड़ताल नहीं करते। पटवारी के कागजों की जांच नहीं करते हैं केवल अपने कमरे में बैठकर हस्ताक्षर कर देते हैं यदि इसमें सुधार किया जाय और अधिकारियों को आदेश दिया जाय कि कागजात की स्वयं जांच करें, मौके पर जाकर पंच लोगों के माध्यम से जांच करें तो बहुत गड़बड़ी और मुसीबात किसानों की दूर हो सकती है। लेखपाल अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाते उसका कारण उनकी मांग है कि उनके वेतन कम से कम है, अधिक है। वेतन की कमी के कारण काम करने में अड़चन पड़ती है। तहसील में इतनी अधिक हाजिरी होती है कि वह गांवों में जाकर पूरा-पूरा काम नहीं निभा पाते हैं।

दूसरी जो सबसे बड़ी बुराई है वह है किसी कागज की नकल लेने में परेशानी। शायद आप तहसील में पहुंचे हैं तो बहुत बड़ा खर्च पड़ता है। ऐसा एक उदाहरण मुझे मालूम है। मेरे एक मित्र हैं जो पूर्वी जिले के रहने वाले हैं और वहां के जिलाधीश से उनका बड़ा निकट का सम्बन्ध था। वह उनके माध्यम से नकल लेना चाहते थे। उन्होंने जिलाधीश से अपनी बात कही। उन्होंने अपने पेशकार से कहा कि अमुक व्यक्ति को नकल जल्द से जल्द दे दी जाय। लेकिन १ महीने तक प्रतीक्षा करने के बाद नकल नहीं मिली और तब उन्होंने जिलाधीश का सहारा छोड़ दिया और अपनी जब स खर्च करके नकल ली। पूर १६० रुपये खर्च हुये, लेकिन उन्हें तीन दिन के अन्दर वह नकल मिल गई जो जिलाधीश के प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल पाई थी। इसलिये नकल मिलने में एक बड़ी कठिनाई है। मैं जानता हूं कि बड़े अफसर भी यदि किसी दफ्तर में इस तरह के कागज लेने जाते तो उनको भी कठिनाई पड़ती है। इसलिये नकल मिलने में बहुत बड़ी सुविधा होनी चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि तराई क्षेत्र जहां का मैं रहने वाला हूं गंगा के क्षेत्र से गुजरता है। वह तराई का बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहां पर पंचसाला बन्दोबस्त का आदेश है। वहां पंचसाला बन्दोबस्त के होने का स्पष्टत: आदेश है लेकिन वह नियमत: पालन नहीं किया जाता। १३६९–७० में फसल में बन्दोबस्त पूरा हुआ था जिसको ४ साल हो चुका है लेकिन अभी उसके कागज पूरे नहीं किये गये और न काश्तकारों को अभी तक यह बताया गया है कि कौन से खेत पर कौन काबिज है। इसक ए० आर० ओ० के यहां मामले चलते हैं। ए० आर० ओ० के आदेश के ६ महीने के अन्दर पूरे इन्दराज हो जाने चाहिये लेकिन ए० आर० ओ० के आदेश हुए ४ वर्ष बीत चुके। तीन फसल जा चुकी है लेकिन उनके इन्दराज नहीं हुये हैं। इस घपले में लाखों रुपया वहां के अधिकारियों ने जो इन्दराज करते थे, उन्होंने किसानों से लूटा है। इसलिये जो तराई का क्षेत्र है, जहां पर पंचसाला बन्दोबस्त हुआ है वहां पर समय से काम करना बहुत आवश्यक है। छोटे काश्तकारों को उस क्षेत्र में यह पता नहीं चलता है कि कौन से खेत का कितना लगान है और किनके नाम से इन्दराज है। ५ साल में वह कागज तैयार हो जाने चाहिये। जब दूसरे के नाम काश्त हो जाती है तब उनको पता चलता है कि इन्तराज हो गया।

चकबन्दी ने देहातों को चौपट कर दिया है। गरीबों के घर से जेवर और सम्पत्ति बिक गई है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं वहां पर कार्य करता था तब से मांग करता रहा कि चकबन्दी में देहात लूटे जा रहे हैं और बहुत रिश्वत चल रही है। इसमें दो मौकों पर मुख्य रूप से रिश्वत चलती है। एक तो चकबन्दी अधिकारी जब चक काटने जाता है तो गांव में घूमता है और लोगों से मिलता है। वह अपना सौदा तय करता है। तब चकबन्दी अधिकारी अपने कमरे में बैठकर उन लेखपाल के माध्यम से तय करता है। मुझे मालूम है कि एक एक गांव में ३०,४० हजार रुपया इस तरीके से चुपचाप उनकी जेब में पहुंच जाता है। तब वह चकबन्दी

[श्री गिरीशचन्द्र तिवारी]

के कागज लेकर गांव में आता है। यह चकबन्दी की योजना है। जिस प्रकार से आज चकबन्दी में धान्धली हो रही है वह अनपढ़ किसान को परेशान किये हुये हैं। वह उन चालाकियों को समझ पाता है। चकबन्दी जब कागज पर हो जाती है तब वह जमीन पर काटी जाती है। नाप भी भ्रष्टाचार के आधार पर होते हैं। जो पैसा नहीं देता है उसके नाप ठीक नहीं होते हैं। चकबन्दी समाप्त हो गई लेकिन हजार कोशिश करने के बाद भी नाप ठीक से नहीं हो पाये। इस कारण आज वहां के किसानों में असन्तोष है। इन शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आज के दिन की बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। समाचारपत्रों में सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने बड़े-बड़े शब्दों में यह धमकी दी कि ६ महीने के अन्दर यदि माल-गुजारी माफ नहीं हुई तो संयुक्त विधायक दल की सरकार से अपना समर्थन वापस लें लेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी यह धमकियां दिया करते थे और कुछ उन धमकियों का असर भी पिछले राज्य सभा और विधान परिषद् के चुनाव में हुआ। एक तरफ तो कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के लोग यह कहते थे कि मालगुजारी माफ कर दो और छोटे काश्तकारों की मालगुजारी माफ कर दो और दूसरी ओर जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के लोगों की यह भावना थी, यह इच्छा थी कि छोटे लोगों के साथ कोई रियायत की जाय तो अच्छा, न की जाय तो अच्छा, लेकिन बड़े काश्तकारों के साथ अवश्य रियायत होनी चाहिये। इस चक्कर में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी काफी परेशान नजर आते थे। मुझे इन सब बातों को सुन कर एक घटना टूंडला रेलवे स्टेशन की याद आ गयी। वहां जब यात्री रेल में सफर करते हैं तो बंदर उन मुसाफिरों की टोपियां उठा ले जाते हैं और जब तक उन को एक पूरी नहीं दी जाती वह टोपी वापस नहीं करते। तो राज्य सभा और विधान परिषद् के चुनाव में कुछ लाल टोपी वालों, ने कुछ लाल झंडे वालों ने मुख्य मंत्री जी की टोपी छीनी तो यह चन्द टुकड़े डाल कर टोपी वापस लेने की कोशिश की जा रही है। वरना मैं अपने सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि यह जो अभी घोषणा हुई है क्या इस से ज्यादा बड़ा फ्राड इस सूबे की जनता के साथ हो सकता था? मैं अंग्रेजी शब्द "फ्राड" का उपयोग करने के लिये माफी इसलिये चाहता हूं कि मैंने बहुत कोशिश की कि फ्राड का हिन्दी अनुवाद मिल जाय, मैंने पास बैठे त्रिपाठी जी से भी पूछा, लेकिन मुझे कोई शब्द मिला नहीं।

श्री अध्यक्ष--

हिन्दी में आपको फ्राड नहीं मिला होगा।

श्री जगनप्रसाद रावत--

मैं इसके लिये क्षमा चाहता हूं। मुझे नहीं मिला। यहां एक जमींदारी निवारण कानून है जिसकी एक कमेटी बनी थी। मान्यवर, आज के मौजूदा मुख्य मंत्री जी के साथ-साथ मुझे भी उस कमेटी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उस में हम ने बहुत सी सिफारिशें की थीं। उस समय श्री चरणसिंह जी ने अलाभकर जोत को सवा ६ एकड़ के लिये कहा था लेकिन कमेटी ने उस को दस एकड़ माना था, सवा ६ एकड़ नहीं। यह सिफारिश उस कमेटी की रिपोर्ट के पेज २२ और २३ पर दी हुई है। दस एकड़ के हिसाब से इन काश्तकारों का प्रतिशत था ९४, और सवा ६ एकड़ के हिसाब से वे ८५.४ प्रतिशत होते थे। जो घोषणा की गयी है इसमें न तो अलाभकर जोत का खयाल किया गया और न काश्तकारों की हैसियत का, न जो उन को लाभ होगा उसका खयाल किया गया। दो रुपया सबको देना होगा, दो रुपये के बाद आधा होगा। शामिल काश्त जो होंगे उन को यह होगा। तो नीचे के जो अहलकार हैं उनके लिये रिश्वत का बाजार खोल दिया गया और किसी को कुछ मिलने जुलने

वह ला नहीं है। सारे कश्तकार घूमते फिरेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जरा ठंडे दिल से सोचें कि उन को यह मालूम करने के लिये कि उनकी कितनी मालगुजारी माफ हुई एक काश्तकार को कितना खर्च करना पड़ेगा। कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। इससे वह बेहतर समझेगा कि दो के बजाय सवा दो रुपये ले लो और इस तरह से अपनी जान छुड़ायेगा। जो गरीब आपसे रोटी की आशा रखता था उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस की गरीबी का मखौल उड़ाया जा रहा है। मैं आपसे कह दूं कि किसान इस चीज को भूलने वाला नहीं है। एक बात बार-बार कही जाती है सदन में। मैंने भी चार, छः दिन पहले निवेदन किया था कि बार-बार यह कहा जाता है कि आपने इन कुर्सियों पर बैठ कर क्या किया। मान्यवर, यह सही बात है कि हमने बहुत सी बातें नहीं कीं और किसानों के साथ जिस हद तक जाना चाहिये था, नहीं गये। चकबन्दी बढ़ाने का प्रश्न था तो जब मैं उधर बैठता था तब भी मैंने विरोध किया था और किसानों का पूरे तरीके से मदद न करने का नतीजा भी हमको उठाना पड़ गया कि हम कम तादाद में जीतकर आ पाये और आप उधर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो गलतियां हमने की उनको करने का आपको भी हक है तो साथ में जो नतीजा होता है वह आपको भी उठाना पड़ेगा। अगर आप भी वही करेंगे तो बहुत जल्दी उठकर के आपको इधर आना पड़ेगा। दूसरे, हमने जो बातें नहीं मानी थीं और आपने जो ऐलान किया था, तो आज कौन-सी नयी बात हो गयी कुर्सी बदलते ही कि आज हम कहते हैं कर लो तो आपको करने में इन्कार है? एक ही अर्थ हो सकता है कि उस समय जब आप इधर बैठते थे तो आपकी नीयतें साफ नहीं थीं, आपके दिल का इरादा साफ नहीं था और आप जानते थे कि जब आप उधर बैठेंगे तो आप उन वादों को पूरा नहीं कर सकेंगे, उन बातों को मनवा नहीं सकेंगे, इसलिये हलकी तबियत से बात कर दिया करते थे। आज जब जिम्मेदारी आयी तो उन बातों से भागने लगे। अगर यह बात नहीं है तो जो बातें उस समय कहते थे आज तो सर्वसम्मति से कर सकते हैं। आप भी वही कहते हैं और हम भी वही कहते हैं, तो दोनों सर्वसम्मति से क्यों न फैसला कर लें? तो सवा छः एकड़ वाली बात, २ रुपये से ऊपर के लगान की, वह किसान के साथ एक ज्यादती है जिसे जितनी जल्दी दूर कर दें और किसान का लगान अलाभकर जोत पर माफ कर दें तो उतना ही किसान और आपके हित में होगा और आप किसान की हमदर्दी हासिल कर सकेंगे।

ऐग्रिकल्चरल इनकम टैक्स की बात की गयी यह कई बार आ चुकी है, इसका प्रयोग भी पहले हो चुका है और यह नाकामयाब साबित हुआ। उसका कारण है कि ऐग्रिकल्चरल इनकम टैक्स का वे लोग तो आसानी से नकशा बना सकते हैं जिनके पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं, क्लार्क्स हैं, अकाउन्टेन्ट्स हैं, नकशा बनाने वाले हैं, लेकिन जो किसान स्वयं और अपनी पत्नी, अपने ५ वर्ष तक के पच्चे तक से काम लेता है और काश्त में काम करता है वह नक्शा बनाकर क्या देगा? तो नतीजा यह होगा कि आप जो दूसरा पर्यायवाची रखेंगे, आल्टरनेटिव रूप रखेंगे उसी को उसे मानना पड़ेगा और आप जो प्रथा रखेंगे वह ऐसी रखेंगे जो काश्तकार के प्रतिकूल हो और आपके खजाने में ज्यादा रुपया लाने वाली हो। तो ऐग्रिकल्चरल इनकम टैक्स का जिक्र न करें तो अच्छा है।

इसके अलावा, माल मंत्री ने जब बजट पेश किया तो मैं आशा करता था कि वह किसानों के हित की कुछ और भी बातें कहते। लैंड अक्वीजीशन कानून बहुत पुराना हो गया, इससे किसान बहुत तकलीफ में है, उसकी जमीन बहुत कम पैसों में जाती है। इसके सुधार की कोई चर्चा आपके बजट भाषण में होनी चाहिये थी कि आप क्या तबदीली करने जा रहे हैं जिससे किसानों को भी जमीन का बाजार भाव उसको मिल सके। यह जो ओला, पाला, सूखा पड़ता है इसके संबंध में वह दकियानूसी कानून चला आ रहा है कि आठ आने के नुकसान पर सहायता करेंगे, नीचे के नुकसान पर छः नहीं देते। इस पर आपको दुबारा गौर करने की जरूरत है और सुधार करने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटमोशन का समर्थन करता हूं।

खाद्य मंत्री (श्री झारखंडे राय) --

मान्यवर, मैं रावत जी को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जो पहले कहते थे आज भी कह रहे हैं और वही हमेशा कहते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज का सवा छः एकड़ का आधा लगान की माफी का ऐलान एक सबसे बड़ा फ्राड है। सबसे बड़ा फ्राड वह है जो वह कहते हैं कि जब वह फिर पावर में आ जायेंगे तो सवा छः एकड़ तक का लगान माफ कर देंगे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जरा कलेजे पर हाथ रख कर सोचें और खास तौर से जो मंत्री रह चुके हैं वे सोचें कि जब उनके हाथों में सरकार थी, केन्द्र में थी में भी उन्ही की सरकार थी, पूरा सहयोक केन्द्र से उनको मिल सकता था, तो उनका हाथ किसने रोका था, किस सिद्धान्त ने उनको रोका था, उन्होंने सवा छः एकड़ तक का लगान माफ क्यों नहीं किया? (व्यवधान) आज वे कहते हैं कि उनके हाथ में पावर आ जायेगी तो वे फिर यह करेंगे, यह बिलकुल ढपोरशंख वाली कहावत है, और कुछ नहीं। हम सवा छः एकड़ क्या पूरा लगान माफ करेंगे, मगर इस वक्त नहीं, अभी हमारे सामने साधनों की कमी है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केरल और पंजाब की सरकार हो साधनों की समस्या सबके सामने बड़ी भयंकर समस्या है। मैं कहता हूं कि आप लोग केन्द्रीय सरकार पर क्यों यह जोर नहीं देते कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, इससे ७५ करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आयेगा। आप केन्द्र पर क्यों जोर नहीं देते कि कालटेक्स, बर्मा शेल स्टैन्डर्ड वैक्यूम, इकसो आदि जो लगभग सौ बड़ी-बड़ी तेल कम्पनियां हैं जिनके द्वारा लगभग सौ करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है, उसको वह अपने हाथ में ले?

श्री चन्द्रदेव---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या ये दिल्ली की बात यहां कह सकते हैं जब कि इस समय राजस्व अनुदान पर बहस चल रही है।

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं वह प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के प्रश्न न उठाये जांय। मेरी आज माननीय सदस्यों से जो बात हुई थी उसमें सभी पक्ष के माननीय सदस्य मान गये थे कि यदि कोई माननीय सदस्य कोई प्रश्न उठायेंगे तो उस पर जो कार्य मुझे करना चाहिये उसे वे स्वयं अपनी-अपनी बेन्चों से नहीं करेंगे और शान्ति बनाये रखेंगे;

श्री झारखंडेराय---

मैं यह कह रहा था कि हमारे कांग्रेसी भाई केन्द्र पर क्यों नहीं जोर डालते कि वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ७५ करोड़ साल की आय बढ़ाती? वह क्यों नहीं विदेशी पेन्शन बन्द करके ९ करोड़ साल बचाती? वह क्यों नहीं भूतपूर्व नरेशों की पेन्शन बन्द करके ५ करोड़ बचाती? वह क्यों नहीं इनकी एक अरब विदेशी मुद्रा जब्त करती? फारेन ट्रेड को अपने हाथों में ले। जिससे कि लगभग १५० सौ करोड़ों रुपया सरकारी खजाने में आ सके। आज कपड़ा कोयला, लोहा, चाय, सीमेंट जूट, चीनी आदि के जो भी बड़े-बड़े कारखाने और संस्थान यहां के पूंजीपतियों के हाथों में हैं उनको क्यों नहीं केन्द्रीय सरकार अपने हाथों में लेती? इन सब के लिये अगर हमारे भाई जोर दें केन्द्रीय सरकार पर तो हम सब उनके साथ हैं और इससे साधनों की समस्या हल हो सकती है। इसके लिये कोई आपको रोकेगा नहीं। न जन संघ रोकेगा न कोई और रोकेगा। हमने भूमिभवन कर माफ करके, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा कर, हाईकोर्ट के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा कर आधी लगान माफ करके जो कुछ किया है उससे करीब १२० करोड़ का गैप हमें चौथी योजना में होगा।

हम इस सरकार में रहें या दूसरे लोग आवें, लेकिन यह समस्या है वही कि २० करोड़ रुपये का गैप कहां से पूरा किया जायेगा। इसलिये इस मजबूरी को महसूस करते हुये हम कहते हैं कि आज सवा छ एकड़ का लगान हम पूरा नहीं माफ कर सकते। किस्तों में हम पूरा लगान माफ करेंगे। अगर उसमें कमी हो तो आप उस कमी की ओर प्वाइन्ट आऊट करें जब आप पावर में थे तब आपने कुछ नहीं किया और अब जब आप विरोधपक्ष के रूप में आ गये हैं तो कह रहे

हैं कि हम आसमान फोड़ डालेंगे, पाताल तक पहुंचेंगे वगैरह, इन बातों पर जनता विश्वास नहीं कर सकती । माननीय चतुर्भुज शर्मा जी को भ्रम हो गया है। उन्होंने यह कहा कि हम कुर्सियों पर आ कर अपनी क्रान्ति की बात भूल गये हैं। उनको भूलना नहीं चाहिये कि क्रान्ति की तो यह छोटी सी शुरूआत हुई है। हमारा एक कदम आगे तब बढ़ेगा जब हिन्दुस्तान के बाकी आठ सूबों से कांग्रेस धराशायी करदी जायेगी। हमारा एक कदम आगे तब बढ़ेगा जब क़ेन्द्र से कांग्रेस सरकार नेस्तनाबूद कर दी जायेगी। हमारा एक कदम आगे तब बढ़ेगा जब विदेशी पूंजी हिन्दुस्तान में जब्त की जायेगी। एक कदम हमारा तब आगे बढ़ेगा जब सामन्तवाद का अवशेष यहां से समाप्त होगा और मोनोपोली पूंजीवाद को एकाधिकारी पूंजीवाद को ध्वंस करके, चकनाचूर करके जमीन में सदैव के लिये गाड़ दिया जावेगा। तब ही हमारी क्रान्ति का पहला चरण पूरा होगा। क्रान्ति पूरी हो गई ऐसी बात नहीं है। काफिला वही है, कारवां वही है, रास्ते करोड़ों को चकानचूर करते जायेंगे। ये कहते हैं कि हमने अपने वायदों को पूरा नहीं किया। क्या मान्यवर, आपने कांग्रेस के महान् प्रस्तावों को देखा है ? बापू की रहनुमाई मेंजो कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया हैं, पिछले पचास साल के अन्दर ? १९३० के बाद खास तौर से, और ४६-४५ के बाद भी जो प्रस्ताव पास हुये हैं क्या उन प्रस्तावों पर इस कांग्रेस द्वारा अमल हुआ है ? मुजफ्फरनगर का प्रस्ताव जो पास हुआ उसके बाद कितने दिनों तक आप पावर में रहे ? उस वक्त भी क्या हम रोक रहे थे, क्या उस वक्त हम हाथ पकड़ रहे थे ? इसलिये यह धोखाधड़ी की बात, यह पहले नम्बर का फ़्राड और पहिले नम्बर की विडम्बना नहीं चल सकती । मैं इस पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, इनकी ओर से वही फूट डालने वाली बातें, वही पिटी पिटाई जनसंघ की बात कही जाती है। हम कहते हैं कि जब भी जनसंघ हमारे हमारे मार्ग में बाधक होगा तो आप हमारा हाथ पकड़ें और कहें तो उसका असर पड़ेगा। केवल जनसंघ की माला जपने से कुछ नहीं होने वाला है । मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से आपके जरिये । मैंने उस वक्त जब कहा था तब भाई कृष्णानन्द राय जी ने सवाल कर लिया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो ३६ सौ एकड़ का फार्म बिरला का लखीमपुर में बना हुआ है क्या वह हमने अढ़ाई महीने की हुकूमत के अन्दर बनाया है ? पचास हजार एकड़ का फार्म कानपुर के पूंजीपति का बीकानेर में बना हुआ है। क्या वह हमने अढ़ाई महीने के अन्दर बनवाया ? पांच-पांच हजार एकड़ का फार्म थिमैया और करिअप्पा का मैसूर में बना हुआ है। क्या वह हमने बना रक्खा है ? ६ हजार एकड़ का फार्म बिरला ने पंजाब में बना रक्खा है। पूरे प्रदेश की तराई इलाके में रिटायर्ट अफसरों के, राजा भदरी के जो लैफ्टिनेन्ट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, जो हमारे सूबे में एम० एल० सी० भी रह चुके हैं, जो भूस्वामी और तालुकेदार रहे हैं नैनीताल में बने हुये हैं, क्या वे हमने बनवा रक्खे हैं ? तीन फार्म पांच-पांच हजार के नैनीताल में बने हैं, दो-दो हजार, एक एक हजार, पांच-पांच सौ एकड़ के फार्म तराई इलाके में बनें हैं--ये क्या हमारे शासन की करामात है ? मान्यवर, स्वयं भूमि स्वामियों व अधिपतियों के रक्षक हैं और मुझ से ऐसी बातें करते हैं । जो इनके २० साल के काले कारनामे हैं उनको हम ढाई महीने में कैसे ठीक कर सकते हैं? आज जो राजनीतिक परिवर्तन चक्र चल रहा है, जो राजनैतिक परिवर्तन देश में हो रहा है जो सियासी तब्दीली चल रही है वह पूरी होकर रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इतिहास के बढ़ते हुये कदम नहीं रुक सकते हैं । हो सकता है कि एक दो कदम पीछे हट जायं, लेकिन जो इंसानों का काफिला है, समाज का कारवां है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती है चाहे वह किसी नाम से, किसी चेहरे से, किसी टोपी में, किसी नकाब में हो। इसे आप भलीभांत ही समझ लें कि कोई रोक नहीं सकता है ।

हमारे सम्बन्ध में आदरणीय चतुर्भुजशर्मा जी ने कहा कि हम पूंजीपतियों के ऐजेंट हैं। पता नहीं कैसे उन्होंने कहा, किस जबान से वे लोग बोलते हैं। श्रीमन्, कानपुर के पूंजीपतियों पर २०वर्ष का, १५ वर्ष का, १० वर्ष का करीब १ करोड़ ५५ लाख टैक्स का बकाया था जिसे चुनाव के पहले इन लोगों ने माफ कर दिया और एक करोड़ ५५ लाख में २५ लाख रुपया केवल एक खानदान का

है--श्री रामरतन गुप्त, का जिसे माफ कर दिया गया और हमको पूंजीपतियों का दलाल कहते हैं। उन्हीं कानपुरी पूंजसपतियों ने गुप्ता कोष में १३ लाख चन्द दिया।

श्री बनारसी दास (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय झारखंडे राय जी बिलकुल झूठ बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य बीच में व्यवधान न करें ।

श्री बनारसी दास---

माननीय झारखंडे राय जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सफेद झूठ बोल रहे हैं।

श्री उग्रसेन---

माननीय बनारसी दास जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि बीच में इस प्रकार से व्यवधान न करें । जब जवाब देने का समय आवे तब आप जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्। माननीय बनारसी दास जी जैसा कि मैंने समझा है सन् १९५२ से लेकर पिछले ५ साल को छोड़कर आज तक इस माननीय सदन के सदस्य हैं। श्रीमन्, आपने भी सुना होगा कि माननीय बनारसी दास ने जोर से चिल्ला कर कहा कि माननीय झारखंडे राय जी झूठ बोल रहे हैं जिसे मैं समझता हूं कि यह संसदीय परम्परा के बिलकुल विरुद्ध है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष---

मैं "झूठ बोलने" शब्द को अनुचित जरूर समझता हूं और मैं चाहता हूं कि कोई माननीय सदस्य उसका प्रयोग न करें ।

श्री झारखंडे राय---

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण पर सामान्य विवाद के समय कहा था कि ४५ करोड़ रुपया हमारी प्रादेशिक सरकार का पूंजीपतियों के ऊपर जो कर्जे का बकाया है उसकी सख्ती से वसूली की जायगी । हम उन ४५ करोड़ रुपये की वसूली सख्ती से करने जा रहे हैं और कहा जाता है कि हम पूंजीपतियों के दलाल हैं। ये तो इतने सालों तक उन पूंजीपतियों के साथ प्रेम पत्र का व्यवहार करते रहे और पूंजीपतियों के बड़े भारी विरोधी बनते हैं, उनका यह डबल रोल मेरी समझ में नहीं आता । इस तरह से किसी की आत्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता । आत्म प्रवंचना नहीं की जा सकती। अगर आपके २० साल की हुकूमत का मुकाबला ढाई महीने की हुकूमत से किया जाय तो चाहे आप हमारी गलतियों की जितनी भी आलोचना करें, हैमर डाउन करें, लेकिन आपकी गलतियों का परिमार्जन नहीं किया जा सकता । चाहे प्रदेश में एक पार्टी की ही सरकार होती, कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार होती, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वेस्ट बंगाल में भी एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, लेकिन जो समस्या जमाने से चली आ रही है उसका परिमार्जन दो तीन महीने के अन्दर कोई एक सूबा नहीं कर सकता । जो प्राबल्म आल इंडिया पैमाने पर है, उसे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को लेकर एक विचारधारा के अनुसार, उसके परिमार्जन के लिये आगे बढ़ना होगा । जैसे बढ़ती हुई महंगाई, चिन्ताजनक महंगाई, जिससे जन-जन का जीवन त्रस्त है, चाहे आप रहें, चाहे हम रहें अकेले उसका परिमार्जन नहीं किया जा सकता । यह मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं । मान्यवर, सवा छः एकड़ का आधा हमने माफ किया। इसके पीछे न कम्युनिस्ट पार्टी का, न एस० एस० पी० का और न जनसंघ का दबाव है । मैं ऐलान

करता हूं जिम्मेदारी के साथ कि सारी बात यही रही है कि पैसा कहां से आवेगा, कैसे हम कमी को पूरा करेंगे जब कि हम बैंकों को छू नहीं सकते, जब हम जो केन्द्रीय सरकार के हाथ में अपार सम्पत्ति है उसे छू नहीं सकते। वरना सिद्धान्ततः न किसी का विरोध है और न कोई इसके खिलाफ है। हमने आधा केवल साधनों की कमी के ही वजह से किया है। हम ऐलान कर चुके हैं कि हम पूरा लगान माफ करेंगे, उसकी जगह कोई प्रगतिशील पद्धति कृषि आय-कर की करेंगे। तो फिर कोई सैद्धान्तिक विरोध उधर से नहीं होना चाहिये। अगर वे उसके सचमुच समर्थक हैं अगर वे विरोध को अपना धर्म मानकर रहे हैं तो जो चाहें करें, उन्हें अधिकार है। लेकिन जनता मुगालते में नहीं पड़ सकती है। हां, थोड़े समय के लिये वे ऐसा करने में कामयाब हो जावें। जनता समझती है कि कौन उनका सच्चा प्रतिनिधि है और कौन नहीं है। हमेशा के लिये जनता को मुगालते में हिटलर, मसोलिनी और चांकाईशेख नहीं मूर्ख बना कर रख सके। हिन्दुस्तान के प्रतिक्रियावादियों को सात समुन्दर पार फेंक दिया जायगा। आप को अधिकार है समाजवाद की बात करने का। देखिये हम उसका विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। अगर गैर सरकारी प्रस्ताव आवेगा देखिये क्या होता है ? लेकिन ढपोरशंखी कि हम सवा ६ एकड़ का पूरा लगान माफ करेंगे, यह उचित नहीं है। हम १० एकड़ का करते तो आप कहते कि २० एकड़ का होना चाहिये। जनता सब बातें समझती है। जनता जानती है कि २० साल तक क्या आपके प्रस्ताव होते रहे और क्या आपके अमल होते रहे। वह अच्छी तरह समझती है कि आपकी कथनी और करनी में कितना अन्तर रहा है। किधर आपकी कथनी जाया करती थी और क्या आप किया करते थे।

मान्यवर, आखिर में एक बात मैं रावत जी से कहना चाहता हूं। यह देश कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है अभी। पार्टी और सरकार में भेद है। यह सरकार पार्टी नहीं है। पार्टी सरकार नहीं है। इसमें ७ पार्टियां हैं और आठवें स्वतंत्र लोग हैं। पार्टियां अपनी आवाज उठा सकती हैं। उनको अधिकार है एक सीमा के अन्दर। सरकार कोई काम कर सकती है, कोई नहीं कर सकती है। हमने कसम खाई है सीक्रेसी की। उनको अधिकार है कि अपनी बात उठावें सीमित दायरे में उसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। लेकिन आप तो सरकार में रह चुके हैं। मुझे तो हैरानी तब होती है जब कि ऐसे लोग ऐसी बात २० वर्ष तक राज्य करने के बाद कहते हैं। बनारसी दास जी से तो मैं पहले भी माफी मांगता था और अब भी मांगता हूं। लेकिन कमलापति जी त्रिपाठी बैठे हैं। इनको मैंने देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। हम लोग उधर रहे हैं और १६ साल से चुप रहकर देखते रहे हैं, हममें से एक दो साथी कभी कुछ उग्र हो सकते हों जैसे हमारे उग्रसेन जी कभी गुस्सा हो जाते थे, लेकिन आज जिस तरह से उधर कांग्रेस के पहुंचने पर हल्ला होता है तो वह कोई अच्छी बात नहीं है। कुछ साथी हमारे श्री नवलकिशोर जी या श्री गेंदा सिंह जी काफी संजीदा लोग हैं, लेकिन पूरे दल की तरफ से जो इधर रवैया अख्तियार किया जाता है वह जनतंत्र में उचित नहीं है। उधर पहुंचने के बाद और ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है। २० साल तक आप इधर तो अपने चरण चिह्न छोड़ गये हैं लेकिन उधर पहुंचकर तो कम से कम ऐसे चरण चिन्ह छोड़िये जिन पर कोई चल सके और जिनका कोई अनुकरण कर सके। जिस तरह से वह लोग जो कांगेस के मंत्री रह चुके हैं वह बीच में शोर करते हैं और हल्ला करते हैं और हमारे नेता विरोधी दल श्री गुप्त जी उस को चुप सुनते रहते हैं यह कौन पसन्द करेगा और कहां तक उचित है ? जहां मैं प्रशंसा करूंगा कि माननीय त्रिपाठी जी ने आज उचित काम किया है और हृदय से इस बात की कोशिश और समर्थन किया है कि सदन में उनके दल की ओर से शान्ति का व्यवहार होना चाहिये। हमारी बात आप पूरी सुनें, हम आप की सुनें। यह कोई युद्ध नहीं है, कोई गुरीला स्ट्रगिल नहीं है। अगर इस वाक्युद्ध में एक दूसरे को न सुना जाय और न कहने दिया जाय तो हमारे यहां बैठने से लाभ क्या और श्रीमन् आप के भी वहां बैठने से क्या फायदा ? जनतंत्र की जो मूल भित्ति है उसके आधार पर ही चलना होगा। मैं अपील करूंगा आज के विरोधी दल से कि वह शासक रहे हैं और आप ने कुछ अच्छे चरण चिन्ह नहीं छोड़े हैं, लेकिन अब विरोधी दल के रूप में जो चरण चिन्ह आप छोड़ें वह तो कुछ अच्छे ही छोड़ें। कोई नहीं जानता कि आज या कल या कुछ दिन बाद आप किधर हों हम किधर हों देश में किस किस के कैसे-कैसे अलायेंस बनें कोई नहीं जानता कि इस मिक्सड प्रासेस में क्या हो, क्या न हो, लेकिन जब तक जनतंत्र रहेगा,

[श्री झारखंडे राय]

डेमोक्रेसी रहेगी तब तक कोई न कोई इधर रहेगा और कोई न कोई उधर रहेगा । जब हम उधर थे तो कभी-कभी हमारे किसी भाई को किसी बात पर गुस्सा या नाराजगी हो जाती थी लेकिन आज आप के पूरे दल के व्यवहार से और जिस तरह के उसके काम हैं उससे कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिये अपने पुराने शासकों से हाथ जोड़कर और उन का आदर करते हुये अपील करता हूं कि वह आज वैसा ही व्यवहार उधर रह कर करें जिसकी आशा वह हम से करते हैं जब हम उधर जायं। मैं उनसे अपील करूंगा कि हम से जो ढाई मास में गलतियां हुई हैं उनकी वह आलोचना करें, उनकी पूरी चर्चा वह करें और हमें उससे वह सबक सिखायें, वह रास्ता दिखायें, उससे हम रोशनी लेंगे, उस से हम लाभ उठायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, अभी माननीय झारखंडे राय जी के भाषण को सुनकर कुछ थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और वह इसलिये हुआ कि जो मसला सदन के सम्मुख उपस्थित है उस पर तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, एक बात सिर्फ कही कि हमारे साधन ऐसे नहीं हैं कि हम सवा ६ एकड़ तक का लगान माफ कर सकें । इसके अलावा जो कुछ वह बोले ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे किसी कम्युनिस्ट प्लेटफार्म पर सभा में वह बोल रहे हैं । दूसरे तमाम असंगत प्रश्न कि तुमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया । यह सरकार इस काम को नहीं कर सकती। हां, यह सरकार या दूसरी कांग्रेस सरकारें केन्द्र को यह सलाह दे सकती हैं या २ रायें हो सकती हैं लेकिन इस दिशा में उनको राय दी गई और कई बार दी गई । अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, भारत सरकार ने वायदा भी किया कि हम सोच रहे हैं । कई बातें उन्होंने और कहीं, लेकिन बहुत सी बातें जसे प्रीवीपर्स की बात पिछले शासकों के लिये वह सब मामले केन्द्र से सम्बन्धित हैं, यहां वह प्रश्न उठने के लिये नहीं हैं । सवा ६ एकड़ के लगान की बात कही गई। २० साल में क्या किया, यह ऐसा सवाल है जिसका बार-बार क्या उत्तर दिया जाय । इसका उत्तर यही है कि जिस के आंखें न हों और उसके सामने शीशा रख दो तब भी उस को दिखाई नहीं देगा । एक पुरानी कहावत है

जो २० वर्षों में हमने किया है मैं समझता हूं कि उसके यहां पर कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी गल्तियां की हैं तो बहुत से अच्छे काम भी किये हैं । अपनी सभाओं में अपने व्याख्यानों में हमने स्वीकार किया है कि जो जीवित राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनसे गल्तियां होती हैं और उसका यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि उन्हें महसूस करे और उनको सुधारने की कोशिश करें । जिस पार्टी से हमारे भाई झारखंडे राय जी का सम्बन्ध है उस पार्टी ने रूस में क्या किया है ? ५०-६० लाख आदमियों को मरवा दिया और फिर उन्होंने इस गल्ती को स्वीकार किया है । एक देश जो २०० सालों से पराधीनता से जकड़ा रहा हो उसमें नये नये प्रयोग करने में हो सकता है कि भूलें हुयी हों, लोगों से गल्तियां हुयी हों । सरकार से, संगठनों से और व्यक्तियों से गल्तियों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है और विशेषतः हमारी कांग्रेस तो उनको स्वीकार करती है, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करती है । हमको पूंजीपतियों का दलाल कहा जाता है, लेकिन आप तो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं । हम जानते हैं कि जब स्वधीनता का युद्ध, सन् १९४२ को क्रांति हुयी, उसके पहले जब अंग्रेजों और रूस में गठबन्धन हो गया तो इम्पीरियलिस्ट वार पीपिल्स वार हो गयी । हमारे कम्युनिस्ट लोगों ने यह कहा कि चूंकि पीपिल्स वार हो गयी, इसलिये हम अंग्रेजों की मदद के लिए जा रहे हैं । तो गड़े मुर्दे उखाड़ने से, आप द्वारा हमारी बातें कहने से हमारे द्वारा आपकी बातें कहने से कोई फायदा नहीं है । हाथ पीट पीट कर और चिल्ला चिल्ला कर भाषण करने से कोई बड़ी भारी बात उससे नहीं निकलती है । बात केवल सवा ६ एकड़ के लगान माफ करने की है । २० वर्ष की अवधि में हमारे भूमि सुधार में बड़ी क्रांति आयी जिससे आज भी सारे देश में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि सुधार हुआ है वह उसमें सबसे आगे है । उसमें हमारे जो मुख्य मंत्री हैं, उनका भी हाथ रहा है । जमींदारी अबालिशन रिपोर्ट, १९४९ में लिखी गयी है । उस समय आचार्य नरेन्द्र देव उसमें मौजूद थे । स्वर्गीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रफी अहमद किदवई भी थे। वह रिपोर्ट बनी और उसके आधार पर जमीदारी एबोशिन हुआ। तो ऐसे प्रदेश में जहां पर २२ लाख जमीदार रहे हों, और जिनके नीचे करोड़ों की तादाद में किसान दबे हुए हों, उनके द्वारा त्रस्त हों, उनसे बेगार ली जाती हो, उनकी २-२ और ४-४ आन की बकाया पर बेदखिलयां होती हों, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति किसानों की हो गयी है। लाखों किसान आज अपनी भमि के मालिक बने, उनकी सम्पत्ति हो गयी सारे ग्रामीण क्षेत्र का नक्शा ही बदल गया, वहां की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गयी हों, और आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। इस काम के लिए दुनिया में बड़ी-बड़ी क्रान्ति हुयी। २० लाख आदमी तलवार के घाट उतार दिए गये पर यहां पर एक कलम की नाक से वह क्रांन्ति हुयी कि बड़े बड़े जमींदार और ताल्लुकेदार समाप्त हो गये और किसान अपनी जमीन के मालिक हो गये और उन्नति करते चले गये। लगान नहीं माफ कर सके हम। आज सोचते हैं कि लगान माफ हो सकता है, करना चाहिये। आप कहते हैं जब आओगे तब करोगे। हमने मुजफ्फरनगर में जो प्रस्ताव पास किया था वह यह सोच कर किया था कि हम आ रहे हैं पावर में, अपनी गलतियों को देखते हुए भी हमें आशा थी कि हम पावर में आ रहे हैं। जो प्रस्ताव हमने पास किया वह १९ सूत्री प्रोग्राम में आप के है। माननीय झारखंडे राय जी उस १९ सूत्री प्रोग्राम के प्रणेता हैं, जैसे व्यास जी महाभारत के प्रणेता थे। तो अपनी गलतियों को छिपाने के लिये विकराल दुर्वासा का रूप दिखाना, यह सब टेक्नीक्स कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत देख चुके। हमने मुजफ्फरनगर में प्रस्ताव पास किया कि चवन्नी लगान उठाया जाय। हमने उसको उठाया। भूमि भवन कर हम चाहते थे माफ हो, आप ने उसे माफ किया। हमको उस पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि किसानों पर लगान जो आप ने कहा था कि पूरा माफ करेंगे, उसके सम्बन्ध में आप कुछ नहीं करते। हम तो यह भी कहते हैं कि प्रौफेशन टैक्स माफ कीजिये, यह भी हमारी मांग है और हम कहते हैं कि समान काम के लिये समान वेतन हो। यह भी हमारे मुजफ्फरनगर प्रस्ताव में है। लेकिन आप कहते हो कि समान वेतन समान काम के लिए देते समय यह देखना पड़ेगा कि समान परिस्थिति है, वही मांग मानी जायगी जो उचित हो, तो यह जो तमाम क्वालीफाइंग क्लाजेज हैं इन के लगाने का क्या औचित्य है? अब अगर हम कहें कि तुम अपने प्रोग्राम को देखो तो आप कहें कि तुमने क्या किया और हम कहें कि तुमने क्या किया? तो इस तरह की बातों से कोई सार नहीं निकलने वाला है। हम लगान माफ नहीं कर सके चाहते हुए भी, यद्यपि भूमिधरी में लगान आधा हुआ। जमींदारी अबोलिशन कमेटी में बहस हुई, १० एकड़ तक मान लिया जाय अलाभ, कर जोत लेकिन चौधरी साहब के कहने से सवा ६ एकड़ मानी गयी और कुछ शायद ग्रेड भी रखा है कि इस हिसाब से इस को माफ किया जाय। नहीं कर सके, हम स्वीकार करते हैं माननीय, चरण सिंह माल मंत्री रहे हैं, वह भी नहीं माफ कर सके। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है और मुख्य कारण यह दिया है कि हमारे प्रदेश की आय का मुख्य साधन रेवेन्यू है और अगर लगान माफ कर दिया तो आय नहीं होगी। इसलिये नहीं माफ कर सके। यह बात ध्यान देने की है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की जो पूरी आमदनी होती है उसमे मालगुजारी का अनुपात वर्ष प्रतिवर्ष घटता जा रहा है। और जब भी अवसर आ जायगा वह मालगुजारी कभी हटा सकी तो हटायेगी। ऐसा करने से राज कोष रिक्त हो जायगा और सारे विकास कार्य रोक देने पड़ेंगे। ये चौधरी साहब माल मंत्री रहे हैं, नहीं किया लगान माफ उन्होंने। मैं तो यही कहता हूं कि आप सीधे सीधे हम को गाली देने के बजाय यह कह दो कि हमारे किये नहीं हो सकता, हमने जो १९ सूत्री प्रोग्राम बनाया था वह कभी यह सोच कर नहीं बनाया था कि हम पावर में आयेंगे। हां एक बात चौधरी साहब ने जरूर की कि जो चाहते रहे वह सब के मुंह से कहलाने लगे।

अब मैं माननीय राजस्व मंत्री के बारे में क्या कहूं, वह स्वयं एक पहेली हैं। इनको तो समझ नहीं सकते, और ऐसे ही जो प्रस्ताव रखा गया वह भी एक पहेली के रूप में रखा गया, हमारे राजस्व मंत्री पी० एस० पी० के १२, १४ साल तक अध्यक्ष रहे हैं। हमने माना कि हम लगान माफ नहीं कर सके, लेकिन गलतियां करते-करते भी १९६७ के पहले हमने मुजफ्फरनगर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

में स्वीकार किया कि लगान माफ करने जा रहे हैं । तो हम उससे करने जा रहे थे । कौन सा पाप कर दिया ? जिस बात को आप हमेशा चिल्लाते रहे हमने भी उसे स्वीकार किया । आफिस में रहते तो चार आने माफ कर देते । आप चिल्लाते रहे १० वर्ष तक, लेकिन आज जब आपकी सरकार आई है तो आपने डपोर शंख की तरह भों भों कर दिया और हमको चार बातें सुना दीं । कई प्रदेशों ने माफ कर दिया है जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश ने अपने यहां मालगुजारी माफ कर दी । आप भी अपने यहां कर दीजिये या फिर कहिये हम नहीं कर सकते । यह भी कहिये की १९ सूत्री प्रोग्राम पूरा नहीं कर सकते । हमारे हाथ में सरकार आयेगी तो हम करेंगे ।

आप अब धमकी दे रहे हैं कि आपकी प्रगतिशीलता में अवरोध होता है और अगर यह सरकार गिरी तो आपके मुख्य मंत्री प्रेसीडेंट रूल ले आयेंगे । कोई प्रेसीडेंट रूल आउट गोइंग मुख्य मंत्री नहीं ला सकता । फिर भी धमकी दी जाती है मिड टर्म इलेक्शन्स की । तो कोई मिडटर्म इलेक्शन्स नहीं आने वाले हैं । यह सरकार गिरेगी तो इस प्रदेश में संविधान का उन्मूलन नहीं होगा अथवा उसम अवरोध नहीं होगा और आप जैसे प्रगतिशीलों को लेकर बनेगी और अगर नहीं बनती है तो विरोधी दल के रुप में कार्य होगा । लेकिन आज तक जिस सरकार के आप कांस्टीट्युएन्ट यनिट बने हुये हैं और आप सरकार बनने से पहले एस० वी० डी० में कार्य कर रहे थे उस समय जो बात कहते थे उसे ही हम भी मानते हैं और आप उसे पास करिये । मुझे राजस्व मंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है । उन्होंने यह बात कही कि दो रुपये तक कोई लगान माफ नहीं होगा लेकिन सवा ६ एकड़ तक ५० प्रतिशत लगान माफ किया जायगा । अब सवा ६ एकड़ तक नीचे का वह तबका है जो अपने साधन उपलब्ध नहीं कर सकते और किसी प्रकार का लगान देने के वे अयोग्य है । अब दो रुपये तक लगान देने वाले से अगर लगान लिया जायगा तो वह उससे लिया जायगा जो अलाभकर जोत वाले हैं, जो अपने परिवार का खर्च चलाने में असमर्थ है और किसी प्रकार का लगान उनसे लेना अन्याय होगा । यह सिद्धान्त की बात है और कोई बात है नहीं । आप यह कहते हैं कि किसान अपनी धरती का मालिक होगा । टैक्स अथवा रेंट नहीं लगेगा, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगेगा । उससे भी किसान की दुर्दशा होगी । ३६०० रुपये तक आप माफ कर देंगे और दूसरी तरफ सवा ६ एकड़ के नीचे के किसान का लगान माफ होगा तो १०, १२ किसान भले ही ऐसे हों किसी एरिया में कि ३६०० रुपये का नेट प्राफिट हो जाय। सवा ६ एकड़ में यह संभव नहीं है । अब सवा ६ एकड़ में जो सबसे नीचे का तबका है २ रुपये लगान देने वाला उससे लगान लिया जायगा । इस प्रकार आप ऊपर के लोगों को छोड़ रहे हैं और नीचे के लोगों से वसूल करेंगे । मुख्य मंत्री, क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते थे इसलिये उन्होंने इस श्लोक के अनुसार कार्य किया:—

'सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धत्यजति पंडितः'

जब सर्वनाश हो रहा है तो बुद्धिमान आदमी आधा छोड़ देता है । झारखंडे राय जी ने सोचा कि आधा ही फिर मंजूर कर लो और जोर से शोर करो और यह तर्क दो कि तुम निकम्मे हो ताकि उनका निकम्मापन छिप जाय । चौधरी साहब ने सोचा कि लगान माफ नहीं होना चाहिये । आय घट जायगी, प्रदेश का खर्च कैसे चलेगा, लेकिन देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो फिर भागते भूत की लंगोटी भली । हमें कोई जल्दी नहीं है । आप कर लीजिये । वैसे हमारे मेनिफेस्टो में यह था, सोच समझ कर रखा गया था, इस विश्वास के साथ रखा गया था कि कांग्रेस दल के हाथ में सरकार आयेगी तो इस काम को करना है । फिर भी वह रखा गया था । आज हमारा कर्त्तव्य है कि उसको ले कर आयें, इसलिये नहीं कि १० एकड़ आप मान लेंगे तो हम १२ एकड़ कहेंगे और १२ एकड़ मान लेंगे तो २० एकड़ कहेंगे । और २० एकड़ मान लोगे तो २४ एकड़ कहेंगे और २४ एकड़ मान लोगे तो ४८ एकड़ कहेंगे । हमारा तो एक प्रस्ताव है

और हम समझते हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की आवश्यकता है और आवश्यकता इसलिये है कि इसको सारी पार्टियां मानती रही हैं, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, पी० एस० पी० जनसंघ की बात तो मैं कहना नहीं चाहता--कांग्रेस के लोग इसको बावजूद उचित समझने के भी कर नहीं सके। आज चाहते हैं कि आये। आप तो बहुत पहले से कह रहे हैं। फिर आज यह बलीवता क्यों उत्पन्न हो रही है? इधर से भी इच्छा है और उधर से भी है। आप स्वीकार कीजिये। मुझे तो आप कहेंगे कि तोड़ फोड़ की बात कर रहा हूं, मगर तोड़ फोड़ की नहीं, जो वायदा आपने किया है, जो आपने अभी तक मांग की है, जो आप हमेशा कहा करते थे इतने दिनों के बाद अगर आपकी और हमारी राय मिली है तो हमारा और आपका राजनीतिक तकाजा है कि आप इसे स्वीकार करें आप की सरकार चाहे रहे या न रहे। नहीं रहेगी तो जो सरकार बनेगी वह कार्यान्वित करगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास आज एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया था। उसे तो मैंने अस्वीकृत कर दिया। कुछ नियम ५१ और ५२ के अन्तर्गत सूचनायें भी प्राप्त हुई हैं। इसमें एक माननीय मुक्तिनाथ राय जी ने सूचना भेजी थी। उसको मैंने माननीय सिंचाई मंत्री के पास अविलम्बनीय कार्यवाही के हेतु भेज दिया है। दो और सूचनायें हैं, इनको अस्वीकृत कर दिया है।

चमोली जिले में तिब्बतियों के आने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

अब अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न जो स्वीकृत किया था चमोली जिले में तिब्बत के लोगों के आ जान क सम्बन्ध में श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी द्वारा नियम ५१ क अन्तगत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री आ वक्तव्य होगा।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि अभी हाल ही में प्रदेश की उत्तरी सीमा को पार करते हुये कुछ तिब्बतियों ने अपने जानवरों सहित प्रदेश में प्रवेश किया। केन्द्रीय सरकार इस स्थिति से पूर्णतया अवगत है। राज्य सरकार भी इस बार में पूरी तरह जागरूक है। किन्तु इस विषय में कुछ अधिक कहना जनहित में नहीं होगा।

श्री योगेश्वर प्रसाद (जिला चमोली)---

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जो तिब्बती उत्तरी सीमा को पार कर के इस प्रदेश की सीमा में प्रवेश किये हैं उनकी संख्या क्या है, किन दर्रों और पासों को पार करके वे यहां पहुंचे हैं और वे शरणार्थी हैं या छद्मवेश में कोई जासूस हैं?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं कुछ और ज्यादा बतला सकता, लेकिन विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो सूचना मेरे मित्र चाहते हैं उसको यहां देना जनहित म नहीं होगा।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

क्या उत्तर काशी में भी इस तरह के लोग आये हैं बाराहोती होकर ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं यह नहीं बता सकूंगा कि कहां से आये और कितने आये ।

श्री गंगाधर (जिला चमोली)---

क्या सरकार को मालूम है कि अप्रैल से यह लोग आते जा रहे हैं और जनता में इससे बड़ा भय और आतंक है तो इसके निराकरण के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, दरअसल में यह विषय सेंटर के जुरिस्डिक्शन में आता है और इसका कोई अधिक वास्ता स्टट गवर्नमेंट से नहीं है, लेकिन जो मेरे मित्र ने सवाल पूछा है तो मैं यह कह सकता हूं कि जनता में कोई भय या आतंक वगैरह कुछ नहीं है ।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे और उन्होंने यह कहा कि इस विषय का वास्ता केन्द्रीय सरकार से है, लेकिन उनको इतनी सूचना अवश्य है कि कुछ लोगों ने प्रदेश में प्रवेश किया तो क्या सरकार कोई कदम उठायेगी जिससे अधिक तादाद में लोग न आने पायें ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इस विषय पर प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क बनाये हुये है ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---

क्या सरकार को सूचना है कि इन शरणार्थियों का सम्पर्क कम्युनिस्ट पार्टी से भी है ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, मैं इस विषय पर जितना कह चुका हूं उससे अधिक कहना जनहित में नहीं समझता ।

श्री हरीदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इन लोगों के अलावा १० रुपये और ५ रुपये के नोट भी सरकुलेट हो रहे हैं ?

श्री चरण सिंह---

जी नहीं, मुझे नहीं मालूम । सवाल था आदमियों का, आदमी और नोटों में बड़ा फर्क होता है ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनको कैम्प में रखा जाता है या आमतौर पर जनता से फ्रीली मिलने की इजाजत है ?

श्री चरण सिंह---

उनको कैम्प में रखा जाता है और जनता से पूरे तौर पर मिलने जुलने की कोई इजाजत नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रश्न की इजाजत तो दूंगा लेकिन यह बड़ा नाजुक मामला है और मुख्य मंत्री ने बताया कि इसमें ज्यादा सूचना देना जनहित में नहीं होगा और हम और आप भी समझ सकते हैं कि यह विषय ऐसा है कि इस पर बहुत कम प्रश्न हों ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन माननीय सदस्यों को कभी पहाड़ों से उतरते हुये और कभी समुद्र से निकलते हुये और चारों तरफ से निकलते हुये कम्युनिस्ट दिखायी देते हैं क्या उनकी मानसिक चिकित्सा का प्रबन्ध करने की सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये वह किसी अच्छे शहर में जायं ।

श्री योगेश्वर प्रसाद —

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि चमोली जिले में बद्रीनाथ के आसपास माना घाटी और नीति घाटी में तिब्बत से आये हुए लोगों ने कितने बिन विचरण किया और आजकल किस कैम्प में कहां-कहां रखे गये हैं ?

श्री चरणसिंह—

मैं इसकी इत्तला देना जनहित के खिलाफ समझता हूं ।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन को आश्वासन देंगे कि जैसा अभी तक होता रहा है कि तिब्बती लोगों के बहान दूसरे लोग आते रहे और देश और प्रदेश की सुरक्षा को हमेशा खतरा पैदा होता रहा, अब इस प्रकार का खतरा नहीं पहुंचेगा ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री कह चुके कि पूरी तरह से सजग हैं, केन्द्रीय सरकार से बातचीत कर रहे हैं । उसके बाद यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री गंगाधर—

क्या माननीय मुख्य मंत्री को मालूम है कि तिब्बत से बहुत सी ऊन और दूसरा सामान लाया गया था और वह वहां के इलाके में बेचा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, क्या इस बात की जानकारी है या नहीं, इसकी जानकारी करने की कृपा करेंगे जिससे वहां के लोग आश्वस्त हो सकें कि लोगों का हाथ इसमें नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

विषय की नजाकत को देख कर मैं ऐसा उचित समझता हूं कि यदि किसी माननीय सदस्य को इस विषय में जानकारी हो तो कृपया विस्तारपूर्वक माननीय मुख्य मंत्री को लिख कर भेज दें। मैं इस विषय में चाहूंगा कि आगे प्रश्न न हों ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जानकारी तो माननीय मुख्य मंत्री देंगे या दूसरे लोग उनको जानकारी देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

सरकार की तरफ से कह दिया गया कि वह सजग है, आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार से बातचीत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर यहां पर ज्यादा बातचीत न हो कर अगर किसी माननीय सदस्य को कोई जानकारी हो जो उधर के रहने वाले हैं तो उससे सरकार को सूचित करें।

१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता

श्री अध्यक्ष—

अभी हमारे पास १० मिनट का समय बाकी है। इसलिये वादविवाद जारी रख सकते हैं। चन्द्र शेखर जी।

श्री चन्द्र शेखर (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस सदन में राजस्व मंत्री जी के साथ-साथ इधर के सदस्यों और उधर के सदस्यों के साथ-साथ माननीय त्रिपाठी जी के भाषण को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। मान्यवर, त्रिपाठी जी को झारखंडे राय जी से यह शिकायत है कि उन्होंने गड़े मुर्दों को उखाड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास भविष्य का मार्ग-दर्शन करता है। बार बार कहा जाता है कि अतीत की तरफ न देखो, लेकिन अतीत की जो कल्पना है वह वर्तमान के लिये एक प्रेरणा का स्रोत हुआ करती है। कहा गया कि हम २० साल की कहानी बार-बार दोहराते हैं। इसको हम इसलिये दोहराते हैं कि २० वर्ष का जो आपका कार्यकाल रहा है, उसके कारण दोजख लग गया है उसे स्वर्ग बनाने के लिये हमें समय चाहिये। कहा गया कि हमने मुजफ्फरनगर में प्रस्ताव पास किया था कि हम सवा ६ एकड़ तक की भूमि से लगान माफ कर लेंगे, यह समझ कर कि १९६७ के बाद हम फिर हुकूमत में आ जायेंगे। इससे दो मतलब निकलते हैं। जो इनका तिकड़म, तोड़ फोड़ और जाल बट्टे का रवैया रहा, उसका इन्हें भरोसा रहा और दूसरे अपने बारे में भी इन्हें गलतफहमी रही। वह भी कारण था। मैंने १९५२ में देखा, १९५० में लाल किले पर देखा। जब स्वर्गीय जवाहर लाल हमारे देश के प्रधान मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम अन्न समस्या का हल करेंगे। उनके प्रति देश की कोटि-कोटि जनता की अत्यधिक श्रद्धा थी। इतनी ममता और मोहब्बत अगर भारत के किसी दूसरे नेता को मिली होती तो यह देश स्वग बन गया होता। १९५० की घोषणा में अनाज की समस्या के लिये कहा गया कि हम अनाज में यह काम करेंगे अनाज में आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आज १९६७ आ गया, ८ प्रदेशों में गैर कांग्रसी सरकारें बन गई, लेकिन वह प्रस्ताव प्रस्ताव ही रह गया, वह हो नहीं सका। आप वह स्वप्न पूरा नहीं कर पाये। आपने ही आवाड़ी में बैठ कर समाजवादी समाज की रचना का लक्ष्य बनाया था, प्रस्ताव पास किया था कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने जा रहे ह। किन्तु इनकी घोषणा और प्रस्ताव का क्या हुआ, इनकी समाजवादी समाज की रचना का क्या हाल हुआ ? अमीरों का कैलाश ऊंचा उठता रहा और गरीबों का पाताल धंसता रहा। मान्यवर इन लोगों की समाजवादी समाज की रचना में आज टाटा साहब साढ़ चार सौ करोड़ के आदमी हो गये ८० करोड़ से। अभी-अभी जो जो रिपोर्ट छपी है उसमें यह है। यह है समाजवाद, गरीबों की क्या हालत हो गयी। जब उत्तर प्रदेश से अंग्रेज गये तो यहां २१२ रुपया प्रति व्यक्ति आय थी और वह आज घट कर १८५ रुपया रह गयी है। वाह रे समाजवादी समाज की रचना। असल में समाजवाद के नाम पर यह जनता को ठेंगा दिखाते रहे।

दूसरे इन्होंने कहा—गड़े मुर्दे न उखाड़ो, लेकिन ठीक उसका विरोधाभास हुआ। अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर मैं पूंजीपतियों का दलाल हूं तो झारखंड राय जी

अंग्रेजों के साथ थे, उनके गुलाम थे ? किन्तु आप अपने को गांधी जी की जायज संतान कहते हैं, इसलिये मैं कहता हूं कि आप गांधी जी के शब्दों को पढ़ो। गांधी जी ने कहा था बुरे आदमी से सहयोग करो, किन्तु बुरे कामों से सहयोग न करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंडे राय जी जब से संयुक्त विधायक दल में शामिल हुये हैं उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो बुरा हो। इसलिये कहता हूं कि आंख खोलकर पढ़ो और आप अपने परस्पर विरोधाभास को देखो। एक तरफ कहा कि झारखंडे राय अंग्रेजों के गुलाम थे और दूसरी तरफ कह दिया कि अगर झारखंडे राय जी को हमको ताकत मिल जाय तो इस प्रगतिशील शक्तियों के साथ हम मिलकर सरकार बनाने के लिये तैयार हैं। इन दोनों बातों को आप स्वयं देखें।

भूमि सुधार की बहुत बात कही गयी कि जमींदारी हमने खत्म की। तुमने नहीं खत्म की हम बताते हैं वह यहां की जनता ने खत्म की। जिसने अंग्रेजों को यहां से गांधी जी के नेतृत्व में निकाला था उसने ही जमींदारी खत्म की। एक हवा थी अगर आप नहीं करते सन् ४७ में तो जनता आप को भी खत्म कर देती। जो हवा उस समय थी उसमें वह आपको करना था। और आज हवा है समता की, और वह भूख समता की आज बड़े जोरों पर है और उस भूख को कायम करने के लिये, समाजवाद लाने के लिये हम यहां बैठे हुये हैं। समता की भूख आर्थिक है। (व्यवधान) मान्यवर, ये अपनी पार्टी के अध्यक्ष की बातें नहीं मानते, हमारी और आपकी क्या मानेंगे। इनको छोड़िये करने दीजिये शोर। बड़ी चर्चा की गयी कि हमने सवा छः एकड़ की मालगुजारी नहीं माफ की। झारखंडे राय जी ने बताया कि कुछ लाचारियां हैं और वह लाचारियां भी इस कारण से हैं कि आपने २० वर्षों से इस प्रदेश को दोजख बनाया है और उसको स्वर्ग बनान में समय तो लगेगा ही। (व्यवधान) देखिये टोका टोकी ज्यादा न कीजिये वरना मैं एक-एक की बताऊंगा कि किसकी-किसकी क्या-क्या हरकतें रही हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रार्थना करूंगा कि जरा शांति से सुनें। कहना और सुनना ही जनतंत्र की शोभा है। माननीय चन्द्रशेखर जी, आप १० मिनट बोल चुके हैं। मैं ५ मिनट के लिये सदन का समय और बढ़ाये देता हूं। आप ६ मिनट और बोल लीजिये।

श्री चन्द्रशेखर—

१९ सूत्री कार्यक्रम का मान्यवर हवाला दिया गया है। वह हमारा संकल्प है, धार्मिक संकल्प है, हमारा मन दृढ़ है, हमारे इरादे दृढ़ हैं और उस दृढ़ता के कारण ही हमारे नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि ५ वर्ष के अन्दर जमीन पर से लगान पूर्ण रूप से खत्म हो जायगा (व्यवधान) बार-बार मत छेड़ो दोस्तो। आपने २० वर्षों तक कुछ नहीं किया है हमने कुछ किया है इसलिये आपको ईर्ष्या हो रही है जरा फिर चले जाओ चवन्निया लगान की तरफ। जब पाकिस्तान ने देश पर हमला किया था तब उस समय आपत्कालीन नाम पर आपने चवन्निया लगान बढ़ाया था। उस समय चाहे जनसंघ हो, चाहे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी सब ने आपके स्वर में स्वर मिलाया था और कहा था कि भारत माता की सीमा की रक्षा करने के लिये हिन्दुस्तान के हर आदमी का धर्म है और उस धर्म के नाते उस चवन्निया लगान को स्वीकार किया था लेकिन दुख है कि भारत माता की अस्मत की रक्षा करने के लिये हमने लड़ाई लड़ी थी जब युद्ध खत्म हो गया उसके बाद भी इन दोस्तों ने अपनी रक्षा करने के लिये सन् ६७ तक चवन्नियां लगान को बरकरार रखा। (शर्म, शर्म) बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चीरा तो एक कतरये खूं न निकला। सवा ६ एकड़ की बड़ी चर्चा रावत जी ने की। उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं पाते कि इससे बड़ा फाड और क्या हो सकता है।

[श्री चन्द्रशेखर]

असल में बेचारे क्या करें २० वर्ष में कोशिश करके वही शब्द याद किये गये हैं। उसमें ही एक्सपर्ट हैं। इसलिये उसकी बात करते हैं।

अब मैं मान्यवर, आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूं। गांधी जी की इच्छा थी कि जो सब से नीचे का आदमी है उसको सब से ज्यादा सहायता मिलनी चाहिये। परिवार और घर में भी सब जगह ऐसा होता है कि जो बीमार होता है उसकी ज्यादा देखभाल हुआ करती है। जो २ रुपया लगान वाली बात है उस बात की जब वह आखिरी भाषण करन लग उस समय इसको भी खत्म कर देने की कृपा करें। जो प्रगतिशील टैक्सेशन का सिद्धान्त है उसमें भी यह है कि जिसके पास खाने पीने के बाद ज्यादा बचे उससे ज्यादा टैक्स लें और जिसके पास कम बचे उससे कम टैक्स लें। जो प्रदेश की परिस्थिति है उसको देखते हुये अगर लगान लिया जाता है तो मान्यवर, वह टैक्स नहीं रहेगा। वह गरीबों का खून लिया जायगा। जहां तक आधा लगान माफ करने का सवाल है कांग्रेस सरकार ने २० वर्ष तक पूरा खून लिया। अब थोड़े दिनों के बाद ही यह सरकार आधा लगान माफ करने जा रही है। राजस्व मंत्री जी के लिये उधर के सदस्य पहेली की बात करते हैं शायद पहेली पढ़ने और लिखने की उनकी आदत है लेकिन हम तो निश्चित एलान करते हैं। हमने राज्य कर्मचारियों को १० करोड़ रुपया दिया। हमने भूमि भवन कर माफ किया। हम सम्पूर्ण मालगुजारी की माफी की दि ा में प्रगति के रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दिन में स्वर्ग आ जाय यह कभी संभव नहीं है। स्वर्ग बनाने के लिये कुछ समय लगा करता है और फिर ऐसे समय में जब कि राष्ट्रीय कलह, राष्ट्रीय लज्जा, राष्ठीय धोखाधड़ी दौड़ धूप छीना छपटी का साम्राज्य २० वर्ष से चल रहा है तब तो और भी दिक्कत होती है। इसके बाद जब केंद्र में आपकी सरकार बैठी हो और आप हमसे यह मांग करते हों कि हमने १९ सूत्री कार्यक्रम को पूरा क्यों नहीं किया तब तो और भी कठिन हो जाता है। जरा मुरार जी से पूछिये कि जब तक कांग्रेस सरकार प्रांतों के अन्दर बैठी रही तब तक तो उनको घाटे का बजट बनाने की उन्होंने अनुमति दी, लेकिन जब गैर-कांग्रेसी सरकार बन गई तब क्यों कहते हो कि घाटे का बजट न बनाओ। तो मान्यवर, दिल्ली की सरकार को भी मालूम है। हम तो केवल तीन, साढे तीन सौ करोड़ खर्च करते थे, दिल्ली की सरकार तो मान्यवर, ४८ सौ करोड़ खर्च करती है। जब किसी बात को आप कहा करें तो उसको नजरअंदाज मत किया करें। हम उस में से आप से कुछ मांगते हैं गरीबों की सेवा करने के लिये, उस जमीन को पानी देने के लिये जिस को आप पानी नहीं दे पाये हैं ताकि हिन्दुस्तान की धरती लहलहा उठे, हिन्दुस्तान का रहने वाला इंसान जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का गरीब आदमी है वह भी आजादी की सांस ले सके। इसलिये हम चाहते हैं कि जो नयी दिल्ली को नयी दुलहन की तरह सजाया जा रहा है, उस में कुछ कमी कर के उत्तर प्रदेश के किसानों की हमदर्दी हासिल करने के लिये और उत्तर प्रदेश के किसानों की जिन्दगी सुधारने के लिये आप कुछ करें तभी आप किसी बात के हकदार होंगे, नहीं तो वही डपोरशंखी बाजा बजाया करेंगे। उसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है।

अन्त में मैं इन शब्दों के साथ माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
१४ जुलाई, १९६७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

जिला रायबरेली के सलोन विकास खण्ड में वर्ष १९६६-६७ में कच्चे कुएं की खुदाई हेतु नकद दी गई सहायता वाले व्यक्तियों तथा खोदे गये कुओं की ब्यौरेवार सूची

क्रमांक	काश्तकार का नाम	निवास स्थान	तादाद अनुदान	तादाद कूप	नं० खसरा	विवरण
१	मैकू पुत्र शीतल	विसइया	४०-००	२	२०३१ व २१२१	
२	इकबाल बहादुर सिंह पुत्र समरजीत सिंह	„	४०-००	२	३२३ व ५६३	
३	पुलई पुत्र जगन्नाथ	„	२०-००	१	१०५८	
४	सीता राम पुत्र सुब्बा	„	४०-००	२	१२९० व १३०८	
५	पल्टू पुत्र पंचम	„	२०-००	१	१०६१	
६	राम सरन पुत्र गया	„	२०-००	१	१०४३	
७	शिव राम पुत्र जैय राम	„	२०-००	१	१२०२	
८	झूरी पुत्र महराजदीन	„	२०-००	१	१२०२	
९	भगवती पुत्र जै लाल	„	२०-००	१	२९४	
१०	जगनू पुत्र शीतल	„	२०-००	१	२०३१	
११	रामानन्द पुत्र सूरज दीन	„	४०-००	२	३७७/३	
१२	समरजीत सिंह पुत्र संत बक्श सिंह	„	२०-००	१	९१०	
१३	राम भजन पुत्र सूरज दीन	„	४०-००	२	१०८२ व २७५	
१४	भवानी बक्श सिंह पुत्र रामप्रकाश सिंह		४०-००	२	१९९१ व २००५	
१५	माता बदल पुत्र द्वारिका	„	२०-००	१	५७४	
१६	गाजी पुत्र बदल	अतार्गंज उसरी	२०-००	१	५९५	
१७	सुभान पुत्र बदल	सलोन	३०-००	२	११५१/१	
१८	अब्दुल करीम पुत्र बदल	„	४०-००	२	११५१/२	
१९	मोहम्मद हनीफ पुत्र मंहगू	„	२०-००	१	१२६४	
२०	परसाद पुत्र शीतल	„	२०-००	१	१२६३/१	
२१	सइयद ताहिर हुसेन पुत्र अमजद अली	„	२०-००	१	१२७८	
२२	संतू पुत्र गया दीन	„	२०-००	१	१४९४	
२३	झूरी पुत्र सुबराती	„	२०-००	१	१०९०	
२४	बाबा तुरन्त गिरि चेला बाबा किरपाल दास	„	२०-००	१	३४४२	
२५	शिव चरन पुत्र बुधई	केसवपुरा	२०-००	१	१५०/४	
२६	मंगल पुत्र बदल	„	२०-००	१	२८०/१	
२७	जगन्नाथ पुत्र कल्लू	„	२०-००	१	१६	
२८	हुसेन पुत्र सुब्बा	पुष्पीपुर	२०-००	१	४३७	
२९	बाग़ी पुत्र मथुरा	बरबरिया	२०-००	१	५९९	

क्रम० संख्या	काश्तकार का नाम	ग्राम का नाम	तादाद अनुमान	तादाद कुर्रा	खसरा नम्बर
३०—सुकरू पुत्र भगवती	..	बरखलिया	२०—००	१	७६
३१—बाला दीन पुत्र पंडोही	..	सांडासदन	२०—००	१	१४६
३२—सुलेमान पुत्र कल्लू	..	,,	२०—००	१	१७३
३३—मुल्लन पुत्र सुभान	..	,,	२०—००	१	१७३
३४—रहमान पुत्र कल्लू	..	,,	२०—००	१	१७३
३५—रज्जब पुत्र भूंदू	..	,,	२०—००	१	२६२
३६—बद्री पुत्र लछिमन	..	,,	२०—००	१	११८
३७—परसाद पुत्र शीतल	..	,,	२०—००	१	११६
३८—पीर गुलाम पुत्र महाबीर	..	,,	२०—००	१	१५२
३९—बाकर रजा पुत्र इनायत हुसेन	..	,,	२०—००	१	२६५
४०—इस्तिखाक पुत्र एजाज अली	..	,,	२०—००	१	१२१
४१—नकछेद पुत्र साहेब दीन	..	,,	२०—००	१	१३१
४२—तबस्सुल हुसेन पुत्र मोहम्मद नकी		,,	४०—००	२	२६०
४३—विरना पुत्र चैतू	..	,,	२०—००	१	४६७
४४—राम प्रसाद पुत्र महाबीर	..	,,	२०—००	१	१११
४५—श्रीमती सलमुन पुत्र भोंदू	..	,,	२०—००	१	२१।२६४
४६—बिल्वा पुत्र बयाल	..	,,	२०—००	१	२४
४७—इद्दू पुत्र भेंडई	..	,,	२०—००	१	२७७/२
४८—गजराज सिंह पुत्र राम बहादुर	..	धुरहट	२०—००	१	३७१
४९—शिव राम पुत्र राम बस	..	संबपुर	२०—००	१	७३७/१
५०—संतू	..	गोड़वा हसनपुर	२०—००	१	४६६/१
५१—जगन्नाथ	..	,,	२०—००	१	३०६/१
५२—बद्री पुत्र गजाधर	..	रेवली	४०—००	२	१०२४ व ८१३
५३—महराजदीन पुत्र राम शंकर	..	,,	४०—००	२	१०१७ व ८२१
५४—धवनकल पुत्र नेवाज	..	,,	४०—००	२	६४३ व ६२६
५५—कल्लू पुत्र इलाही	..	,,	४०—००	२	८६५
५६—जगन्नाथ पुत्र बदल	..	,,	४०—००	२	१०४१ व १०४२
५७—सूरज बली पुत्र बदल	..	,,	४०—००	२	४०६ व ४३६
५८—गजाधर पुत्र बुधई	..	,,	४०—००	२	६२८
५९—हरछट पुत्र बदल	..	,,	२०—००	१	७०४

जिला रायबरेली के ऊंचाहार विकास खण्ड में १९६६–६७ में कच्चे कुओं की खोदाई हेतु नकद दी गई सहायता वाले व्यक्तियों तथा खोदे गये कच्चे कुओं की ब्यौरेवार सूची–

क्रम सं०	काश्तकार का नाम		ग्राम का नाम	तादाद अनुदान	तादाद कुओं	खसरा नम्बर विवरण
१	राम लाल पुत्र पंचम	..	कुरंमपुर	२०–००	१	८६
२	शिव लाल पुत्र पंचम	..	,,	२०–००	१	१८८
३	मुनीर पुत्र बाला दीन	..	,,	२०–००	१	३७
४	मंगल पुत्र बच्चू	..	,,	२०–००	१	१२०
५	सुबराती पुत्र पत्ते	..	,,	२०–००	१	१३२
६	राम लाल पुत्र सितलू	..	,,	२०–००	१	१७८
७	गनेशी पुत्र शीतल	..	,,	२०–००	१	२७२
८	अमृत लाल पुत्र रामपाल	..	बहेरवा	२०–००	१	७४
९	राम नाथ पुत्र नन्दन	..	,,	४०–००	२	१०७/२ व ३७०/१
१०	परसादी पुत्र जगमोहन	..	निरंजनपुर	२०–००	१	२५४
११	सूरजपाल पुत्र महराज दीन	..	,,	२०–००	१	२३५
१२	रामानन्द पुत्र महावीर	..	,,	२०–००	१	२३५
१३	माता बदल पुत्र रघुनन्दन	..	,,	२०–००	१	२४६
१४	मंगली पुत्र बिन्दा	..	,,	२०–००	१	२४८
१५	सूर्यपाल पुत्र अयोध्या	..	,,	२०–००	१	२५३

मतथी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३१ पर)

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, १९६७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९६२

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ के निरसन की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के अट्ठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) अधिनियम, १९६७ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्य १२, १९६२ का निरसन तथा अपवाद

२—(१) उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ को, जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, १ अप्रैल, १९६७ से एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

(२) यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निरसन का, निरसन की अवधि के पूर्व के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के या लगाये गये कर के वसूली के संबंध में उक्त अधिनियम क अधीन किसी प्राधिकारी के अधिकारों या क्षत्राधिकार का प्रयोग बराबर करत रहने पर अथवा किसी स्वामी के उक्त अधिनियम की धारा ५ के अधीन अध्यासी से ऐसे कर की कोई धनराशि वसूल करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

उद्देश्य और कारण

राज्य के सुनियोजित विकास के लिये संसाधन जुटाने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश (नारगक्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ द्वारा १ जुलाई, १९६२ से राज्य के नागर क्षेत्रों में स्थित भूमि तथा भवनों पर एक कर आरोपित किया गया था । सामान्य जनता को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने इस कर को १ अप्रैल, १९६७ से समाप्त करने का निश्चय किया है । अतएव, वर्तमान विधेयक, उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ को उक्त दिनांक से निरसित करता है ।

तद्नुसार, यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

बरमेश्वर पांडेय,
स्वायत्त शासन मंत्री ।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ ४५ पर)

अनुदान संख्या २—भू-राजस्व के अन्तर्गत कटौती के प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए हुए मान गये

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री चन्द्रबली सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—जनराज में कर नीति की चर्चा करना और सवा छः एकड़ तक के अलाभकर जोत से, मालगुजारी हटाने का सूझाव देना।
२	श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) सवा छः एकड़ तक के जोतों पर से मालगुजारी माफ करना। (२) भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके भू-स्वामियों को बाजार भाव पर मुआविजा देना तथा उनके हितों की रक्षा करना। (३) कृषि योग्य बंजर भूमि को भूमिहीनों की सहकारिता समितियों को बना कर देना तथा उत्पादन हेतु भूमि सुधार कानून में व्यवस्था करना। (४) भूमि पड़ताल के हेतु नियमों तथा आदेशों में संशोधन करना।
३	श्री श्रीराम तिवारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।
४	श्री इन्द्रमणी ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—टिहरी-गढ़वाल में मालगुजारी की दरें गढ़वाल, चमोली-अल्मोड़ा आदि पहाड़ी जिलों से बहुत अधिक है, इस पर प्रकाश डालना।
५	श्री प्रभुदयाल ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—बस्ती जिले के राजस्व विभाग की धांधली तथा प्रदेश के लेखपालों की धांधली की ओर शासन का ध्यान दिलाने हेतु।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
६	श्री कालीचरण अग्रवाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) भू-राजस्व पर सरकार की गलत नीतियों पर चर्चा एवं सुझाव। (२) अलाभकर जोतों पर चर्चा, (३) राजस्व विभाग में फैले व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा करना एवं ठोस सुझाव देना।
७	श्री कल्पनाथ सिंह ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--अलाभकर जोत सवा छः एकड़ तक लगान से मुक्त करने का सुझाव देना।
८	श्री माता प्रसाद ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) जौनपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़ तथा अन्य पूर्वी जिलों में लोग कई पुश्तों से मकान बना कर आबाद हैं लेकिन सरकारी कागजात में उनकी आबादी मौके पर दर्ज नहीं की जाती है बल्कि कागजात में बाग खुदकाश्त बंजर दर्ज किए जाते हैं, कभी-कभी दिवानी मुकदमें चला कर उनकी आबादी गिरा दी जाती है अथवा जिनके नाम से बाग या खुदकाश्त दर्ज होती है वह आबाद हुए लोगों को कम मजदूरी देकर काम करने को विवश किया करते हैं, सरकार इस प्रकार आबाद हुए लोगों की आबादी मौके पर दर्ज करने का आदेश नहीं देती है, इसकी आलोचना करना।
९	श्री सुरेन्द्रविक्रम सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सवा छः एकड़ से कम लगान माफ करने पर जोर देना तथा प्रदेश के सारे सीरदार तथा असामियों को भूमिधरी अधिकार दिलाना।
१०	श्री फूलसिंह ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--सरकार की अलाभकर जोतों पर भू-राजस्व (मालगुजारी) समाप्त न करने की नीति की आलोचना करना।
११	श्री आचार्य दीपंकर तथा श्री सरदार सिंह।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
		कमी करने का उद्देश्य--(१) सवा छः एकड़ तक भूमि रखने वाले किसानों का लगान समाप्त कर दिया जाय। (२) १२ एकड़ सिंचित और १५ एकड़ असिंचित भूमि रखने वाले किसानों या किसी प्रकार की प्रस्तावित लगान वृद्धि अथवा कृषि उत्पादन आय कर न लगाया जाय। (३) बारह एकड़ सिंचित एवं १५ एकड़ असिंचित भूमि रखने वाले भूमिधरों पर क्रमश वृद्धिशील भू-कर लगाया जाय और १५ जुलाई, निर्धारक तिथि स्वीकार की जाय।
१२	श्री प्रेमदत्त तथा श्री लालन शर्मा। ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--सरकार की नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।
१३	श्री श्रीनाथ ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--किसानों की सवा छः एकड़ भूमि तक की लगान माफ करने के विषय में सुझाव देना।
१४	श्री चतुर्भुज शर्मा ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--सवा छः एकड़ से कम भूमि को मालगुजारी से मुक्त कराना।
१५	श्री मदनमोहन मिश्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--सवा छः एकड़ तक भूमि को मालगुजारी से मुक्त कराना।
१६	श्री मुक्तिनाथ राय	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना : (१) आजमगढ़ जिले में सूखे की लगान माफ नहीं की गई, वसूली हो रही है। (२) चौथाई लगान जो बढ़ाई गई थी, उसे सरकार द्वारा समाप्त करने पर भी वसूली जारी है। (३) खसरे में कैफियत के खाने में काबिज लिखने की प्रथा को समाप्त नहीं किया गया, जिससे बड़ी ही अव्यवस्था रहती है।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
		(४) जब पैदावार नहीं, तो लगान नहीं के वसूलों की उपेक्षा सरकार द्वारा हो रही है।
१७	श्री कल्पनाथसिंह ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) अलाभकर जोतों से लगान हटाना। (२) खसरा में कब्जा दर्ज करने का अधिकार समाप्त करना। (३) किसानों को भूमि का उचित मुआविजा दिलाना। (४) ग्राम समाज सम्पत्ति का संरक्षण न प्राप्त होना।
१८	श्री अश्विनीकुमार शुक्ल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपए की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) सवा छः एकड़ तक की जोतों को लगान से मुक्त करने का सुझाव देना। (२) भूमि के कानून में संशोधन करने का सुझाव देना।
१९	श्री गोपालराम दास	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपया की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य–राजस्व नीति की आलोचना और सुझाव।
२०	श्री माताप्रसाद ..	भू-राजस्व (भूमि वितरण) के अधीन मांग की राशि में सौ रुपए की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य––भूमिहीनों को भूमि बांटने की व्यवस्था ठीक न होने से भूमि रखने वाले लोग अपने परिवार वालों के नाम से जिनके नाम से भूमि नहीं होती है स्वयं बंजर भमि लेते हैं, इसके लिए भमि वितरण कमेटी तथा पंचायत मन्त्री को जो गलत ढंग से भूमि का वितरण करते हैं उन्हें दण्डित करने की व्यवस्था की जाय।
२१	श्री राजनाथ सिंह ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपए की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य––अभाव-ग्रस्त तथा सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में विपत्ति के समय में भी स्थगित देयों की वसूली होती रहने की सरकारी नीति की आलोचना करना।

अनुदान संख्या ३८---दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत कटौती के प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए हुए माने गये

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री श्रीराम तिवारी . .	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।
२	श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---चमोली जिले में सूखा व अवर्षण से जो नाजुक स्थिति है और जिला भूख से जिस विपत्ति में पड़ गया है उस सम्बन्ध में सुझाव देना व चर्चा करना।
३	श्री मुक्तिनाथ राय . .	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना : (१) सम्पूर्ण आजमगढ़ जनपद १९६६ में भयंकर रूप से सूखे से पीड़ित था किन्तु सरकार ने जिले की जनता को सब प्रकार की सहूलियत कि वह सूखे का मुकाबला कर सके, नहीं दिया। (२) सूखा-पीड़ित जनता के ऊपर जब कि रबी की फसल भी अच्छी नहीं रही है, अन्न वसूली योजना को लाद कर भुखमरी के निकट ला दिया गया है। (३) जिले में टेस्ट वर्क नहीं चालू किया गया। कहीं-कहीं शुरू किया गया वह भी अत्यन्त कम मजदूरी देने के फलस्वरूप नहीं हो सका।
४	श्री इन्द्रलाल तथा श्री गोपालराम दास।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपया की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य---सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
५	श्री मुक्तिनाथ राय	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपए की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य---(१) देवारा, हरखपुरा खास (डम्डो का पूरा), पिपरहा के अग्नि-पीड़ितों की सहायता नाम मात्र की करने और देवारा-हरखपुर खास के अग्नि-पीड़ितों के मकान जो जल गये थे उन्हें निर्माण सहायता के अभाव के विषय में चर्चा करना।